रजिस्ट्री सं० डी-222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 1974 (फाल्गुन 11, 1895)
No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1974 (PHALGUNA 11, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
(PART III—SECTION 1)

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

मंत्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग)
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1974

संख्या एम-1/73-प्रशासन-5 (खंड)—सीधे रूप में भर्ती किए गए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशिक्षणाधीन पुलिस उप-अधीक्षक श्री मुरारीलाल ने अपना प्रशिक्षण पूरा करने के उपरान्त, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आबु में दिनांक 24-11-73 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया तथा दिनांक 5-12-73 को एक मास के और प्रशिक्षण के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ में पद का कार्यभार ग्रहण किया ।

गुलजारी लाल अग्रवाल
प्रशासन अधिकारी (स्था०)

कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद, दिनांक 31 जनवरी 1974

प्रशासन 1/11-144/99 II -(2)/7696—महालेखाकार उत्तर प्रदेश-I इलाहाबाद ने निम्नांकित अनुभाग अधिकारियों को उनके नामों के समक्ष अंकित तिथि से आगामी आदेश पर्यन्त इस कार्यालय में स्थानापन्न लेखाअधिकारी नियुक्त किया है ।

सर्वश्री	
1. एस० आर० आर० शर्मा	15-12-73
2. सरन आनन्द	15-12-73
3. ओंकार नारायण	24-12-73
4. ओ० पी० खुल्लर	22-12-73
5. बी० डी० एल० श्रीवास्तव	20-12-73
6. आर० आर० गर्ग	24-12-73 (अपराह्न)
7. जगदीश दुबे	26-12-73
8. ए० सी० कोदेशिया	31-12-73
9. वाई० एन० दत्ता	31-12-73
10. अमरनाथ	31-12-73

यू० राम चन्द्र राव
ज्येष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार का कार्यालय, महाराष्ट्र

बम्बई, दिनांक 24 जनवरी 1974

सं० एडमिन० I/आई०ए०डी०/31—वाल्यूम III—महालेखाकार, महाराष्ट्र, अधीन लेखा सेवा के सदस्य श्री पी० के० गोडबोले को दिनांक 24-1-1974 पूर्वाह्न से अपने कार्यालय में, आगे आदेश होने तक, लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० एडमिन० -I/आई०ए०डी०/31/वाल्यूम III—महालेखाकार, महाराष्ट्र, अधीन लेखा सेवा के सदस्य श्री बी० एस० शिपी को दिनांक 24-1-1974 पूर्वाह्न से अपने कार्यालय में, आदेश होने तक, लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

सं० एडमिन ०-I/आई०ए०डी०/31/वाल्यूम III—श्री एस० आर० दारशेतकर लेखा अधिकारी दिनांक 31-1-74 अपराह्न से वार्धक्य निवृत्ति-पेंशन पर सेवा-निवृत्त हुये हैं।

रा० ण० शर्मा
वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

यहालेखाकार का कार्यालय, गुजरात

अहमदाबाद, दिनांक 11 फरवरी 1974

महालेखाकार गुजरात, अहमदाबाद ने अधीन लेखा सेवा के स्थायी सदस्य सर्वश्री :—

(1) टी० डी० क्रिष्नामूर्ति ।
(2) एस० क्रिष्नामूर्ति ।
(3) के० संकरनारायणन ।
(4) डी० एस० गोविन्दा ।
(5) बी० पांडूरंगन् ।
(6) एम० जी० यूणेकर ।
(7) एन० स्वामिनाथनू ।
(8) पी० आर० चिदंबरम् ।

को दिनांक 1 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक महालेखाकार गुजरात अहमदाबाद के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है।

महालेखाकार गुजरात अहमदाबाद ने अधीन लेखासेवा के स्थायी सदस्य सर्वश्री :—

(1) ए० रघूनाथन्
(2) डी० सुवर्णा
(3) एन० नारायण स्वामि
(4) एच० आर० शाह।

को दिनांक 15 जनवरी, 1974 के अपराह्न से लेकर अगला आदेश मिलने तक महालेखाकार गुजरात अहमदाबाद के कार्यालय में स्थानापन्न लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्ति देने की कृपा की है।

छाया,
ाकार

महालेखाकार केन्द्रीय राजस्व का कार्यालय

नई दिल्ली-11000, दिनांक 13 फरवरी 1974

सं० प्रशासन-I/5-5/पदोन्नति/2816—श्रीमान् महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री जे० एस० गांधी को लेखा अधिकारी के पद पर संशोधित वेतनमान रु० 840-1200 में दिनांक 31-1-1974 (पूर्वाह्न) से स्थानापन्न रूप में आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

ह० अपठनीय
वरिष्ठ उप-महालेखाकार (प्रशासन)

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

मुख्य लेखा परीक्षक का कार्यालय

मालीगांव, दिनांक 31 जनवरी 1974

सं० ए०डी०एम०एन०/5-16/58/63/35-ए०—श्री एन० के० बनर्जी अस्थायी उपमुख्य लेखा-परीक्षक जो इस कार्यालय से संबद्ध थे। दिनांक 1-11-73 (पूर्वाह्न) से सेवा निवृत हुए।

ह० अपठनीय
मुख्य लेखा परीक्षक

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 1974

सं० 40011(2)/73—प्रशा-ए०—वार्धक्य निर्वतन की आयु प्राप्त कर लेने पर निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जाएगा।

क्रम सं०	नाम रोस्टर सं० सहित	ग्रेड	58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख
1	2	3	4
	सर्व श्री		
1.	आर० सी० गुप्ता (पी०/483)	स्थायी लेखा अधिकारी	11-4-1974 (अपराह्न)
2.	के० एन० भाटे (ओ०/140)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	21-4-1974 (अपराह्न)
3.	एच० एल० कोहली (ओ०/512)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	24-3-1974 (अपराह्न)
4.	मोहन लाल धींगरा (ओ०/516)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	14-1-1974 (अपराह्न)

पेंशन स्थापना को अन्तरण की तारीख	संगठन
5	6
1-5-1974 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (फैक्ट्रीज) कलकत्ता
1-5-1974 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (नौ० से०) बम्बई
1-4-1974 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक वायु सेना देहरादून
1-2-1974 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य श्रेणी) उत्तर मेरठ कैंट

दिनांक 4 फरवरी 1974

सं० 40011(2)/73-प्रशा०-ए०—निम्नलिखित लेखा अधिकारियों को बार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर प्रत्येक के नाम के सामने लिखी तारीख के पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया गया है ।

क्रम सं०	नाम रोस्टर सं० सहित	ग्रेड	58 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख
1	2	3	4
1.	श्री एस० जे० दास गुप्ता (पी०/186)	स्थायी लेखा अधिकारी	1-11-1973 (अपराह्न)
2.	श्री जी० जी० पटखेडकर (ओ०/259)	स्थानापन्न लेखा अधिकारी	9-11-1973 (अपराह्न)

पेंशन स्थापना को अन्तरण की तारीख	संगठन
5	6
1-12-1973 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक पटना ।
1-12-1973 (पूर्वाह्न)	रक्षा लेखा नियंत्रक (अफसर) पूना

श्री जी० जी० पटखेडकर, स्थानापन्न लेखा अधिकारी को सेवा निवृत्ति पूर्व 13-7-1973 से 9-11-1973 तक छुट्टी (अर्जित छुट्टी) मंजूर की गई थी ।

2.(i) श्री एस० जे० दास गुप्ता, स्थायी लेखा अधिकारी संबंधित इस विभाग की अधिसूचना सं० 40011(2)/73-ग्रा०-ए०, दिनांक 4-8-1973 की क्रम सं० 2 के सामने की समस्त प्रविष्टियां (जो कि भारत के राजपत्र भाग III खण्ड I दिनांक 25-8-1973 के पृष्ठ 2726 पर प्रकाशित हुई) एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

(ii) श्री जी० जी० पटखेडकर स्थानापन्न लेखा अधिकारी से संबंधित इस विभाग की अधिसूचना सं० 40011/(2)/73-प्रशा०-ए०-दिनांक 3-7-1973 की क्रम सं० 5 के सामने की समस्त प्रविष्टियां (जो कि भारत के राजपत्र भाग III खण्ड I दिनांक 28-7-1973 के पृष्ठ 1878 पर प्रकाशित हुई) एतद्द्वारा रद्द की जाती है ।

दिनांक 6 फरवरी 1974

सं० 18173-प्रशासन-II — 19-2-74 पूर्वाह्न को बार्धक्य निवर्तन की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एम० थ्यागाराजन भारतीय रक्षा लेखा सेवा के एक अधिकारी को उसी तारीख से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायगा और उनका नाम विभाग की नफरी से निकाल दिया जायगा ।

दिनांक 7 फरवरी 1974

सं० 40011(2)/74-प्रशासन-ए०—सिविल सेवा विनियमावली जिल्द I के अनुच्छेद 459(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति का नोटिस दिये जाने पर और रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा उसे स्वीकार कर लिये जाने पर श्री एम० एल० पटनी, स्थायी लेखा अधिकारी (रोस्टर सं० पी०/230) राष्ट्रीय कैडेट कोर दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर सेवा रत एवं रक्षा लेखा नियंत्रक पश्चिमी कमान, मेरठ की प्रोफार्मा नफरी पर विद्यमान को 1 मार्च 1974 पूर्वाह्न से पेंशन स्थापना को अन्तरित कर दिया जायगा ।

एस० के० सुन्दरम्
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक

रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा.

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरियां,

कलकत्ता, दिनांक 8 फरवरी 1974

सं० 5/74/जी०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित अधिकारियों को ए०डी०जी०ओ०एफ०-ग्रेड-II/महाप्रबंधक ग्रेड-II/उपमहाप्रबंधक के पद पर प्रत्येक के सामने दर्शायी गयी तारीखों से पुष्ट किया :—

1. श्री एन० एम० पटेल, स्थानापन्न ए०डी० जी०ओ०एफ० ग्रेड-II	13 जुलाई, 1971
2. श्री बी० बी० घोष, स्थानापन्न उप-महाप्रबंधक	15 दिसम्बर, 1971
3. श्री पी० के० बनर्जी, स्थानापन्न उप-महाप्रबंधक	20 जनवरी, 1972
4. श्री आर०एस० जैसवाल, स्थानापन्न उप-महाप्रबंधक	9 अक्तूबर, 1972
5. श्री जी०वी० एल० मूर्ति, स्थानापन्न ए०डी०जी०ओ०एफ०ग्रेड II	9 अक्तूबर, 1972

ए० पी० आर० पिल्लाय
सहायक महानिदेशक, आर्डनेन्स फैक्टरियां

श्रम एवं नियोजन मंत्रालय

कोयला खान श्रमिक कल्याण संस्था

धनबाद, दिनांक 11 फरवरी 1974

सं० प्र०-13(61) सामान्य/74 —डा० बालेश्वर चौधरी, कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, केन्द्रीय चिकित्सालय, मनेन्द्रगढ़ का पद त्याग स्वीकृत होने पर उन्होंने दिनांक 7-6-1972 (अपराह्न) को अपने पद का कार्यभार छोड़ा ।

राजेश्वर प्रसाद सिन्हा,
कोयलाखान कल्याण आयुक्त

विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 15 जनवरी 1974

सं० ए०-12024/3/73-एक्ट-I—विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशक इस निदेशालय में श्री एस० वी० घोरपाडे को 1 जनवरी 1974 से अगले आदेश तक सीनियर आर्टिस्ट के पद पर पूरी तरह अस्थायी रूप में तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 30 जनवरी, 1974

सं० ए०-19012/1/73-स्था०-2—श्री कृष्णकुमार, स्थायी तकनीकी सहायक (माडल) को, "सहायक अनुसंधान अधिकारी (विजुअल)" के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए इस निदेशालय में अस्थायी रूप से तदर्थ आधार पर तारीख 14-1-74 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश तक नियुक्त किया जाता है ।

रोशन लाल जैन,
उप निदेशक (प्रशासन,)
कृते निदेशक

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

फिल्म प्रभाग

बम्बई, दिनांक 1 फरवरी 1974

सं०2/4/68-सीब्बन्दी-I—फिल्म प्रभाग के नियंत्रक तथा प्रमुख निर्माता ने श्री एम० वाय० कुलकर्णी, स्थायी कला निर्देशक, फिल्म प्रभाग, बम्बई को श्री एम० पी० चन्द्रमोहन, के अवकाश पर चले जाने के कारण दिनांक 21-9-1973 के पूर्वाह्न से दिनांक 1-12-1973 के अपराह्न तक फिल्म प्रभाग, बम्बई में निर्माण प्रबंधक के पद पर नियुक्त किया था ।

के० एस० कुडवा,
प्रशासकीय अधिकारी
कृते नियंत्रक तथा प्रमुख निर्माता

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 फरवरी 1974

सं०5/67/67-एस०-एक—महानिदेशक, आकाशवाणी, एतद्द्वारा श्री ए० सी० महाजन, प्रसारण निष्पादक, आकाशवाणी, शिमला, को 21 जनवरी, 1974 से अग्रेतर आदेशों तक रेडियो कश्मीर, श्रीनगर में तदर्थ आधार पर, कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त करते हैं ।

शान्ति लाल,
प्रशासन उपनिदेशक
कृते महानिदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1974

सं०29-78/73-सी०एच०एस०-I—स्वास्थ्य महानिदेशक एतद्द्वारा डा० श्रीमती एल० बी० जेठरा को 30 जुलाई, 1973 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 2 फरवरी 1974

सं० 35-24/73-सी० एच० एस०-I—केन्द्रीय सरकार सेवा के सामान्य ड्यूटी अधिकारी ग्रेड-2 के अधिकारी डा० (श्रीमती) के० ई० मालाथी ने अपने स्थानान्तरण के फलस्वरूप 26 जुलाई, 1973 को अपराह्न में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया और 27 जुलाई, 1973 को पूर्वाह्न में सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के बाल रोग विभाग में कनिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का जी० डी० ओ० ग्रेड-2) के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

दिनांक 4 फरवरी 1974

सं० 13-3/73-सी० एच० एस०-I—केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-2 के अधिकारी डा० बी० एन० एस० बरुआ ने 23 जनवरी, 1974 को पूर्वाह्न में स्वास्थ्य सेवा के सहायक महानिदेशक, (बी० सी० जी०) के पद का कार्य भार त्याग दिया और उसी दिन पूर्वाह्न में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सुपरटाइम ग्रेड-2 में यक्ष्मा के सलाहकार के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

जी० पंचापाकेशन,
उप-निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 1974

सं० 41-37/73-डी०—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने एतद्द्वारा श्री रणधीर मंडल को 9 जनवरी, 1974 (अपराह्न) से और आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के कलकत्ता स्थित पूर्वी खण्ड कार्यालय में औषधि निरीक्षक के पद पर अस्थायी रूप में नियुक्त किया है ।

सं० 41-78/73-डी०—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक एतद्द्वारा श्री द्वारका प्रसाद शर्मा को 19 जनवरी, 1974 (अपराह्न) से और आगामी आदेशों तक स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के बम्बई स्थित पश्चिमी

खण्ड कार्यालय में औषधि निरीक्षक के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया है ।

पी० एस० रामचन्द्रन
औषधि नियंत्रक (भारत),
कृते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1974

सं० 21-14/73-एस०-1—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, मद्रास के कार्यालय अधीक्षक श्री एस० गोविन्दराजुलु को 22 अक्टूबर, 1973 पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार, मद्रास में श्री एस० राजमणिकम की छुट्टी रिक्ति में सहायक भंडार प्रबन्धक के पद पर पूर्णत: तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है ।

पी० सी० कपूर,
कृते स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1974

सं० 11-15/73-एडमिन-1—परिवार नियोजन विभाग से स्थानांतरित होने पर श्री वी० रामाचन्द्रन ने 13 दिसम्बर, 1973 पूर्वाह्न को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में उप-निदेशक (प्रशासन) के पद का कार्यभार संभाल लिया ।

स्वास्थ्य विभाग में स्थानांतरित होने पर श्री वी० रामाचन्द्रन ने पहली जनवरी, 1974 पूर्वाह्न को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, नई दिल्ली में उप-निदेशक प्रशासन का कार्यभार त्याग दिया ।

सूरज प्रकाश जिन्दल,
उप-निदेशक प्रशासन

विदेश व्यापार मंत्रालय
मुख्य नियंत्रक,
आयात-निर्यात का कार्यालय
आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण
स्थापना

नई दिल्ली, दिनांक 23 जनवरी 1974

सं० 6/501/58/-प्रशा० (जी)/—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग की स्थायी अधिकारी कुमारी एस० के० उस्मानी को 1-5-1973 से आगामी आदेशों के जारी होने तक, उपर्युक्त सेवा के वर्ग I में स्थानापन्न नियुक्त करते हैं ।

2. राष्ट्रपति, कुमारी एस० के० उस्मानी को 1-5-1973 से आगामी आदेशों के जारी होने तक, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय नई दिल्ली में उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के रूप में भी नियुक्त करते हैं ।

सं० 6/422/57-प्रशा० (जी)/—राष्ट्रपति, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, कलकत्ता में श्री पी० सी० दास, नियंत्रक (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) को 20 अक्टूबर, 1973 के अपराह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक उपर्युक्त कार्यालय में स्थानापन्न उप-मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात (केन्द्रीय सचिवालय सेवा से इतर) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

एस० जी० बोस मल्लिक,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

वाणिज्य मंत्रालय
वस्त्र आयुक्त कार्यालय

बम्बई 20, दिनांक 13 जनवरी 1974

सं० ई० एस० टी० 1-2 (610)—श्रीमान् राष्ट्रपति, 27 नवम्बर 1973 के पूर्वाह्न से और अगला आदेश देने तक श्री शिव प्रसाद काला को वस्त्र आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालय, बम्बई में सहायक निदेशक, प्रथम श्रेणी (पी० और डी०) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

संजय कुमार बागची,
वस्त्र आयुक्त

बम्बई 20, दिनांक 27 जनवरी 1974

सं० ई० एस० टी०-1-2 (615)—वस्त्र आयुक्त 17 दिसम्बर 1973 के पूर्वाह्न से और अगला आदेश देने तक इंडियन इंस्टीट्यूट आफ हैंडलूम टेकनालाजी, सेलम के टेकनीकल अन्वेषक श्री एस० रवीन्द्रन् को उसी संस्था में सहायक निदेशक, द्वितीय श्रेणी (पी० और डी०) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

सं० ई० एस० टी० 1-2/613—वस्त्र आयुक्त अपने बम्बई स्थित कार्यालय के लागत अन्वेषक श्री सी० जे० मेथ्यू को 21 नवम्बर 1973 के पूर्वाह्न से, और अगला आदेश देने तक, बुनकर सेवा केन्द्र, बंगलूर में सहायक-निदेशक द्वितीय श्रेणी (नान टेकनीकल) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

सं० ई० एस० टी० 1-2 (612)—वस्त्र आयुक्त 1 दिसम्बर 1973 के पूर्वाह्न से और अगला आदेश देने तक श्री पी० वी० माथुर को वस्त्र आयुक्त के प्रादेशिक कार्यालय अहमदाबाद में सहायक निदेशक द्वितीय श्रेणी (पी० और डी०) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

बि० ना० बसु,
उप-निदेशक (प्रशासन)

वाणिज्य मंत्रालय
पटसन आयुक्त का कार्यालय

दिनांक 1 फरवरी 1974

सं० जुट (ए)/147/65-II पटसन आयुक्त, कलकत्ता 19 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक श्री के० के० दास, निरीक्षक (टेक०) को श्री बी० एन० बसु के पदोन्नति होने पर उसी कार्यालय में सहायक निर्देशक (टेक०) नियुक्त करते हैं ।

सं० जुट (ए)/147/65-II पटसन आयुक्त, फरवरी 1974 के पूर्वाह्न से 30 मार्च, 1974 तक श्री एस० के० हजरा, निरीक्षक

(नम् टेक०) को श्री के० पी० दास के छुट्टी पर जाने पर इसी कार्यालय में स्थानापन्न क्षमता में सहायक निर्देशक (निर्यात) नियुक्त करते हैं ।

एन० के० राय,
प्रशासनिक अधिकारी
वास्ते पटसन् आयुक्त

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

विपणन और निरीक्षण निदेशालय

(प्रधान शाखा कार्यालय)

नागपुर, दिनांक 20 नवम्बर 1973

सं० फा० 3(13)/51/72-वि० II खण्ड II—वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सीमा शुल्क अधिसूचना सं० 48, दिनांक 24 मई 1954 सं० 173, दिनांक 29 दिसम्बर 1954 और सं० 5, दिनांक 14 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं एतद्द्वारा श्री जी० एच० धनकर, सहायक विपणन अधिकारी को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से ऊन, दृढ़लोम तथा बकरी के बालों के लिए जिनका श्रेणीकरण क्रमश : ऊन श्रेणीकरण और चिह्न (संशोधन) नियम 1962, दृढ़लोम श्रेणीकरण और चिह्न (संशोधन) नियम 1973 और बकरी के बाल श्रेणीकरण और चिह्न (संशोधन) नियम 1962 के अनुसार किया जा चुका है तथा जिनका निर्यात उपरोक्त अधिसूचनाओं के उपबन्धों के अधीन है, श्रेणीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत करता हूं ।

फरीदाबाद, दिनांक 4 जनवरी 1974

सं० 3/353/73 प्र० फरी० I—पदोन्नति होने पर श्री के० एस० कामथ, सहायक विपणन अधिकारी, सगंध तेल श्रेणीकरण योजना, राजकोट को घी श्रेणीकरण योजना राजकोट में स्थानापन्न विपणन अधिकारी के पद पर तारीख 20 दिसम्बर, 1973 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया गया है ।

सं० फा० 3/357/74-प्र० फरी० I—श्री डी० एन० तिवारी वरिष्ठ निरीक्षक को ऊन, दृढ़लोम और अजालोम श्रेणीकरण योजना, फरीदाबाद में तारीख 4 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक तदर्थ रूप में स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है ।

दिनांक 12 फरवरी 1974

सं० फाइल 3/354-प्र० फरी० I—श्री के० के० जियन, वरिष्ठ निरीक्षक को सनाय के पत्ते और फली श्रेणीकरण योजना तूतीकोरन में तदर्थ रूप में स्थानापन्न सहायक विपणन अधिकारी के पद पर तारीख 3 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया गया है ।

सं० फाइल 3/68/66-प्र० फरी० I—श्री एम० बी० के० राव, सहायक विपणन अधिकारी, ऊन, दृढ़लोम और अजालोम श्रेणीकरण योजना, नागपुर को विभिन्न गुण नियंत्रण योजना के प्रशासन हेतु योजना, विपणन और निरीक्षण निदेशालय नागपुर में तदर्थ रूप में स्थानापन्न विपणन अधिकारी के पद पर तारीख 15 दिसम्बर, 1973 के पूर्वाह्न से अगले आदेश होने तक नियुक्त किया गया है ।

एन० के० मुरलीधर राव,
कृषि विपणन सलाहकार

(राष्ट्रीय शर्करा संस्था)

(खाद्य विभाग)

कानपुर, दिनांक 7 जनवरी 1974

सं० श्री वी० सीतारामय्या, हिन्दी व कल्याण अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्था, कानपुर दिनांक 22-1-74 के अपराह्न से जनसेवा से निवृत्ति होने पर अपने पदभार से मुक्त हो गए ।

सोहन लाल सक्सेना,
निदेशक

विस्तार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1974

सं० 12-13/73-सि० (प्रथम)—कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) की विभागीय पदोन्नति समिति (श्रेणी द्वितीय) की सिफारिशों के फलस्वरूप आजकल प्रशासन अधिकारी के पद पर नियमित रूप से स्थानापन्न श्री इन्द्र जीत कपूर की विस्तार निदेशालय कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में सहायक प्रशासन अधिकारी सा० सि० सेवा श्रेणी द्वितीय (राजपत्रित) (लिपिक वर्गीय) के स्थायी पद पर 350-25-500-30-590द० रो०-30-800द० रो-30-830-35-900 रुपए के वेतनमान में दिनांक 28-8-1973 से मौलिक नियुक्ति कर दी गयी है ।

निर्मल कुमार दत्त,
प्रशासन निदेशक

भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षण विभाग

कलकत्ता-12, दिनांक 19 जनवरी 1974

सं० एफ० 92-44-73-स्थापना-1053—श्री एस० के० चन्दा, वरिष्ठ प्राणि विज्ञान सहायक को पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र, भारतीय प्राणि विज्ञान सर्वेक्षणा विभाग, शिलांग के अन्तर्गत सहायक प्राणि वैज्ञानिक के पद पर अस्थायी आधार पर 4 जनवरी, 1974 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक किया जा रहा है ।

दिनांक, 5 फरवरी 1974

सं० एफ० 92-27-73-स्थापना-1586—श्री एम० श्रीनिवासन को सहायक प्राणि वैज्ञानिक (राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी) के पद पर, अस्थायी आधार पर आगामी आदेशों तक, 18 जनवरी

1974 (पूर्वाह्न) से दक्षिणी क्षेत्रीय-केन्द्र, भा० प्रा० वि० सर्वेक्षण विभाग, मद्रास के अन्तर्गत नियुक्त किया जा रहा है ।

डा० एस० खेरा
उप-निदेशक-प्रभारी
भारतीय प्राणि विज्ञान सवक्षण विभाग,

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग

निदेशक का कार्यालय

कलकत्ता-13, दिनांक 24 जनवरी 1974

सं० बी० एस० आ० ई०—69/2/73-सिव्वंदी—इस कार्यालय अधिसूचना सं०-बी० एस० आई०-69/2/67-सिववंदी, दिनांक 23 सितम्बर, 1968, को आशोधन करते हुए, श्री के० डी० मुखर्जी, जोकि भारतीय वनस्पति उद्यान के वैज्ञानिक (हार्टि कलचर) के पद में (वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-ई० बी-30-800) स्थानापन्न रूप से भारतीय वनस्पति उद्यान के किउरेटर के पद पर स्थायी रूप से हैं, उनको एड-हक रूप से वैज्ञानिक (हार्टि-कलचर) के पद पर 1-5-1965 से आगामी आदेश जारी होने तक उसी पद का कार्यभार संभालने के लिए आदेश दिया जाता है ।

विज्ञान और औद्योगिकी विभाग

कलकत्ता-13, दिनांक 4 फरवरी 1974

सं०-बी० एस० आई०-66/86/74-सिववंदी—विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिश पर, श्रीमती कल्पना नाग, वैज्ञानिक सहायक, भा० व० स० विभाग, को नियक्त भा० व० स० विभाग के सेंट्रल नेशनल हारबरियम, हावड़ा म द्वितीय श्रेणी के पद वैज्ञानिक वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-ई० बी०-30-800, में 27 दिसम्बर, 1973 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश जारी होने तक किया जाता है ।

सं०-बी० एस० आई०-66/87/74-सिववंदी—विभागीय पदोन्नति समति के सिफारिश पर, श्री डी० के० बनर्जी, वैज्ञानिक सहायक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग को, नियुक्ति स्थानापन्न रूप से भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के सेंट्राल नेशनल हारबरियम, हावड़ा में द्वितीय श्रेणी पद वैज्ञानिक (वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-ई० बी०-30-800) के रूप में 26 दिसम्बर, 1973 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश जारी होने तक किया जाता है ।

आर० पी० पाटिल,
निदेशक-प्रभारी

कलकत्ता-13, दिनांक 2 फरवरी, 1974

सं०-बी० एस० आई-69/2/73-सिववंदी—विभागीय पदोन्नति समिति के सिफारिश पर, निदेशक प्रभारी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग, निम्नलिखित पदाधिकारी अफसरों को उनके नामों के साथ दिए गए द्वितीय श्रेणी पद में स्थानापन्न रूप से नियमित रूप से 1 फरवरी, 1974 से आगामी आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं —

क्र० सं०	नाम	वर्तमान पद
1.	श्री के० डी० मुकर्जी	किउरेटर (आई० बी० जी०)
2.	श्री एस० के० बासू	किउरेटर (आई० बी० जी०)
3.	श्री डी० पी० मुखोपाध्याय	सहायक किउरेटर (आई० बी० जी०)
4.	श्री एच० एस० पांडे	गार्डेन सुपरवाईजर (रु० 210—425)
5.	श्र मी० मी० निशल	गार्डेन सुपरवाईजर (रु० 210—425)

जिस पद में नियमित होंगे	वेतनमान
वैज्ञानिक (हार्टिकलचर) (आई० बी० जी०)	रु० 350-25-500-30-590- ई० बी०-30-800 ।
वैज्ञानिक (हार्टिकलचर) (आई० बी० जी०)	रु० 350-25-500-30-590-ई० बी०-30-800 ।
वैज्ञानिक (हार्टिकलचर) आई० बी० जी०) ।	रु० 350-25-500-30-590-ई० बी०-30-800 ।
जनि० साईन्टीफिक अफसर (आई० बी० जी०) ।	रु० 350-25-575 ।
सहायक किउरेटर (आई० बी० जी०) ।	रु० 325-15-475-ई० बी०-20-575 ।

डी० जी० मुकर्जी,
वरिष्ठ प्रशासकीय अफसर

परमाणु ऊर्जा विभाग

भारी-पानी परियोजनाएं

बम्बई-400008, दिनांक 14 जनवरी 1974

सं० 05000/आर०/48/356—भारी पानी परियोजनाओं के विशेष कार्य अधिकारी श्री कृष्णराजपत शर्मा राव रघुनन्दन को 6 दिसम्बर, 1973 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए भारी पानी परियोजना (ट्यूटीकोरिन) में अस्थायी रूप में जनसम्पर्क अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

टी० सी० सत्यकीर्ति
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

क्रय तथा भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 21 जनवरी 1974

सं० डी० पी० एस०/ए०/22011/6/73-स्थापना/403—निम्नलिखित अधिकारियों ने उनका अंतरण परमाणु ऊर्जा विभाग के विद्युत् परियोजना इंजीनियरी प्रभाग से होने पर परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशालय में । जनवरी 1974 के पूर्वाह्न से उनके नामों के सामने लिखे पदों का कार्यभार संभाल लिया :

नाम	पद
1. श्री वी० भूतलिंगम	सहायक क्रय अधिकारी
2. श्री बी० एल० ठाकुर	—यथोपरि—
3. श्री ई० वाई० कलीमुद्दीन	—यथोपरि—
4. श्री जे० जी० सिंह	—यथोपरि—
5. श्री टी० पी० जोसफ	—यथोपरि—
6. श्री एस० एस० प्रधान	—यथोपरि—
7. श्री वी० पी० नम्बियार	सहायक भंडार अधिकारी
8. श्री ए० आर० तोंदवालकर	—यथोपरि—

दिनांक 23 जनवरी 1974

सं० डी० पी० एस०/35011/1/73-स्थापना/391—निदेशक क्रय एवं भंडार, मुख्य लेखा कार्यालय, गुजरात के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री बी० आर० नटराजन को जो इस निदेशालय में प्रतिनियुक्त हैं, 15 जनवरी, 1974 से 31 मार्च 1974 की अवधि तक के लिए इसी निदेशालय के तदर्थ रूप से अस्थायी सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 28 जनवरी 1974

सं० डी० पी० एस०/ए०/11013/4/73-स्थापना/390—परमाणु ऊर्जा विभाग के क्रय एवं भंडार निदेशक, क्रय एवम् भंडार निदेशालय के स्थायी उच्च श्रेणी लिपिक तथा स्थानापन्न भंडारी श्री अवतार सिंह पुंज को 7 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए इसी निदेशालय में स्थानापन्न सहायक भंडार अधिकारी नियुक्त करते हैं।

के० शंकरनारायणन्,
प्रशासन अधिकारी

सिविल इंजीनियरी ग्रुप

कलपक्कम 603102, दिनांक 1 फरवरी 1974

सं० सी० ई० जी०/1(6)/66-भर्ती/पी०-1259/393—परमाणु ऊर्जा विभाग की कलपक्कम स्थित परियोजनाओं के मुख्य इंजीनियर (सिविल) सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप, कलपक्कम के अर्ध-स्थायी पर्यवेक्षक श्री वी० जयरामन को कलपक्कम स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाओं के सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में 1 फरवरी, 1974 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक के लिए अस्थायी रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर एस० ई० नियुक्त करते हैं।

वी० एस० वेंकटेश्वरन,
प्रशासन एवं लेखा अधिकारी।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400 085 दिनांक 24 जनवरी 1974

सं० 19(6)/(एस० बी०)/70-स्थापना XIII/139:—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को मौलिक रूप से प्रत्येक के सामने दिखाये हुये दिनांक से वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर श्रेणी-एस० बी० के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	स्थायी/स्थानापन्न रूप में वर्तमान पद	प्रभाग	स्थायीकरण का दिनांक
1	2	3	4	5
1.	एच एस० रामस्वामी	फौरमैन/एस० सी० 1	संपदा प्रबंध का निदेशालय	1-8-68
2.	वाई पी० अगाशे	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	भारी पानी परियोजनायें (कोटा)	1-8-68
3.	हरवंश सिंह	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	—वही—	1-8-68
4.	सी० एस० नटराजन	फौरमैन/एस० डी० 1	रिऐक्टर नियंत्रण	1-8-68
5.	वाई० डी० दारूखानावाला	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	इलैक्ट्रानिकी	1-8-68
6.	टी० जी० कुटिन्हो	एस० ए० (बी०)/एस० सी० 1	जैव और कृषि	1-8-68

1	2	3	4	5
7.	सी० आर० कल्याणी	फोरमैन/एस० सी० 1	ईंधन पुनर्संसाधन	1-2-69
8.	के० के० बरमन	फोरमैन/एस० सी० 1	भारी पानी प्रभाग	1-2-69
9.	बी० के० वार्टी	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	परमाणु ईंधन	1-2-69
10.	एस० एस० थापर	ड्राफ्टमैन (सी०)/एस० बी०	रिऐक्टर परिचालन	1-2-69
11.	एच० सी० धाल	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	रिऐक्टर नियंत्रण	1-2-69
12.	आर० एम० पटेल	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	रिऐक्टर नियंत्रण	1-2-69
13.	एस० अरवमूथन	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	रिऐक्टर अनुसंधान	1-2-69
14.	एम० कृष्णस्वामी	फोरमैन/एस० सी० 1	ईंधन पुनर्संसाधन	1-8-69
15.	एस० जे० भूत	फोरमैन/एस० सी० 1	केन्द्रीय वर्कशाप	1-8-69
16.	एल० जी० भिडे	एस० ए० (सी०) /एस० बी० 1	तकनीकी भौतिकी	1-8-69
17.	जी० आर० सुब्बाराव	फोरमैन/एस० सी० 1	तकनीकी सेवायें	1-8-69
18.	के० आर० धाल	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	न्यूक्लीय भौतिकी	4-8-69
19.	एस० अंबिकादास	फोरमैन/एस० सी०-1	भारी पानी परियोजनायें (तलचर)	1-2-70
20.	बी० बी० कामत	एस० ए० (सी०)/एस० सी० 1	रिऐक्टर नियंत्रण	1-2-70

सं० 19(6)/(एस० बी०)/70-स्थापना- XIII/138:—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को प्रत्येक के सामने दिखाये हुये दिनांक से मौलिक रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर श्रेणी-एस० बी० नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम	स्थाई/स्थानापन्न रूप में वर्तमान पद	प्रभाग	स्थायीकरण का दिनांक
1.	आर० राजगोपालन	-/एस० सी० 1	टकनीकी सेवायें	1-8-68
2.	कुमारी ए० के० अहमद	-/एस० डी० 2	आयुर्विज्ञान	2-8-68
3.	एम० एस० कुरूप	-/एस० सी० 1	सिविल इंजीनियरिंग	14-7-69
4.	एस० के० वेरुलकर	-/एस० सी० 1	केन्द्रीय वर्कशाप (परिवहन)	1-8-69
5.	ए० सी० त्रिवेदी	-/एस० सी० 1	तकनीकी सेवायें	11-8-69
6.	एम० के० शेल्के	-/एस० बी०	ट्रांबे टाउनशिप परियोजना	12-8-69

एल० एच० मीरचंदानी
स्थापना अधिकारी

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

देहरादून, दिनांक 7 फरवरी 1974

सं० 16/229/73-स्था० 1—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून श्री बलबीर इन्द्र बाली, अनुसंधान सहायक, प्रथम वर्ग, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय को दिनांक 19-12-73 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उसी कार्यालय में अस्थायी रूप में अनुसंधान अधिकारी सहर्ष नियुक्त करते हैं।

दिनांक 8 फरवरी 1974

सं० 16/224/73-स्था० 1—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, देहरादून सहर्ष आदेश देते हैं कि इस कार्यालय के इसी संख्या के ज्ञापन दिनांक 18-12-73 द्वारा संस्वीकृत की गई 13 दिन की छुट्टी की समाप्ति पर श्री आर० एल० खुराना, को दिनांक 31-12-73 के अपराह्न से अपने अनुसंधान अधिकारी पद के कर्त्तव्यों से कार्यमुक्त हुआ माना जाएगा।

व० शि० बिन्द्रे,
कुलसचिव,
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय।

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-13, दिनांक 8 फरवरी 1974

सं० 2339 (एन० एस० एम०)/19-बी० —भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी) श्री एन० श्रीरामा मुर्थी को सहायक भूभौतिकीविद् के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 रु० के वेतनमान में अस्थाई क्षमता में आगामी आदेश आने तक, 5 दिसम्बर, 1973 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्ति किया जाता है ।

दिनांक 11 फरवरी 1974

सं० 2251 (के० के० एस०)/19-बी—भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ ड्रिलिंग सहायक श्री के० के० सरीन को ड्रिलर के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में वेतन नियमानुसार 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 रु० के वेतनमान में अस्थाई क्षमता में आगामी आदेश आने तक, 19 दिसम्बर, 1973 के पूर्वाह्न से पदोन्नति पर नियुक्त किया जाता है ।

एम० के० राय चौधरी,
महानिदेशक

औद्योगिक विकास मंत्रालय

विकास आयुक्त (ल० उ०) का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जनवरी 1974

सं० ए०-19018 (114)/73-प्रशा० (राजपत्रित)—विकास आयुक्त, लघु उद्योग श्री के० ए० कालघटगी, लघु उद्योग संवर्द्धन अधिकारी, को गुजरात राज्य वित्त निगम में अपनी प्रतिनियुक्ति से वापस आ जाने पर लघु उद्योग सेवा संस्थान, गौहाटी में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-2) के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं । श्री कालघटगी ने 15–12–73 को पूर्वाह्न में उक्त पदभार ग्रहण कर लिया ।

दिनांक 5 फरवरी 1974

सं० ए०-19018 (98)/73-प्रशा० (राजपत्रित)—विकास आयुक्त, लघु उद्योग श्री एच० सी० भारतीय को, जो लघु उद्योग सेवा संस्थान, पटना में लघु उद्योग सम्वर्द्धन अधिकारी हैं, पटना के लघु उद्योग सेवा संस्थान में ही स्थानापन्न सहायक निदेशक (ग्रेड-II) के रूप में तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । पदोन्नति हो जाने के फलस्वरूप श्री भारतीय ने उक्त पद का भार 17-9-73 के पूर्वाह्न से ग्रहण कर लिया ।

क० वे० नारायणन्,
उप-निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली, दिनांक 5 फरवरी 1974

सं० ए०-19018/80/73-प्रशासन (राजपत्रित)—दिनांक 6-11-73 को जारी की गई इसी कार्यालय की उपर्युक्त अधिसूचना में निम्नलिखित शुद्धियां की जायेंगी :

जहां कहीं भी "जी० एस० मोहनी" आया हो वहां "एस० जी० मोहनी" पढ़ा जाये ।

क० वे० नारायणन्,
उप-निदेशक (प्रशासन),
कृते विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

(प्रशासन शाखा-6)

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 फरवरी 1974

सं० प्र०-6/247(592)/67—राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा श्रेणी-I के ग्रेड-III की इंजीनियरी शाखा के निरीक्षण अधिकारी श्री जी० राम दास को दिनांक 22-1-74 के अपराह्न से तथा आगामी आदेशों के जारी होने तक सेवा के ग्रेड-II की इंजीनियरी शाखा में उप निदेशक निरीक्षण के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं ।

श्री राम दास ने निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) का पद भार छोड़ दिया और 22-1-74 के अपराह्न से कलकत्ता निरीक्षण मंडल में उप निदेशक निरीक्षण (इंजीनियरी) का पदभार संभाल लिया ।

सं० प्र०-6/247 (244)/59/II—राष्ट्रपति, सहायक निरीक्षण अधिकारी (इंजीनियरी) श्री आर० पी० सहगल को दिनांक 7-12-73 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों के जारी होने तक भारतीय निरीक्षण सेवा श्रेणी-I के ग्रेड-III की इंजीनियरी शाखा में स्थानापन्न निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं ।

श्री सहगल ने उत्तरी निरीक्षण मंडल के उप कार्यालय जलन्धर में सहायक निरीक्षण अधिकारी का पदभार छोड़ दिया और उसी कार्यालय में 7-12-73 के पूर्वाह्न से निरीक्षण अधिकारी इंजीनियरी का पदभार संभाल लिया ।

एस० के० जोशी,
उप-निदेशक (प्रशासन)

नई दिल्ली-1, दिनांक फरवरी 1974

सं० प्र०-6/247 (217)—श्री के० सी० दत्ता जो भारतीय निरीक्षण सेवा धातुकर्म शाखा की श्रेणी-I के ग्रेड-II में स्थायी अधिकारी हैं और जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के अधीन धातुकर्म निरीक्षणालय वर्नपुर में सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न निरीक्षण निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे दिनांक 31-12-73 के अपराह्न से निवर्तन आयु होने पर सरकारी सेवा से निवृत्त हो गये ।

सं० ए०/17011(59) 73-प्र०-6—निरीक्षण निदेशक, मद्रास के कार्यालय में स्थानापन्न सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) श्री ए० आर० हुसैनी दिनांक 31-12-73 के अपराह्न से उसी कार्यालय में भंडार परीक्षक (वस्त्र) के पद पर पदावनत हो गये ।

एस० के० जोशी,
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

कार्यालय, महानिदेशक नागर विमानन

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी 1974

सं० ए०-32013/3/72-ई० ए०—राष्ट्रपति ने निम्नलिखित सहायक विमानक्षेत्र अधिकारियों को उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से अगले आदेश जारी होने तक नागर विमानन विभाग के विमान मार्ग और विमानक्षेत्र संगठन में स्थानापन्न रूप में विमान-क्षेत्र अधिकारियों के पद पर नियुक्त किया है :—

क्रम सं०	नाम	स्टेशन	तारीख
1.	श्री पन्नालाल . .	ऊधमपुर	21-1-74
2.	श्री चाननसिंह . .	भावनगर	24-12-73
3.	श्री कृपा शंकर . .	केशोड़	11-1-74

सुरजीत लाल खण्डपुर,
सहायक निदेशक (प्रशासन)

निर्माण और आवास मंत्रालय

प्रमुख इंजीनियर कार्यालय

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी 1974

सं० 33/9/72-प्रशा०-4—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रमुख इंजीनियर श्री बी० एच० काम्बले को इस कार्यालय के ज्ञापन सं० 33/9/72-प्रशा०-4, दिनांक 28-12-72 में दी हुई शर्तों पर भत्तों सहित 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000-द० रो०–40–1200 रु० के वेतनमान में लेखापरीक्षा द्वारा नियत किए जाने वाले वेतन पर 1-1-74 (पूर्वाह्न) से अस्थायी महायक वास्तुक नियुक्त करते हैं ।

भगवत प्रसाद पाठक,
प्रशासन उप-निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1974

सं० 5/2/71-ई० सी०-1—राष्ट्रपति, 1972 में हुई इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर श्री अनिल पुरी को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अस्थायी सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत्) के पद पर 11 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न से परिवीक्षाधीन नियुक्त करते हैं ।

धन राज,
प्रशासन उप-निदेशक

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

फरीदाबाद, दिनांक 5 फरवरी 1974

सं० 3-322/73-सी० एच० ई०—डा० के० एस० वी० आर० राव को दिनांक 11-1-74 (पूर्वाह्न) से सहायक जल भू विज्ञानी वर्ग-II (राजपत्रित) को स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में उनके मुख्यालय नागपुर में रु० 400 प्रतिमास एवं अन्य भत्तों के साथ रु० 350–25–500–30–590–ई० बी०–30–800–ई० बी०–30–830–35–900 के वेतनमान से अगले आदेश तक नियुक्त किया जाता है ।

डी० एस० देशमुख,
मुख्य जल भू विज्ञानी

केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग

(जल स्कंध)

नई दिल्ली-22, दिनांक 30 जनवरी 1974

सं० क-19012/464/73-प्रशासन-5—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग एतद्द्वारा श्री बद्री नारायण राम को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक के रूप में स्थानापन्न क्षमता में पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं । जब वे अतिरिक्त सहायक निदेशक के रूप में तदर्थ रूप में नियुक्त रहेंगे तो उन्हें 4-1-74 (पूर्वाह्न) से आगे आदेश होने तक पर्यवेक्षक के ग्रेड-वेतन के अतिरिक्त 10 प्रतिशत भत्ते का अधिकार होगा ।

श्री बद्री नारायण राम ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल स्कंध) में अतिरिक्त सहायक निदेशक का कार्यभार उपरोक्त समय तथा दिनांक से संभाल लिया है ।

दिनांक 31 जनवरी 1974

सं० 19012/465/74-प्रशासन-5—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग एतद्द्वारा श्री एस० एम० कन्सल को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक के रूप में स्थानापन्न क्षमता में पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं । जब वे अतिरिक्त सहायक निदेशक के रूप में तदर्थ रूप में नियुक्त रहेंगे तो उन्हें 15-1-74 के पूर्वाह्न से आगे आदेश होने तक पर्यवेक्षक के ग्रेड-वेतन के अतिरिक्त 10 प्रतिशत भत्ते का अधिकार होगा ।

श्री एस० एम० कन्सल ने केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग (जल स्कंध) में अतिरिक्त सहायक निदेशक का कार्यभार उपरोक्त समय एवं तिथि से संभाल लिया है ।

मोहन लाल नन्दा,
अवर सचिव

नई दिल्ली-22, दिनांक 1 फरवरी 1974

सं० क-19012/448/73-प्रशासन-5—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग एतद्द्वारा श्री किशोर कुमार सिंह को केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में सहायक इंजीनियर के रूप में स्थानापन्न होने के लिए पूर्णतः अस्थायी तथा तदर्थ रूप में नियुक्त करते हैं । उनके 27-10-73 (अपराह्न) से जब तक, आगे आदेश नहीं होते, तदर्थ रूप में सहायक इंजीनियर के रूप में

नियुक्त होने पर उन्हें पर्यवेक्षक के पद का अपना ग्रेड वेतन तथा दस प्रतिशत भत्ता प्राप्त करने का अधिकार होगा ।

श्री किशोर कुमार सिंह ने उपरोक्त तारीख तथा समय से केन्द्रीय निस्सरण वृत्त, हैदराबाद के अन्तर्गत पूर्वी गोदिंग उप प्रभाग, शिलांग में सहायक इंजीनियर के पद का कार्यभार संभाल लिया है ।

मोहन लाल नन्दा,
अवर सचिव
कृते, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग ।

अन्तरिक्ष विभाग

सिविल इंजीनियरी प्रभाग

बंगलौर-560009, दिनांक 31 जनवरी, 1974

सं० 10/3(33)/73-सि० इ० डी० (एच०)—अन्तरिक्ष विभाग, सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्ता, अन्तरिक्ष विभाग के स्थायी सहायक श्री आर० एस० सुब्रह्मणियन को सिविल इंजीनियरी प्रभाग में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर, 19 दिसम्बर, 1973 (पूर्वाह्न) से, आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं ।

दिनांक 5 फरवरी, 1974

सं० 10/7(133)/73-सि० इ० डी० (एच०)—अन्तरिक्ष विभाग, सिविल इंजीनियरी प्रभाग के मुख्य अभियन्ता, सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे, श्री बी० नरसिम्हन को सिविल इंजीनियरी प्रभाग में नियमित रूप से स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर, 26 अगस्त, 1973 से आगामी आदेश तक, नियुक्ति को जारी रखते हैं ।

पी० आई० यू० सम्बियार,
प्रशासन अधिकारी,
कृते मुख्य अभियन्ता ।

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1974

सं० 73/डब्ल्यू० 6/टी० के०/34—एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) ने निम्नलिखित खण्डों के अनुरक्षण को मध्य रेलवे से पश्चिम रेलवे और दक्षिण-मध्य रेलवे को स्थानान्तरित करने का अनुमोदन कर दिया है :—

(i) मध्य रेलवे से पश्चिम रेलवे को ।

खण्डवा–रतलाम खण्ड में कि० मी० 630/2-1/2 से 630/4 तक 183 फुट लम्बा मीटर आमान का रेल पथ । अधिकार क्षेत्र का सीमा-बिन्दु अब खण्डवा और अजंती के बीच 630/4 कि० मी० होगा ।

(ii) मध्य रेलवे से दक्षिण-मध्य रेलवे को ।

खण्डवा–पूर्णा खण्ड में कि० मी० 947.00 से 948.83 तक-1.83 कि० मी० मीटर आमान का रेल पथ । अधिकार क्षेत्र का सीमा-बिन्दु अब 947.00 कि० मी० होगा ।

ये समंजन रेल पथ के समुचित अनुरक्षण के हित में किये गये हैं ।

अमृतलाल गुप्ता,
सचिव, रेलवे बोर्ड ।

उत्तर रेलवे

प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 1974

सं० 752-ई०/167-आर०-2 (ई०/ए०)—श्री राजेश बहादुर, सहायक कार्मिक अधिकारी, उत्तर रेलवे जो 10-10-73 से 6-2-74 तक सेवा निवृत्ति पूर्व छुट्टी पर थे, 6-2-74 अपराह्न से रेल सेवा से अंतिम रूप से सेवा निवृत्त हो गए हैं ।

रेलवे बोर्ड के 18-12-73 के पत्र सं० पी० सी०-3-73/आर० टी०/4 के अनुसार उन की सेवा निवृत्ति की तारीख 6-2-74 अपराह्न की बजाए 28-2-74 अपराह्न होगी और 7-2-74 से 28-2-74 की अवधि सभी प्रयोजनों के लिए ड्यूटी समझी जाएगी ।

सी० एस० परमेश्वरन,
महाप्रबन्धक ।

आयकर अपीलीय अधिकरण

बम्बई-20, दिनांक 2 फरवरी, 1974

सं० एफ० 48-एडी० (एटी)/73—श्री एम० एम० प्रसाद स्थानापन्न अधीक्षक, जो तदर्थ आधार पर आयकर अपीलीय अधिकरण, बम्बई में नियुक्त किए गये थे और जिनको सहायक रजिस्ट्रार, आयकर अपीलीय अधिकरण बम्बई न्यायपीठ, बम्बई के पद पर तदर्थ आधार पर अल्पावधिक अवकाश रिक्ती श्री जे० के० शर्मा के कारण इस कार्यालय की अधिसूचना सं० एफ० 48 (एडी० (एटी०)/73, दिनांक 19-11-1973 द्वारा दिनांक 19-11-73 पूर्वाह्न से अग्रतर आदेश जारी होने तक कार्य करने के लिये नियुक्त किया गया था उनको अभी दिवंगत श्री जे० के० शर्मा के कारण दिनांक 4-12-73 से दिनांक 18-5-74 के अग्रतर कालावधि तक या इस पद पर संघ लोक सेवा आयोग से चुने हुए अधिकारी की नियमित रूप से नियुक्ति हो जाए, जो भी अग्रसर हो तब तक आयकर अपीलीय अधिकरण बम्बई न्यायपीठ, बम्बई में सहायक रजिस्ट्रार के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिये अनुमति दी जाती है ।

हरनाम शंकर, अध्यक्ष,
आयकर अपीलीय अधिकरण ।

निरीक्षण निदेशालय,

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी, 1974

सं० 3/1974—श्री परिमल सेन ने, जो कलकत्ता तथा उड़ीसा समाहर्तालय, कलकत्ता में द्वितीय श्रेणी के अधीक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे, दिनांक 18 सितम्बर, 1973 के पूर्वाह्न से निरीक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, के पूर्व

प्रादेशिक एकक कलकत्ता में निरीक्षण अधिकारी श्रेणी II का कार्य-भार संभाल लिया है ।

दिनांक 5 फरवरी, 1974

सं० 4/1974—श्री ए० के० मंणारमानी, जो निरीक्षण निदेशालय, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली में स्थाई कार्यालय अधीक्षक हैं और श्री हरि देव शर्मा के छुट्टी जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर स्थानापन्न रूप से सहायक मुख्य लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त है, को अगला आदेश होने तक 1-2-74 से श्री एच० एन० वर्मा को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तम्बाकू विशेषज्ञ कमेटी में प्रतिनियुक्ति होने पर, इस निदेशालय में उसी स्थान पर स्थानापन्न रूप से तथा अगला आदेश होने तक काम करते रहने की अनुमति दी गई है ।

(ह०) अपठनीय

निरीक्षण, निदेशक,
सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता का कार्यालय

बंगलौर, दिनांक 30 जनवरी, 1974

सं० 11/73—श्री एम० एस० अल्वा, स्थायी प्रवरण ग्रेड निरीक्षक, को 30-11-73 के पूर्वाह्न से, अगला आदेश होने तक, रुपये 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800 द० रो०–30–830–35–900 के समय-मान में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का स्थानापन्न अधीक्षक, श्रेणी-2, नियुक्त किया गया है और निपानी प्रभाग के निपानी एम० ओ० आर० II में तैनात किया गया है ।

आर० बी० सिन्हा,
समाहर्ता

दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी 1974

स्थापना

सं० 16—इस समाहर्ता कार्यालय के श्री आर० डी० वासुदेव निरीक्षक (व० ग्रे०) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क को 350–25–500–30–590–द० रो०–30–800–द० रो०–30–830–35–900 रु० के वेतनमान में, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क, श्रेणी 2 के रूप में, अगले आदेश होने तक, स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है । उन्होंने दिनांक 23 जनवरी, 1974 के पूर्वाह्न में, अधीक्षक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क, श्रेणी 2, बहन-पत्र, प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया ।

मणिकान्त सोमनाथ मेहता,
समाहर्ता

बड़ौदा, दिनांक 28 दिसम्बर 1973

सं० 15/73-मि०—श्री टी० एफ० वासवाणी, निरीक्षक (एम० जी०) ने, जिनको इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं० 213/73 दिनांक 15-10-73 के अधीन स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वर्ग 2 नियुक्त किया गया था, दि० 8-11-73 की पूर्वाह्न में, अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, वर्ग 2 का कार्यभार संभाल लिया है ।

डी० एन० लाल,
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बड़ौदा ।

कानपुर, दिनांक 23 जनवरी, 1974

सं० 16/74—अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा सहायक समाहर्ता, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आगरा के कार्यालय में कुछ दिन पहले पदस्थापित श्री आर० पी० कक्कड, स्थानापन्न अधीक्षक, के० उ० शु० श्रेणी 1 की दिनांक 26-12-73 को हुई मृत्यु दुख के साथ अधिसूचित की जाती है ।

जे० दत्ता,
कलैक्टर

कम्पनियों के रजिस्टार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं दान्डेकर इंजीनियरिंग प्राइवेट लि० के विषय में

बम्बई, दिनांक 8 फरवरी, 1974

सं० 2767/560(3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर दान्डेकर इंजीनियरिंग प्रावेइट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

एस० नारायणन,
कम्पनियों का अतिरिक्त रजिस्ट्रार, महाराष्ट्र ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और दास ब्रादर्स प्रिंटिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

सं० 16200/560 (3)—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर दास ब्रादर्स प्रिंटिंस वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

टी० के० एस० विश्वस,
कम्पनियों का सहायक रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और पंचशीला पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

सं०—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पंचशीला पिक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

का नाम इसके प्रतिकूलकारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और विलासिनी ट्रेडिंग एन्ड चिट फन्डस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है यक इस तारीख से तीन मास के अवसान पर विलासिनी ट्रेडिंग एण्ड चिट फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारणदर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी ।

कम्पनी अधिनियम, 1956, और बिन्दुराज ट्रेडिंग एन्ड चिट फन्डस प्राइवेट लिमिटेड के विषय में ।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर बिन्दुराज ट्रेडिंग एंड चिट फन्ड्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्पित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी ।

के० के० धार
कम्पनियों का रजिस्ट्रार कर्नाटक, बैंगलूर

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क समाहर्तालय

बड़ौदा, दिनाँक 28 दिसम्बर 1973

सं० 14/1973 :—निम्नलिखित निरीक्षकों (एस० जी०) ने, जिनको इस कार्यालय के स्थापना आदेश सं० 202/1973 दिनाँक 29 सितम्बर, 1973 के अधीन, स्थानापन्न अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, वर्ग II नियुक्त किया गया था, उनके सामने दी गई तारीख से अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वर्ग II का कार्यभार सभाल लिया है।

क्रमाँक	अधिकारी का नाम	नियुक्ति स्थान	कार्य भार संभालने की तारीख
1	2	3	4
	सर्वश्री		
1.	आई० पी० देसाई	सीमा शुल्क गोडाऊन, अहमदाबाद, (अहमदाबाद समाहर्तालय)	8-10-73 (पूर्वाह्न)
2.	आर० एम० देसाई	वासद रेंज, आई० डी० आं० आनन्द	15-10-73 (पूर्वाह्न)
3.	एच० एफ० एस० पीरजादा	सी० आई० यू० मुख्यालय, अहमदाबाद, (अहमदाबाद समाहर्तालय)	12-10-73 (पूर्वाह्न)
4.	डी० टी० केशवाणी	एफ० एस० खम्भालिया, (अहमदाबाद समाहर्तालय)	22-10-73 (पूर्वाह्न)
5.	जे० एम० शाह	स्वर्ण कक्ष, मुख्यालय, बड़ौदा	4-10-73 (अपराह्न)

बी० एन० लाल,
समाहर्ता
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, बड़ौदा

प्ररूप आई०टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 31 जनवरी, 1974

निर्देश सं०-III-66/अर्जन/73-74/1522—यतः, मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज बिहार, पटना, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम पदाधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० वार्ड नं० 2, प्लोट नं० 762 इत्यादि है जो एक्जीवीशन रोड, पटना में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के आधीन 5-9-73

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और अतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री विजय कुमार वल्द स्व० श्री निवास राम, श्रीमति उर्मिला देवी जोजे-विजय कुमार, संजय कुमार 91-ई० एल०सी०आई०डी०, रीग रोड, बम्बई-6 ।

(अन्तरक)

(2) सरदार बहादुर सिंह वल्द श्री मोहन सिंह हरि मन्दिर, गली, थाना-चौक पटना सिटी ।

(अन्तरिती)

(3) श्रीमती सुशीला सिन्हा, एक्जीवीशन रोड, पटना-1 ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन सा०-एक्जीवीशन रोड, पटना-1, रकबा-2248.89 वर्ग फीट, हो० नं०-567/401 नया 316-पुराना, प्लोट नं० 762, सर्किल नं० 6, वार्ड नं० 2, सीट नं० 31 ।

ज्योतीन्द्र नाथ,
सक्षम पदाधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, बिहार, पटना

तारीख : 31-1-1974
मोहर :
(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 5 फरवरी 1974

निर्देश सं० अर्जन/30/कानपुर/2628 — यतः, मुझे, वाई० खोखर आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 122/722 है जो हरिहर नाथ, शास्त्री नगर, कानपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-9-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना और या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री असुदा सिंह पुत्र श्री पंजराम नि० 122/722, हरिहर नाथ, शास्त्री नगर, कानपुर

(अन्तरक)

(2) श्री जुमरामल पुत्र नानक राम व घनश्याम दास और द्वारिका प्रसाद पुत्र श्री जुमरामल, नि० 122/722 हरिहरनाथ, शास्त्री नगर, कानपुर।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक मंजिला मकान नं० 122/722 स्थित हरिहरनाथ, शास्त्री नगर, कानपुर।

वाई० खोखर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 5-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ-(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-II

मद्रास, दिनांक 8 फरवरी, 1974

निदेश सं० xvi/1/iii/30—यत: मुझे के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 15-ए० है जो गांधी रोड, सेलम-7 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे०एस० आर०III सेलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 10-9-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अत:, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री के० सुब्बारामन

(अन्तरक)

(2) श्री श्रीनिवास चेट्टियार, ब्रज लाल, रंगराजू, राजगोपाल, रामचन्द्रन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:——

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर, उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों, की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण——इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

टी० सर्वे सं० 3/2 ब्लाक 12 पेरियेरी गांव सिवसामिपुरम एक्सटेंशन गांधी रोड सेलम टाउन में स्थित 2334 स्क० फी० की खाली भूमि।

के० वी० राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास।

तारीख: 8-2-1974
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 फरवरी, 1974

निदेश सं० X/1(ii)/19/73-74— यत: मुझे के० वी० राजन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 131 है जो दक्षिण पेरुमाल मेस्तरी स्ट्रीट, मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे०एस०आर०II मदुरै में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 सितम्बर, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० भास्करन (अन्तरक)

(2) 1. श्री अब्दुल साहिब 2. श्रीएस० पी० अमीर अली साहिब 3. श्री हाजी ए० अब्दुल गफूर साहिब 4. श्री पी० फकीर मोहम्मद साहिब 5. श्री जी० अहमद मोर्फुदीन साहिब

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप; यदि कोई हों तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हो, कि सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण--इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डोर सं० 131 दक्षिण पेरुमाल मेस्तिरी स्ट्रीट मदुरै में 3366 स्क० फी० का मकान और खाली भूमि।

के० वी० राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास)।

तारीख : 8-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, I

मद्रास, दिनांक 8 फरवरी, 1974

निदेश सं० X/1 (ii)/20/73-74—यत: मुझे के० वी० राजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 131 है जोकि दक्षिण पेरुमाल मेस्तिरी स्ट्रीट में मदुरै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जे० एस० आर० II मदुरै में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 16 सितम्बर, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभि-लिखित किए गए हैं।

अत: , अब धारा 269-ग के अनसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० चन्द्रशेखरन्

(अन्तरक)

(2) 1. श्री अब्दुल लतीफ साहिब 2. श्री एस० पी० अमीर अली साहिब 3. श्री हाजी ए० अब्दुल गफूर साहिब 4. श्री एफ० जी० अहमद शेर्फुदीन 7. श्री पी० फकीर मोहम्मद साहिब । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डोर सं० 131 दक्षिण पेरुमाल मेस्तिरी स्ट्रीट मदुरै में 3366 स्क० फी० की मकान और खाली भूमि।

के० वी० राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, मद्रास

तारीख : 8-2-1974

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 फरवरी, 1974

निदेश सं० XII/23/7/73-74—यतः मुझे के० वी० राजन आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 61 है और जो नार्थ स्ट्रीट पुदुपेट्टै में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जे०एस०आर०-I पालयंकोट्टै में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 22-9-1973 को, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती अम्माकन्ड अम्माल राजगोपाल पिल्लै
(अन्तरक)

(2) श्री ए० रामस्वामी तेवर
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

डोर सं० 6 नार्थ स्ट्रीट पुदुपेट्टै पालयंकोट्टै में 31 सेंट्स की खाली भूमि और मकान।

के० वी० राजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I मद्रास)

तारीख : 8-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय,

अर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 19 फरवरी, 1974

निर्देश सं० एफ० नं० 3059/73-74—यतः मुझे ए० रागवेन्द्र राव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक और जिसकी सं० डी० सं० 5 सी० प्लाट सं० ए० 7/एन० यी० यी० डी० टी० एस० सं० 58 (भाग) दसवाँ क्रास, तील्लै नगर नीरुची में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नीरुची में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-9-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री पी० मोहन चन्द्र बाबू सं० 77 दसवाँ क्रास, तील्लै नगर, तीरुची।

(अन्तरक)

(2) श्री कन्नियम्माल के द्वारा (मैनर) आन्डोमुक्त 24, तेल्लुन्ग चेट्टी स्ट्रीट उरैयूर तिरुची।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तिरुची, तील्लै नगर दसवाँ क्रास, टी० एस० सं० 58 (भाग) प्लाट सं० ए० 7/एन० यी० यी० डी० सं० 5 सी० में भूमि और मकान (10246 स्कुयर फीट)।

ए० रागवेन्द्र राव
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास)

तारीख : 19-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त

अर्जन रेंज,-II

मद्रास, दिनांक 19 फरवरी 1974

निर्देश सं० 2074,73/74—यतः, मुझे ए० रागवेन्द्र राव, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० पलंगरै गांव, डाकघर स्ट्रीट वार्ड सं० 1 अवनासी टाउन एस० एफ० है जो सं० 525/2 और 522/2 में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अवनासी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-9-1973 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिये सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री रामलिंग सूडाम्बिकै मिल्स लिमिटेड, निरुपुर। (अन्तरक)

(2) श्री एम० के० पलनिसामी 44 ए० कामाटसी अम्मन कोयील स्ट्रीट नीरुपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा या ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अवनासी टाउन वर्ड सं० डाकघर स्ट्रीट पलंगरै गांव एस०फ० सं० 525/2 में भूमि (92 सेन्टस) और मशीनरी (2) इस गांव में एस. फ० सं० 525/2 में भूमि (42 (सेन्टस) (3) इस गांव गांव में एस० फ० सं० 525/2 में भूमि (2½ सेन्टस) (4) इस गांव में एस० फ० सं० 522/2 में भूमि (2½ सेन्टस)

ए० रागवेन्द्र राव,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II मद्रास)

तारीख : 19-2-1973
मोहर :

*(जो लागू न हों उसे काट दीजिए)

प्ररूप आई० टी० एन० एम० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II मद्रास

मद्रास, दिनांक 19 फरवरी 1974

निर्देश सं० 2095/73-74—यतः, मुझे ए० राघवेन्द्र राव आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० डोर सं० 29/19 ए० तडागम रोड कोयम्बेटूर है, जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 29-11-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (196 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्रीमती आर० राजाम्बाल, कोयम्बेटूर (अन्तरक)
(2) श्री जी० जीवरत्नम, पी० एम० मरुतै चेट्टियार और एम० सुन्दरम, 30, बेन्धु चेट्टि स्ट्रीट मद्रास (अन्तरिती)

में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कोयम्बटूर तडाघम रोड डोर सं० 29/19 ए० में खाली भूमि (27571 स्कुयर फीट) और उसमें मकान (5190 स्कुयर फीट)

ए० राघवेन्द्र राव
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, मद्रास

तारीख : 19-2-74
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एम०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43)की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज-II,

बम्बई, दिनांक 11 फरवरी 1974

निर्देश सं० अ० ई०2/729/1482/73-74--- यतः मुझे, गो० न० साधु सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 2 बम्बई आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि अस्थाई सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट सं० 14 सेक्टर 1 है, जो चेम्बूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-8-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--

(1) श्री शामजी खिमजी छेड़ा

(अन्तरक)

(2) श्री बालभारती को आप आफ हाऊ० सो० लिमिटेड

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो ---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का वह तमाम टुकड़ा या भाग जो कि बम्बई उपनगर जिले के रजिस्ट्री उपजिला बान्द्रा के चेम्बूर वृहत्तर बम्बई में स्थित है जो कि सेक्टर सं० 1 में प्लाट सं० 14 धारण किए हुए है, माप से 861 वर्गगज़ यानि कि 719-91 वर्गमीटर के समकक्ष है, तथा निम्न प्रकार से घिरा हुआ है अर्थात पश्चिम में या ओर प्लाट क्र० 12 एवं 13 से पूर्व में या और--प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी आंतरिक सड़क से, दक्षिण में या और--प्लाट सं० 15 से, उत्तर में या और प्रस्तावित 30 फीट चौड़ी आंतरिक सड़क से।

गो० न० साधु,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2 बम्बई

तारीख : 11-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2

बम्बई, दिनांक 8 फरवरी 1974

निर्देश सं० अ० ई० 2/728/1481/73-74—अतः मुझे गो० न० साधु, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 2 बम्बई आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि अस्थाई सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सर्वे सं० 36 (अंश) हिस्सा नं० 4, प्लाट नं० 3 है, जो देवनार, चेम्बूर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई । भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4-8-1974। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1991 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग, के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. महिन्द्र फुडस् प्राई० लिमिटेड, थेऊर । (अन्तरक)
2. फूडस् और इन्स् लिमिटेड, देवनार । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ शुरु करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

प्रथम अनुसूची

भूमि का वह तमाम टुकड़ा या भाग जो कि बृहत्तर के बम्बई उपनगर जिले के रजिस्ट्री उपजिला बान्द्रा के चेम्बूर के समीप देवनार में स्थित है, जो कि माप से दस हजार एक सौ अड़तीस वर्गगज, 8476-5 वर्गमीटर के समकक्ष है तथा एक सर्वेक्षण क्रं० 36 एवं हिस्सा क्रं० 4, प्लाट 3 धारण किए भूमि के एक बड़े टुकड़े का भाग है। तथा नगरपालिका एम् वार्ड क्रं० 5071 एवं गली क्रं० 36 धारण किए हुए है । एवं शीव ट्राम्बे रोड के उत्तर में पड़ा हुआ है:—तथा निम्न प्रकार से घिरा हुआ है—

अर्थात —उत्तर में या और—सर्वेक्षण क्रं० 27 एवं 35 से दक्षिण में या और—फार्मड प्राईवेट लिमिटेड के प्लाट क्रं० 2 से, पूर्व में या और—सर्वेक्षण क्रं० 37 एवं 35 धारण की हुई जायदादों से,

पश्चिम में या और—कुछ भाग एक नाला से एवं कुछ भाग उक्त भूमि के बड़े टुकड़े के प्लाट क्रं० 4 से एवं प्लाट क्रं० 4 संयुक्त रूप से फार्मड प्रा० लि०, बेचनेवाले एवं केप्सूलेशन सर्वीसिस प्रा० लि० का है एवं सड़क मार्ग की तरह उपयोग में लाया जाता है ।

द्वितीय अनुसूची

भूमि का वह तमाम टुकड़ा या भाग जो कि बृहत्तर बम्बई के बम्बई उपनगर जिले के रजिस्ट्री उपजिला बान्द्रा के चेम्बूर के समीप देवनार में स्थित है जो कि माप से तीन हजार एक सौ पचास वर्गगज, 2633-8 वर्गमीटर के समकक्ष है । एवं प्लाट क्रं० 4 धारण किए हुए भूमि के एक बड़े टुकड़े का भाग है । तथा नगरपालिका एम् वार्ड क्रं० 5071 एवं गली क्रं० 36 धारण किए हुए है । एवं शीव ट्राम्बे रोड उत्तर में या और—

गो० न० साधु,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 8 फरवरी, 1974 ।

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II,

बम्बई, दिनांक, 11 फरवरी 1974

निर्देश सं० अ० ई० 2/732/1494/73-74—अत : मुझे गो० न० साधु, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 2 बम्बई, अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 19 और 20, हिस्सा-1 है, जो मारवली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है, (रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बान्द्रा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-8-1973 को पुर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिये सुकर बनाना ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिये सुकर बनाना;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों मे पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं।

अत: अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के आधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1 श्री बोमन नौशेरवान ईरानी (अन्तरक)

2. श्री इन्डिया कास्टिंग इन्डस्ट्रिज (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो, तो

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापारिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खाली कृषि भूमि या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग जो कि बृहत्तर बम्बई के उपनगर जिला में, रजिस्ट्री जिला बम्बई उपनगर के रजिस्ट्री उपजिला बान्द्रा के तालुका कुला मे मारवली में स्थित, मौजूद एवं पड़ा हुआ है। एवं लेण्ड रेवेन्यू कलेक्कर की पुस्तको में सर्वेक्षण क्र० 19, हिस्सा क्र० 1 एवं सर्वेक्षण क्र० 20 तथा हिस्सा क्र० 1 के अन्तर्गत पंजीकृत है। माप मे क्रमश : 3793 वर्गमीटर (यानी कि 4537 वर्गगज) एवं 4856 वर्गमीटर यानी कि 5808 वर्गगज है। उपरोक्त सर्वेक्षण क्र० 19, हिस्सा क्र० 1 धारण की हुई भूमि निम्न प्रकार से घिरी हुई है :—

उत्तर में या ओर—सर्वेक्षण क्र० 14 (अंश) धारण की हुई भूमि से।

पश्चिम में या ओर—सर्वेक्षण क्र० 20, हिस्सा क्र० 1 धारण की हुई भूमि से।

दक्षिण, पूर्व में या ओर—सर्वेक्षण क्र० 19, हिस्सा क्र० 2 धारण की हुई भूमि से। सवक्षण क्र० 20, हिस्सा क्र० 1 धारण की हुई भूमि निम्न प्रकार से घिरी हुई है :—

उत्तर में या ओर—सर्वेक्षण क्र० 14 (अंश) धारण की हुई भूमि से

दक्षिण में या ओर—सर्वेक्षण क्र० 20, हिस्सा 3, 9 एवं न धारण किए हुए भूमि के टुकड़े से।

पूर्व में या ओर—सर्वेक्षण क्र० 19 हिस्सा क्र० 1 धारण की हुई भूमि से।

पश्चिम में या ओर—घाटकोपर माहुल रोड़ से तथा साथ में यहां पर संलग्न नक्शेपर रेखांकित किया गया है, एवं उस पर लालरंग की सीमारेखा से घिरा हुआ है।

गो० न० साधु,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख 11 फरवरी 1974।

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के आधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज-II,

बम्बई, दिनांक 11 जनवरी 1974

निर्देश सं० अ० ई० 2/951/1431/73-74—अत : मुझे गो० न० साधु, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 2 बम्बई, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के आधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि अस्थाई सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है और जिसकी सं० 244 बी० हिस्सा-1 है, जो डांडा गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई। में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-8-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से वास्तविक रूप कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यत:, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है।

अत: अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: —

1. श्री कृष्णकान्त चिमनलाल शाह।
2. श्री बिपिनचन्द्र चिमणलाल शाह। (अन्तरक)
3. श्री हेमन्तकुमार चिमणलाल शाह।
4. श्री महेशकुमार चिमण लाल शाह।
2. गुल पनेम को०आप हाऊ०सो० लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का वह तमाम टुकड़ा या भाग उस पर स्थित मकान अथवा ढांचासहित जो कि अभी बृहत्तर बम्बई में बम्बई उपनगर जिले के रजिस्ट्री उपजिला बान्द्रा के डांडा गांव में पाली हिल रोड़ पर स्थित है, जो कि माप से (25/1/2 गुंथा) 3085 वर्गगज यानी कि 2579-36 वर्गमीटर के समकक्ष है, पुराना सर्वेक्षण क्र० 244, डांडा का प्लाट क्र० 1 एवं नया सर्वेक्षण क्र० 2448 हिस्सा क्र० 1 धारण किए हुए है और नगरपालिका "एच" वार्ड क्र० 1804 (1अ), (2), (2अ) 2 एवं 1805 (1), (3), (4), एवं (5) तथा गली क्र० 5ब (1), 5ब (2), 5ब (3), 5ब (4), 5ब (6), 5ब (8) एवं 5ब (9) धारण किए हुए है तथा निम्नप्रकार से घिरा हुआ है, अर्थात् :—

उत्तर में या और-एन० ए० क्र० 317 एवं 399 से।

पूर्व में या और-कांतेवाड़ी स्कीम के प्लाट क्र० 225 एवं 226 से।

दक्षिण में या और-सर्वेक्षण क्र० 244 ब, हिस्सा क्र० 2, 3 एवं 7 एवं एन ए० क्र० 51 से।

एवं पश्चिम में या और-एन० ए० क्र० 52 से जो सम्पूर्ण भूमिका का टुकड़ा साथ में संलग्न नक्शे पर रेखांकित किया गया है, एवं उस पर लाल रंग की सीमा निर्धारण से घिरा हुआ है।

गो० न० साधु,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई।

तारीख 11 फरवरी, 1974।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 8 फरवरी 1974

निर्देश सं० अ० ई० 2/867/1759/73-74—यत:, मुझे, गो० न० साधु, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-2, बम्बई, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सं० नं० 53, हिस्सा नं० 7 (अंश) सी० एस० टी० नं० 283 (अंश) है जो कोल डांगरी, विर्लेपार्ले में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 17-10-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री डि० एस० बाप्टिस्टा और अन्य। (अन्तरक)

(2) रजत धवलगिरी कोआप० हाऊ० सोसायटी लिमिटेड। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग उस पर स्थित मकान, ढांचा सहित जो कि बम्बई जिले के उपनगर जिले में रजिस्ट्री उपजिला बांद्रा के तालुका साऊथ सालसेट् के कोल डांगरी, विर्लेपार्ले (पूर्व) बृहत्तर बम्बई में मौजूद स्थित एवं पड़ा हुआ है, जो कि माप से कुल मिलाकर 1938 वर्गगज यानी कि 1839-42 वर्गमीटर के समकक्ष है एवं सर्वेक्षण क्र० 53, हिस्सा क्र० 7 (अंश) धारण किए हुए है और विर्लेपार्ले सी० टी० एस० क्र० 283 (अंश) धारण किये हुए है तथा निम्न प्रकार से घिरा हुआ है :—

पूर्व में—महात्मागांधी रोड से,

दक्षिण में—कुछ भाग प्राची को० आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की जायदाद से एवं कुछ भाग पार्ले बिस्कुट फैक्टरी से,

पश्चिम में—श्री भुजाल की जायदाद से,

उत्तर में— से।

गो० न० साधु
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख: 8-2-1974
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 11 फरवरी 1974

निर्देश सं० अ०ई० 2/716/1469/73-74—यतः, मुझे, गो० न० साधु, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण), अर्जन रेंज-2, बम्बई, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी स० गर्वे न० 87 (अंश), हिस्सा न० 7 (अंश) सी० एस० नं० 1556 है, जो घटालागांव, चेम्बूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 7-8-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती जयवन्ती धीरज खाखा (अन्तरक)

(2) श्रीमती शारदादेवी सतीश गुप्ता। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

प्रथम अनुसूची

भूमि या मैदान का वह तमाम टुकड़ा जो कि बम्बई उपनगर जिले के रजिस्ट्री उपजिला बांद्रा के घटाला गांव, चेम्बूर में स्थित एवं पड़ा हुआ है। जो कि माप में करीब 840 वर्गगज, 702.4 वर्गमीटर के समकक्ष है एवं बम्बई जिला उपनगर के लेण्ड रेवेन्यू की पुस्तकों में सर्वेक्षण क्र० 78, हिस्सा क्र० 7 अंश एवं शहर सर्वेक्षण क्र० 1556 के अन्तर्गत पंजीकृत है, निम्न प्रकार से घिरा हुआ है, अर्थात्:—

उत्तर में या और ——सर्वेक्षण क्र० 87 का हिस्सा क्र० 6 से,
दक्षिण में या और ——सर्वेक्षण क्र० 78 का हिस्सा क्र० 9 से,
पश्चिम में या और——सर्वेक्षण क्र० 87 का हिस्सा क्र० 7 से,
पूर्व में या और——सर्वेक्षण क्र० 86 एवं विकसित भूमि से।

द्वितीय अनुसूची

भूमि या मैदान का वह तमाम टुकड़ा या भाग जो कि बम्बई उपनगर जिले के रजिस्ट्री उपजिला बांद्रा के घटालागांव, चेम्बूर में स्थित एवं पड़ा हुआ है। जो उपरोक्त लिखित प्रथम अनुसूची में वर्णित भूमि या मैदान में से माप से करीब 276 वर्गगज यानी 230.73 वर्गमीटर के समकक्ष है एवं बम्बई उपनगर जिले के लेण्ड रेवेन्यू कलेक्टर की पुस्तकों में सर्वेक्षण क्र० 78 (अंश), हिस्सा क्र० 7 अंश एवं शहर सर्वेक्षण क्र० 1556 के अंतर्गत पंजीकृत है, निम्न प्रकार से घिरा हुआ है, अर्थात् :—

उत्तर में या और——सर्वेक्षण क्र० 87 का हिस्सा क्र० 5 [शहर सर्वेक्षण क्र० 1557 (अंश) धारण किए हुए] से,
दक्षिण में या और——सर्वेक्षण क्र० 87 (अंश) का हिस्सा क्र० 9 [शहर क्र० 1556 (अंश)] से,
पूर्व में या और——मौजूद सड़क एवं उससे आगे सर्वेक्षण क्र० 87 (अंश), हिस्सा क्र० 7 (अंश), शहर सर्वेक्षण क्र० 1556 (अंश)

गो० न० साधु
सक्षम प्राधिकारी

तारीख : 11-2-1974 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
मोहर : अर्जन रेंज 2, बम्बई।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 12 फरवरी 1974

निर्देश सं० अ०ई० 2/700/1469/73-74—यतः, मुझे, गो० न० साधु, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-2 बम्बई, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट 57 बी, स्कीम नं० 3, सेक्टर डी है जो चेम्बूर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 8-8-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री बी० पी० इसानागोर ।
(अन्तरक)

(2) चेम्बूर संध्या को-आप० हाऊ० सो० लिमिटेड ।
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लाट नं० 57 बी, स्कीम नं० 3, चेम्बूर पेस्तम सागर सेक्टर 'डी' चेम्बूर, बम्बई, जो कि माप से 501-6 वर्गमीटर और फ्रीहोल्ड जमीन है ।

गो० न० साधु
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई ।

तारीख : 12-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

बम्बई, दिनांक 8 फरवरी 1974

निर्देश सं० अ०ई० 2/841/1432/73-74—यतः, मुझे, गो० न० साधु, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-2, बम्बई, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और और जिसकी सं० स० नं० 43, हिस्सा नं० 10, सं० नं० 27, हिस्सा नं० 4, सी० एस० नं० 282 और 285है जो कोल डोंगरी, विर्लेस्पार्ले, में स्थित है (औरइससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बम्बई, में भारतीयर जिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-8-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती अंगुरबाला रामगांगुली (अन्तरक)
(2) श्री रजत धवलगिरी को-आप० हाऊ० सोसायटी लि० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि या मैदान के वे तमाम टुकड़े या भाग, जो कि बम्बई जिले के बम्बई उपनगर जिले में रजिस्ट्री उपजिला बान्द्रा के ताल्लुका साऊथ सालसेट्ट के कोल डोंगरी, विर्लेपार्ले (पूर्व) बृहत्तर बम्बई में मौजूद स्थित एवं पड़ा हुआ है जो कि सर्वेक्षण क्र० 282 एवं 285 धारण किए हुए है, माप से 907 वर्गगज यानी कि 758-34 वर्ग-मीटर के समकक्ष है और सर्वेक्षण क्र० 53, हिस्सा क्र० 10, एवं सर्वेक्षण क्र० 27, हिस्सा क्र० 4 धारण किए हुए है तथा निम्न प्रकार से घिरा हुआ है :—

उत्तर में या और—सर्वेक्षण क्र० 27, हिस्सा क्र० 7 (अंश) एवं सर्वेक्षण क्र० 27, हिस्सा क्र० 3 (अंश) धारण की हुईभूमि से,

दक्षिण में या और—सर्वेक्षण क्र० 53, हिस्सा क्र० 7 धारण की हुई भूमि से,

पूर्व में या और—सर्वेक्षण क्र० 53, हिस्सा क्र० 7 (अंश) धारण की हुई भूमि से,

पश्चिम में या और—सर्वेक्षण क्र० 53 एवं हिस्सा क्र० 7 धारण की हुई भूमि से,

गो० न० साधु
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-2, बम्बई

तारीख : 8-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी 1974

निर्देश सं० 49-आर०/ए० सी० क्यू०—यतः, मुझे, के० एन० मिश्रा सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), लखनऊ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है जो धरौहरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वाराणसी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-8-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने के लिये सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शिव शंकर प्रसाद और अन्य

(अन्तरक)

(2) श्री रामजातन

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, सो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किये गये आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किला मकान जो कि ग्राम धरौहरा जिला वाराणसी में स्थित है।

के० एन० मिश्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 19-2-1974
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज मलाणी बिल्डिंग विद्या नगर हुबली-580021,

हुबली, दिनांक 25 फरवरी 1974

निर्देश सं० 59/73-74/एच० ए० सी० क्यू०—यतः, मुझे आर० पार्थसारथी सहायक आयकर आयुक्त निरिक्षण अर्जन रेंज, हुबली आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 125/1 ए० है, जो मुरनाक गांव, बागलकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बागलकोट मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 5-12-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री डोंगरीसाब उनालसाब बालीकार, मुरनाक गांव, बागलकोट तालूक, बीजापुर जिला।

(2) श्री मनसूरसाब उनालसाब बालीकार, मुरनाक गांव, बागलकोट तालूक, बीजापुर जिला, अपने वाटमुख्तियार डोंगरीसाब बालीकार के जरिए।

(3) श्री कालासाब त्रिनालसाब (जिन्नेसाब) बालीकार, मुरनाक गांव, बागलकोट तालूक, बीजापुर जिला, अपने वाटमुख्तियार डोंगरीसाब बालीकार के जरिए।

(4) श्रीमती हुसनब्बा, पीरसाब मनगोंडी की पत्नी, मुरनाक गांव, बागलकोट तालूक, बीजापुर जिला, अपने वाटमुख्तियार डोंगरीसाब बालीकार के जरिए।

(5) श्रीमती हुसेनबी, लालसाब अफगान की पत्नी, मुरनाक गांव, बागलकोट तालूक, बीजापुर जिला, अपने वाटमुख्तियार डोंगरीसाब बालीकार के जरिए। (अन्तरक)

2. (1) श्री एस० बी० हल्लूर, मुरनाक,

(2) श्री वी० जी० सुलाखे, दर्जी, बागलकोट.

(3) श्री वी० के० शिंगाडे, दर्जी, बागलकोट,

(4) श्री एल० जे० अंबोरे, दर्जी, बागलकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाधित सम्पत्ति के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

बीजापुर जिला, बागलकोट तालूक के मुरनाक गांव में बागलकोट बेलगांव रोड पर रि० सर्वे नं० 125/1 ए० का 11 एकड़, 8 गुंठा मापन का विन् शैल्की जमीन में, जो 96 प्लाटों में विभाग किया गया है, 55'×70' से 60'×20' तक अलग-अलग सैझों के 42 प्लाट।

आर० पार्थसारथी,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज हुबली।

तारीख : 25-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०.........

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नागपुर

नागपुर, दिनांक 27 फरवरी 1974

निर्देश सं० आय ए० सी०/ए० सी० क्यू०/27/73-74—यतः, मुझे, एस० एस० राय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज नागपुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० खसरा नं० 12/4 मौजा गाडगा सिविल लाईन्स, सर्कल नं० 20, वार्ड नं० 39 है, जो नागपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14-6-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमंत गोपालराव केशवराव घुटी (अन्तरक)
1. सौ० जयश्री विजय नाईक,
2. श्री श्रीधरराव भीकाजी पंत नाईक,
3. डा० अजयकुमार व्यंकटेश सावजी,
4. श्री मधुकर ए० कारनेकर,
5. डी० सी० शारदा एस० जैस्वाल,
6. श्रीमती लीला बाई डेहराय,
7. श्री बी० एच० रानडे
8. श्री रामनिवास जगन्नाथ अगरवाल,
9. डा० गंगाधर लछाजी भडकीवार,
10. श्री मूलवंतराय प्रयागीबाई त्रीवेदी,
11. श्री इंद्रपाल सालीकराम बीज,
12. श्री अरविन्द वसंत वारहाते, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हों, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट जो अंदाजे क्षेत्रफल 60000 चौरस फुट 273' पूर्व—पश्चिम और 220' उत्तर—दक्षिण खसरा नं० 12/4, मौजा गाडगा, सिविल लाईन्स, टैम्पल रोड नागपुर में है, जिसे 'राजा कोठी कम्पाउंड' कहते हैं। नागपुर म्युनिसिपल कार्पोरेशन और नागपुर सुधार प्रन्यास के अन्तर्गत सर्कल नं० 20 वार्ड नं० 39 तालुक व जिला नागपुर में स्थित है और निम्नलिखित से सीमित है :—

उत्तर—टैम्पल रोड,

दक्षिण—राजा कोठी कम्पाउंड व विक्रेता की खुली जमीन

पूर्व—रिजर्व बैंक क्वाटर्स और

दक्षिण—प्रसाद बिल्डिंग कम्पाउंड व स्वर्गवासी श्रीमती जी० जी० कुटी की खुली जमीन।

एस० एस० राय
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

तारीख : 27-2-1974

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन लखनऊ

कार्यालय

तारीख 19-2-74

निदेश सं० 13सी/अर्जन—यतः, मुझे, के० एन० मिश्रा, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज लखनऊ, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० डी 64/127बी है जो, माधापुरा ग्राम शिवपुरवा में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 23-8-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इन्दु भूषण और अन्य (अन्तरक)
2. श्री चन्द्रा कुमार साहु (अन्तरिति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक किता मकान जो माधापुरा ग्राम शिवपुरवा जिला बारणसी में स्थित है।

के० एन० मिश्रा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज लखनऊ

तारीख 19-2-74

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक 23 फरवरी 1974

निर्देश सं० ए०-26/73-74-/डिव/2748—यतः, मुझे, एन० पाचुओ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट सं० 123 एफ० एस०, 224 एन० एफ० आर० 216–217 एन० एल० आर०, पिरिओडिक पट्टा सं० 1, 2, 1, 10, 1, 110, 4,1, है, जो रोमाई टि एस्टेट, आसाम प्रदेश की डिब्रूगढ़ जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रउकर्ता अधिकारी के कार्यालय डिबरूगढ़ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 6-6-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मेसर्स दी रोमाई टिको लिमिटेड, लाहल पोस्ट आफिस जिला डिब्रूगढ़। (अन्तरक)

2. मैसर्स उडलियमसन मेगर एण्ड को० लि० कलकत्ता। (अन्तरिती)

3. मेसर्स दि रोमाई दि कों० लि० लाहल पोस्ट आफिस, जिला —डिब्रूगढ़। (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग सम्पत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है, तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रोमाई टि एस्टेट—फैक्टरी बिल्डिंग और मेनेजर का मकान लाल, जमीन 574 हेक्टरस के लगभग है—जो आंशिक ग्रान्ट और पट्टा (पिरिओडिक) के अन्तर्गत है

ग्रान्ट सं०	गांव	जमीन हेक्टर में
123 एफ० एस०	रोमाई गांव टि० ए०	349.36
224 एन० एल० आर०	रोमाई गांव टि० ए०	49.24
216-217 एन० एल० आर०	रोमाई टि० ए०	42.90
पट्टा सं० पिरिओडिक		
1 पिरिओडिक	(एस० पी० एल०) रोमाई टि० ए०।	69.28
2 पिरिओडिक	राजगर सं० 2	39.72
1 पिरिओडिक	(एस० पी० एल०) रोमाई गांव।	3.43
101 पिरिओडिक	(एस० पी० एल०) रोमाई गांव।	0.39
110 पिरिओडिक	रोमाई बेंगली गांव	4.88
4 पिरिओडिक	रोमाई बेंगली गांव	0.43
1 पिरिओडिक	चिरिनघोला गांव सं० 1	3.63
1 पिरिओडिक	राजगर सं० 1	10.28
		573.84

एन० पाचुओ,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज शिलांग

तारीख 6-6-1973
मोहर

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक, 22 फरवरी 1974

निर्देश सं० एफ० 37/मेरठ/73-74—यतः, मुझे वाई० खोखर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० अनुसूची के अनुसार है जो ग्राम चन्द सारा हापुड़ में स्थित है जिला मेरठ और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-8-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. सर्वश्री रामअौतार व सुरजीत पुत्रगण हरी सिंह निवासीगण चन्दसारा, मेरठ। (अन्तरक)

2. सर्वश्री एजाज व रियाल पुत्रगण अलाउद्दीन निवासी सराय जीना मेरठ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

398 खसरा नं० खेतीहर भूमि जिसका माप 11 बीघा 4 बिस्वा तथा 19 बिस्वासी है जो ग्राम चन्दसारा, परगना व तहसील हापुड़ जिला मेरठ में स्थित है।

वाई० खोखर,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 22-2-74
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक, 31 जनवरी, 1974

निर्देश स० ए० एस० आर०/तरनतारन/ए० पी०-731/73-74/—यत :, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास, करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2539 जुलाई 1973 मे लिखा है । जो गंडीविड तहसील तरनतारन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तरनतारन में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री निशान सिंह सपुत्र अवतार सिंह गंढ़ीविड़ तहसील तरनतारन । (अन्तरक)

2. श्री सविन्द्र सिंह, बलविन्द सिंह सपुत्रान सुखचैन सिंह गंढ़ीविड़ तहसील तरनतारन । (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पति में रूचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधीहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि गांव गंढ़ीविड़ में, जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 2539 जुलाई 1973 को सब रजिस्ट्रार तरनतारन में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०.....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त अर्जन रेंज लखनऊ

कार्यालय

लखनऊ, दिनांक 19 फरवरी 1974

निदेश सं० 22 पी/Aeq.—यतः, मुझे, के०एन० मिश्रा, निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त लखनऊ आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी संख्या है, जो, ग्राम नयावास में स्थित है (और उससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 16-8-1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. बलदेवसिंह (अन्तरक)

2. श्री पैराडाइज म्यू कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लि०। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कृषिक भूमि जो कि 2 बीघा 10 बिसवा है, ग्राम नयावास परगना-दादरी, तह० सिकन्दराबाद जिला बुलन्दशहर में स्थित है

के० एन० मिश्रा,
सक्षम प्राधिकारी
सहायकर आयक आयुक्त निरीक्षण
अर्जन रेंज

तारीख 19-2-74
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षक अर्जन रेंज कार्यालय कानपुर

कानपुर, दिनांक 22 फरवरी 1974

निर्देश सं० एफ० 44 (मेरठ)/73-74/2805—यतः मुझे बाई० खोखर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० 167-बी साकेत है जो साकेत कालोनी सिविल लाइन्स मेरठ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-9-73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ;

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री अजय स्वरूप पुत्र श्री शान्ती स्वरूप लोधी कालोनी ब्लाक नं० ऐ०-23 नई दिल्ली।

(2) श्री कमल नाथ मोंगा पुत्र श्री प्रेमनाथ मोंगा 145-बीर सी० क्लाइन्स, मेरठ छावनी, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 167-बी जिसकी माप 1487 वर्ग गज है जो साकेत कालोनी, सिविल लाइन्स में स्थित है। जिसके ऊपर निर्माण किया है।

बाई० खोखर
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त
(निरीक्षण) अर्जन रेंज कानपुर

तारीख : 22-2-1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०.....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अमृतसर, दिनांक, 31 जनवरी 1974

निर्देश सं० ए० एस० आर०/ए०पी०-732/73-74/—यतः मुझे डी०एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4213 जुलाई 1973 में लिखा है, जो गाँव रख जिला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. (i) श्री विपन चन्द विमल चन्द पुत्र ऊमा चन्द वासी रख जिला राजेवाल तहसील अमृतसर।

(ii) श्रीमती कृष्णा कुमारी उर्फ कृष्णा ठाकुर विधवा। श्री ठाकुर उमा चन्द, कोर्ट रोड़, अमृतसर। (अन्तरक)

2. श्री सुखदेव सिंह, बलदेव सिंह, हरदेव सिंह गुरदीप सिंह, बलजीत सिंह, हरजीत सिंह पुत्र तारा सिंह गाँव सुखेवाला तहसील अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 पर है।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती गाँव रख जिला तहसील अमृतसर में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4213 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप. आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज,

अमृतसर कार्यालय

दिनांक 31 जनवरी, 1974

निर्देश सं० ए० एस० आर/ए० पी-733/73-74/— यतः मुझे डी०एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3681 जुलाई 1973 में लिखा है, जो गाँव ढाल खुर्द में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कायवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है।

अतः, अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री गोपी नाथ, खुशहाल चन्द पुत्र श्री किशन दास श्रीमती रूप रानी विधवा श्री केशो दास,

श्रीमती कमला रानी, पुष्पा रानी पुत्री केशो दास मार्फत गोप नाथ अमृतसर।

श्री दुर्गा दास पुत्र श्री केशो दास बाजार गंडा वाला, अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्री पूर्ण सिंह, कुंदन सिंह, अनूप सिंह, संतोख सिंह पुत्र रणधीर सिंह वासी ढाल खुर्द तहसील अमृतसर

3. जैसा कि नं० 2 पर है। (अन्तरिती)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे ये अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती गाँव ढाल खुर्द में जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3681 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर।

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय, अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निर्देश न० ए० एस० आर/ए० पी-734/73-74—: यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4468 जुलाई 1973 में लिखा है, जो साधपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. गुरदित्त सिंह सपुत्र संता सिंह गाँव साधपुरा तहसील अमृतसर। (अन्तरक)

2. श्रीमती हरनाम कौर विधवा उधम सिंह तथा श्रीमती दीपो जगीरो बीरो, कशमीरो सुपुत्रियाँ उधम सिंह, गाँव साधपुरा जिला अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि न० 2 में है।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रूचि रखता हो।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर मे किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि गाँव साधपुरा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 4468 जुलाई 73 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31-1-74

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज

अमृतसर का कार्यालय

तारीख 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/ए पी–735/73–74––यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा की रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3623 जुलाई 1973 में लिखा है जो गांव सैयदपुर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 जुलाई 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :––

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए लिए सुकर बनाना; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :––

(1) श्री सौदागर सिंह सपुत्र सुरैन सिंह गांव सैयदपुर (अन्तरक)

(2) श्रीमती बाबी सपुत्री सोहन सिंह वासी राजदा तसील गुरदासपुर (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई है, तो :––

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3623 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख 31 जनवरी 1974

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज

अमृतसर का कार्यालय

तारीख 31 जनवरी 1974

निर्देश सं०ए०एस०आर०/एपी–736/73–74/––यत: मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4288जुलाई 1973 लिखा है, जो गांव मानावाला कलां में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोचित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिये प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना, और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्रीमती अम्बा रानी उरफ मनिंदर कौर, प्रीतईद कौर पुत्रियां श्री अजीत सिंह, गांव मानावाला कलां त० अमृतसर। (अन्तरक)

(2) श्री परमिंदर सिंह, सुखविंदर सिंह, बलजीत सिंह, गुरिंदर सिंह, सुहिन्द्र सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह वासी गांव मानावाला कलां त० अमृतसर (अन्तरिति)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथा-परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4288 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज का कार्यालय, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/एपी-737/73-74/—यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4469 जुलाई 1973 में लिखा है जो धौल खुरद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं ।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री शोरी लाल, किदार नाथ सपुत्र राम सरन दास, बाजार गड़ावाला, अमृतसर (अन्तरक)

(2) श्री पूर्ण सिंह, कुन्दन सिंह, अनूप सिंह, सन्तोख सिंह सपुत्रान रणधीर सिंह, गांव धौल खुरद, तहसील अमृतसर (अन्तरिति)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है) ।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितवद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4469 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 31 जनवरी 1974

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर का कार्यालय

दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए० एस० आर०/एपी-738/73-74/—यत:, मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3752 जुलाई 1973 लिखा है, जो गांव तुंगवाला मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अत: अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री आत्मा सिंह पुत्र श्री लछमन सिंह, श्रीमती गुरमेज कौर, प्रमन कौर, वेअन्त कौर पुत्री श्री लछमन सिंह वासी तुंग वाला तसील पट्टी। (अन्तरक)

(2) श्री दलीप सिंह पुत्र श्री संता सिंह, शंगारा सिंह, प्यारा सिंह पुत्र सरदार दलीप सिंह, जरनैल सिंह, करनैल सिंह, अजीत सिंह जोगिन्द सिंह, वलवीर सिंह पुत्र स० लछमन सिंह गांव तुंगवाला त० अमृतसर। (अन्तरिति)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3752 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख 31 जनवरी 1974
मोहर :
(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

प्ररूप आई०टी०एन०एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज,

अमृतसर का कार्यालय

तारीख 31 जनवरी 1974

निदेश सं० अमृतसर/एपी-739/73-74/—यतः मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4012 जुलाई 1973 लिखा है, जो गाँव मानावाला कलाँ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) बूटा सिंह पुत्र स० लैहना सिंह गाँव मानावाल कलाँ तहसील अमृतसर (अन्तरक)

(2) श्री बलविंदर सिंह, जसविंदर सिंह, कुलवंत सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह और सुखविंदर सिंह, कुलविंदर सिंह पुत्र श्री वचन सिंह गाँव मानावाला कला त० अमृतसर (अन्तरिति)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधीहस्ताक्षरी जानता है)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4012 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है।

डी० एम० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 31 जनवरी 1974

मोहर:

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज

अमृतसर का कार्यालय

तारीख 31 जनवरी 1974

निदेश सं० अमृतसर/एपी-740/73-74/—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3751 जुलाई 1973 को लिखा है। जो तुंगबाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आत्मा सिंह सपुत्र लक्षमण सिंह, गुरमेज कौर, परमिन कौर, बेअन्त कौर सपुत्रियाँ लछमन सिंह, तुंग तहसील पट्टी। (अन्तरक)

(2) श्री दलीप सिंह सपुत्र सन्ता सिंह, शोंगारा सिंह, प्यारा सिंह सपुत्र दलीप सिंह, जरनैल सिंह, करनैल सिंह, अजीत सिंह, जोगिन्द्र सिंह, बलबीर सिंह सपुत्र लछमन सिंह गाँव तुंगवाला तहसील अमृतसर। (अन्तरिति)

(3) जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)।

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3751 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख 31 जनवरी 1974

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी, 1974

निदेश सं० ए० एस० आर०/ए०पी०/741/73-74—यतः मुझे डी०एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4197 जुलाई, 1973 लिखा है जो काला धन्नुपुर गांव में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जुलाई, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है, कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और /या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री वचन सिंह पुत्र श्री मूला सिंह, वासी काला धन्नुपुर अब भल्ला कालोनी छेहरटा। (अन्तरक)

(2) श्री प्रताप स्टील रोलिंग मिल्ज लिमिटेड मार्फत श्री मुलखन सिंह पुत्र श्री वतन सिंह, छेहरटा, (अमृतसर)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 4197 जुलाई, 1973 की रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख 31 जनवरी, 1974।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर का कार्यालय

दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए० एस० आर०/ए०पी०-742/73-74—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4272 जुलाई, 1973 लिखा है जो गांव काला धनुपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के आधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं ।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात:—

(1) श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह वासी काला धनुपुर त० अमृतसर । (अन्तरक)

(2) श्री वचन सिंह पुत्र श्री मूला सिंह गुरमेज कौर पत्नी श्री ध्यान सिंह वासी काला धनुपुर त० अमृतसर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गये आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किये जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4272 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर ।

तारीख 31 जनवरी, 1974 ।
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० .....यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4253 जुलाई 1973 में लिखा है जो गांव काला घनुपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जुलाई, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः, अब धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मंगल सिंह पुत्र श्री आसा सिंह जाट वासी काला घनुपुर त० अमृतसर । (अन्तरक)

(2) श्रीमती सुरिन्दर कौर पत्नी श्री ज्ञानसिंह, 11-डी, मकबूल रोड, अमृतसर ।

श्रीमती गुरशरण कौर पत्नी श्री मोहिन्दर सिंह वासी 110, मरीन एवेन्यू, अमृतसर । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है ।(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4253 जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर ।

तारीख 31 जनवरी, 1974 ।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर का कार्यालय

तारीख 31 जनवरी, 1974 ।

निदेश सं० ए० एस० आर०/जुल०/ए०पी०-696/73-74—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रुपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4204 जुलाई, 1973 को लिखा है जो खसरा नं० 15708, 15709 जालंधर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गये हैं ।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) कुलभूषण पुत्र डा० नंदलाल और धर्मवीर पुत्र श्री सरन दास मुख्तारे आम रामकुमार, अविनाश चंद, जगदीश मित्तर पुत्र श्री सरन दास, पुष्पावती, श्रीमती देवकी विधवा श्री नंद लाल जोगिन्दर कुमार, नरिन्दर देव पुत्र श्री सरनदास पुत्र श्री मिलखी राम मोहल्ला लक्ष्मीपुरा, जालंधर । (अन्तरक)

(2) श्री दानिशचंद, बाल सरूप पुत्र श्री रामलाल पुत्र श्री रामचंद, प्रताप रोड, जालंधर ।

(3) जैसा कि नं० 3 पर है । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्तिमें रुचि रखता हो । (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखत में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20क में यथापरिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4204 जुलाई, 1073 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालंधर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31-1-74
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी, 1974

निदेश सं० अमृतसर/के०पी०एल०/ए०पी०-697/73-74—यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिसट्रीकृत विलेख नं० 1274 जुलाई 1973 लिखा है,जो शेखुपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है),रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री मनोहर लाल
वासी कपूरथला (अन्तरक)

(2) मैसर्ज कपूरथला स्टील ऐण्ड रबड़ इण्डस्ट्रीज,
कपूरथला मार्फत श्री मोहिन्दर कुमार हिस्सेदार
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति से रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1274 जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कपूरथला में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज—अमृतसर

तारीख: 31 जनवरी, 1974।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-II अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी, 1974

निदेश सं० एएस०आर०/के०पी०एल०/ए०पी० 698/73-74 ——यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रूपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1263 जुलाई 1973 में लिखा है, जो गाँव शेखूपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शिवराज सिंह पुत्र श्री मनोहर लाल
कपूरथला । (अन्तरक)

(2) मैसर्ज कपूरथला स्टील ऐण्ड रबड़ इण्डस्ट्रीज,
कपूरथला मार्फत श्री मोहिन्दर कुमार हिस्सेदार।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है ।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में
अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी
जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप; यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीज विलेख नं० 1263 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कपूरथला में लिखा है ।

(डी० एस० गुप्ता)
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज-अमृतसर

तारीख: 31 जनवरी, 1974
मोहर :

प्ररूप आई०टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी, 1974

निर्देश सं० ए० एस० आर०/जुल/ए०पी०-694/73-74—यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम पदाधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3703 जुलाई 1973 में लिखा है जो न्यू कालोनी नजदीक रेडियो कालोनी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के आधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और अतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री चनन सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री वसाखा सिंह, 388 माडल टाऊन, जालंधर। (अन्तरक)

(2) श्री रविंदर नाथ वर्मा पुत्र श्री जयराम दास पुत्र श्री नानक चंद, 78 लाजपतनगर, जालंधर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती का टुकड़ा जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3703 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालंधर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख : 31-1-1974

मोहर :

प्ररूप आई० टी०एन० एस०------

आयकर अधिनियम, 1961 1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज I-अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी, 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/के०पी०एल०/ए०पी०-699/73-74 यतः, मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु० से अधिक है और जिस की सं०धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1245 जुलाई 1973 लिखा है, जो शेखूपुरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कपूरथला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं ।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री शिवराज सिंह पुत्र मनोहर लाल कपूरथला । (अन्तरक)

(2) मैसर्ज कपूरथला स्टील और रबड़ इण्डस्ट्रीज कपूरथला मार्फत श्री मोहिन्दर कुमार हिस्सेदार । (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है । (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है । (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1245 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, कपूरथला में लिखा है ।

डी० एम० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर ।

तारीख: 31 जनवरी, 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज, अमृतसर,

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी, 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/ए०जे०एन०/ए०पी०-700/73-74

यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता

आयकर अधिनियम,

1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1646 जुलाई, 1973 में लिखा है, जो गाँव डग्ग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अजनाला में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए है।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री दीना नाथ पुत्र लाला मेंहगा मल अरोड़ा वासी गाँव डग्ग अब गाँव मिरसा में जिला हिसार। (अन्तरक)

(2) श्री विश्वामित्र ओम प्रकाश और राम नाथ पुत्र लाला खुशी राम, वासी गाँव डग्ग।

(3) जैसा कि नं० 2 में पर है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभाग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति जिसके बारें में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिय एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1646 जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अजनाला में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख: 31 जनवरी, 1974।

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ASR/Jul/AP-701/73-74—यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3535 जुलाई 1973 में लिखा है, जो सामने कन्या महाविद्यालय, जालंधर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जुलाई, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल; निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री दर्शन सिंह पुत्र बुजा सिंह पुत्र श्री बुढ़ा सिंह वासी माडल टाऊन, जालंधर। (अन्तरक)

(2) श्रीमती कुसुम लता पत्नी श्री केवल कृष्ण पुत्र श्री मस्त राम, मोहल्ला ब्रिकमपुरा, जालंधर। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है। (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने का लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3535 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख: 31 जनवरी, 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/खेमकरण/ए०पी०-702/73-74—

यतः, मुझे डी० एस०गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विल्लेख नं० 382 जुलाई, 1973 में लिखा है, जो गांव भंगाला में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय खेमकरण में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973, जुलाई, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री मुन्शी राम और हंस राज पुत्र श्री आत्मा राम
गांव भंगाला। (अन्तरक)

(2) सर्वश्री सरूप सिंह, प्यारा सिंह, अजीत सिंह, रेशम सिंह, पुत्र श्री जगत सिंह, जैत सिंह, जतिन्दर सिंह पुत्री श्री सोहन सिंह, सोहन सिंह पुत्र श्री टैहल सिंह, सम्पूर्ण सिंह पुत्र श्री गुरदियाल सिंह, बंता सिंह, सोहन सिंह, धीरा सिंह, जागीर सिंह, जरनैल सिंह, जस्सा सिंह, दरबंस सिंह पुत्र श्री मालोंगेर सिंह, वासी रत्तोकी।
(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है।
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धारती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 382 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खेमकरण में लिखा है।

(डी० एस० गुप्ता)
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-1, मद्रास।

तारीख: 31 जनवरी, 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ-(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/पट्टी/ए०पी०-703/73-74—यतः, मुझे डी० एस० गुप्ता सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1241 जुलाई 1973 में लिखा है, जो तलवंडी सोभा सिंह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पट्टी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 1973 जुलाई, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना,

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री नरायण सिंह सपुत्र पशौरा सिंह तलवंडी सोभा सिंह अब मछराई तहसील अमलाऊ जिला पटियाला।

(अन्तरक)

(2) श्री गुरदीप सिंह सपुत्र वसावन सिंह, छुन्दू सिंह, गुरमेज सिंह, गुरनाम सिंह, भगवान सिंह, सकतर सिंह सपुत्रान चनन सिंह गुरदीप कौर विधवा चनन सिंह, तलवंडी सोभा सिंह। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1241 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पट्टी में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख: 31 जनवरी, 1974

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एम०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/पट्टी/ए०पी०-704/73-74—यतः, मुझे डी० एम० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1150 जुलाई, 1973 में लिखा है, जो कच्चा पक्का में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पट्टी में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना :

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती तेज कौर उर्फ जस्सो विधवा बधावा सिंह गांव मक्खी कलां। (अन्तरक)

(2) श्रीमती सुरजीत कौर उर्फ बीरो सुपुत्री तारा सिंह गांव कच्चा पक्का तहसील पट्टी। (अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हों, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हो, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1150 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पट्टी में लिखा है।

डी० एम० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर।

तारीख: 31 जनवरी, 1973

मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज का कार्यालय

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निर्देश सं० ए० एस० आर०/पट्टी /ए० पी०-705/73-74 यतः, मुझ, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/– रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 1310 जुलाई 1973 लिखा है जो गाँव संदरा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पट्टी में भारतीय रजिस्ट्रीकृत अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) **अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

1. श्री तारा सिंह पुत्र श्री पाल सिंह वासी सदरा तहसील पट्टी मार्फत श्री जागीर सिंह मुख्तारआम (अन्तरक)

2. श्री सरपजीत लाल, राकेश कुमार, जतिंदर कुमार पुत्र डा० तिलक राज, वासी भिखीविंड (अन्तरिती)

3. जैसा कि सं० 2 पर है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)।

कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो
(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृतविलेख सं० 1310 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पट्टी में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज
कार्यालय, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निर्देश सं० ए० एस० आर०/जुलाई/ए० पी०-706/73-74—यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3507 जुलाई 1973 में लिखा है जो गाँव बुलोवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 14 जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और अतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री उजागर सिंह सपुत्र नथा सिंह, गंगारा सिंह, सुखदेव सिंह, साधा सिंह, सपुत्रान उजागर सिंह सपुत्र नथा सिंह, गाँव बुलोवाल तहसील जालन्धर (अन्तरक)

2. श्री केवल सिंह, गुरदीप सिंह, दर्शन सिंह सपुत्रान अमर सिंह सपुत्र उजागर सिंह गाँव कालबा तहसील जालन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3507 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 ध(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निर्देश सं० ए० एस० ई०/जुलाई/ए० पी०-708/73-74—यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है। और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4065 जुलाई 1973 में लिखा है जो बस्ती बाबा खेल, जालन्धर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973। को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने को कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ध के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री गुरबक्श सिंह सपुत्र लाल सिंह खुद तथा जनरल अटार्नी फार श्रीमती हरबंस कौर पत्नी गुरबक्श सिंह, श्रीमती राज कंवर पत्नी कर्नल स्वर्णजीत सिंह कंवर तथा कर्नल स्वर्णजीत सिंह सपुत्र गुरबक्श सिंह, बस्ती बाबा खेल, जालन्धर (अन्तरक)

2. *मैसर्ज दोआबा बिल्डर्ज (प्रा०) लिमिटिड द्वारा शाम कुमार* भारद्वाज, मैनेजिंग डायरेक्टर तथा मुलख राज दत्त सपुत्र कती राम, मौहल्ला शिवनगर, जालन्धर ।

संत राम दुग्गल सपुत्र रघुनाथ दास दुग्गल, सुशील कुमार दुग्गल, रमेश कुमार दुग्गल सपुत्रान संत राम दुग्गल, 128/3 सैन्ट्रल टाऊन, जालन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4065 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० .....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए० एस० ई०/जुलाई/ए० पी०-709/73-74—यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3708 जुलाई 1973 में लिखा है जो रेडू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बन्ता सिंह सपुत्र ईशर सिंह सपुत्र दित्ता वासी रेडू तहसील जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्री बैसाखा सिंह सपुत्र दल जीत सिंह सोहल, सपुत्र रतन सिंह वासी संग ढेसियां। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है (वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)।

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र म प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3708 जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त, निरीक्षण

अर्जन रेंज, कार्यालय अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 31 जनवरी, 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/जुलाई/ए०पी०-709/73-74—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3456, जुलाई, 1973 में लिखा है । जो बाई पास रोड, नजदीक गांव रेडू में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर, में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 जुलाई, 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे ये विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोचित सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ध के अनुसरण में, मैं आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री करतार सिंह सुपुत्र श्री गोपाल सिंह सुपुत्र श्री हीरा सिंह गांव गुडे तहसील नकोदर ।

(अन्तरक)

2. श्री साधू सिंह सुपुत्र श्री सुहाल सिंह गांव काला बाहीया तहसील जालन्धर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति जिसके बारेमें अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोचित सम्पत्ति के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि इस ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3456 जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी, 1974

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/जुलाई/ए०पी०-710/73-74—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3408, जुलाई, 1973 में लिखा है, जो गार्डन कालोनी, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 73 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्न-लिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री ठाकुर सिंह सुपुत्र हरीसिंह सुपुत्र साहिब सिंह, गार्डन कालोनी, किंगरा तहसील, जालन्धर।

(अन्तरक)

2. श्री सन्तोख सिंह, सुपुत्र सोहन सिंह, सुपुत्र भुल्ला सिंह श्रीमती जसवन्त कौर सुपुत्री सोहन सिंह सुपुत्र भुल्ला सिंह, भूपिन्द्र सिंह, सुपुत्र उमराव सिंह, सुपुत्र ठाकुर सिंह, गार्डन कालोनी, जालन्धर।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 में है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षारी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया है।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3408, जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी, 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/जाल०/ए०पी०-711/73-74—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3476 और 3477 जुलाई, 1973 लिखा है जो बाई० पास, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिये सुकर बनाना;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-ध के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किये गये हैं।

अतः अब, धारा 269घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री करतार सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, पुत्र श्री हीरा सिंह, गांव गढ़े, त० नकोदर, जिला जालन्धर। (अन्तरक)

2. श्रीमती जसवंतकौर, पत्नी श्री रामसिंह एन० बी० 56, बस्ती भूरेखान जालन्धर शहर।

(2) श्रीमती जतिंदर कौर पत्नी श्री राजिंदर सिंह पुत्र श्री राम सिंह एन० बी० 53, बस्ती भूरेखान, जालन्धर।

(3) श्रीमती प्रीतमकौर पत्नी श्री मोहिंदर सिंह पुत्र पुत्र श्री राम सिंह एन० बी० 54, बस्ती भूरेखान, जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 पर है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षपी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो इस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3476 और 3477 जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी, 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) की अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) कार्यालय

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निर्देश सं० एएसआर०/जाल०/ए०पी०-712/73-74—यतः मुझे, डी० एस० गुप्ता, यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3608, जुलाई, 1973 में लिखा है, जो रैनक बाजार, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालंधर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना।

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरु करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) गंगा सिंह पुत्र श्री नत्था सिंह, नकोदर रोड, जालन्धर।

(अन्तरक)

2 श्री रक्खा सिंह पुत्र श्री गंगा सिंह, नकोदर रोड; जालन्धर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 पर है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3608, जुलाई 197: को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) कार्यालय

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निर्देश सं० ए०एस०आर०/जाल०/ए०पी०-713/73-74—यतः, मुझे, डी० एस० गुप्ता, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3457, जुलाई, 1973 में लिखा है जो बाई पास, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधियिम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आय-कर अधिनियम 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर आधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) करतार सिंह, सुपुत्र गोपाल सिंह, गांव गोराए, तहसील नकोदर ।

(अन्तरक)

(2) श्री हरीदेव सुपुत्र तरसेम लाल सुपुत्र खुशीराम, मोहल्ला टन्डना नकोदर, द्वारा श्रीमती कोशल्या देवी मार्फत उजागर सिंह फट्टियां वाला, सोड़ल रोड, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि नं० 2 में है ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

(4) कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3457, जुलाई 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर
दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०जाल०/ए०पी०-714/73-74—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3458, जुलाई, 1973 में लिखा है जो बाई पास, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यतः, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. करतार सिंह सुपुत्र गोपाल सिंह,
गांव गुराए, तहसील नकोदर । (अन्तरक)

2. श्रीमती कौशल्या देवी, पत्नी तरसेम लाल सुपुत्र खुशीराम मौहल्ला टंडना, नकोदर मार्फत, उजागर सिंह, फट्टियां वाला, सौड़ल रोड, जालन्धर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 पर है।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जायेंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3458, जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

दिनांक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/जाल०/ए०पी०-715/73-74—यत: मुझे, डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है (और जिसकी संख्या धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 3476 जुलाई, 1973 लिखा है, जो वाई पास, जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना;

और यत: आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अत: अब, धारा 269-घ के अनुसरण में, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री करतार सिंह पुत्र श्री गोपाल सिंह, पुत्र श्री हरि सिंह, गांव गढ़े, तहसील नकोदर, । (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती जसवंत कौर पत्नी श्री राम सिंह एन० बी०-56, बस्ती भूरे खान, जालन्धर शहर ।

(2) श्रीमती जतिन्दर कौर पत्नी श्री राजिन्दर सिंह पुत्र श्री राम सिंह, एन० बी० 53, बस्ती भूरेखान, जालन्धर ।

(3) श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी श्री मोहिन्दर सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, एन० बी०-54, बस्ती भूरेखान जालन्धर ।

(अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 पर है ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता हो ।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जायेगी ।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख सं० 3476 जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी 1974

मोहर :

(जो लागू न हो उसे काट दीजिये ।)

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) का कार्यालय

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनाक 31 जनवरी 1974

निदेश सं० ए०एस०आर०/जाल०/ए०टी०-716/73-74—यतः मुझे डी० एस० गुप्ता आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3477 जुलाई, 1973 लिखा है, जो वाई पास, जालन्धर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन जुलाई, 1973 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच तय पाया गया ऐसे अन्तरण के लिए प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने के लिए सुकर बनाना; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए सुकर बनाना ;

और यतः आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क के शब्दों में पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करने के कारण मेरे द्वारा अभिलिखित किए गए हैं।

अतः, अब, धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री करतार सिंह, पुत्र श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री हरि सिंह, गांव गढ़े, तहसील नकोदर । (अन्तरक)

2. (1) श्रीमती जसवंतकौर पत्नी श्री राम सिंह, एन०बी०-56, बस्ती भूरे खान, जालन्धर शहर ।

(2) श्रीमती जतिन्दर कौर, पत्नी श्री राजिन्दर सिंह, पुत्र श्री राम सिंह, एन० बी०-53, बस्ती भूरेखान, जालन्धर ।

(3) श्रीमती प्रीतम कौर पत्नी श्री मोहिन्दर सिंह, पुत्र श्री राम सिंह एन० बी०-54, बस्ती भूरे खान, जालन्धर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि नं० 2 पर है ।

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में अधोहस्ताक्षरी जानता है)

4. कोई व्यक्ति जो सम्पत्ति में रुचि रखता है।

(वह व्यक्ति जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के प्रति आक्षेप, यदि कोई हो, तो :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि इस स्थावर सम्पत्ति के अर्जन के प्रति इस सूचना के उत्तर में किए गए आक्षेपों, यदि कोई हों, की सुनवाई के लिए तारीख और स्थान नियत किए जाएंगे और उसकी सूचना हर ऐसे व्यक्ति को, जिसने ऐसा आक्षेप किया है तथा सम्पत्ति के अन्तरिती को दी जाएगी।

एतद्द्वारा आगे यह अधिसूचित किया जाता है कि हर ऐसे व्यक्ति को, जिसे पूर्ववर्ती पैरा के अधीन सूचना दी गई है, आक्षेपों की सुनवाई के समय सुने जाने के लिए अधिकार होगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

धरती जैसा कि रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3477 जुलाई, 1973 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, जालन्धर में लिखा है ।

डी० एस० गुप्ता
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 31 जनवरी, 1974
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

विज्ञापन सं० 9

निम्नलिखित पदों के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं । उम्मीदवारों की आयु 1-1-1974 को निर्धारित आयु सीमाओं के अंतर्गत होनी चाहिए, किन्तु सरकारी कर्मचारियों को उन पदों को छोड़ कर जिनके संबंध में ऐसी छूट न देने का उल्लेख किया गया हो, आयु-सीमा में छूट दी जा सकती है । ऊपरी आयु-सीमा में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित लोगों तथा बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों तथा कीनिया, युगांडा और संयुक्त गणराज्य टंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन कर आए लोगों के कुछ वर्गों को 45 वर्ष की आयु तक छूट दी जा सकती है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जा सकती है । विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर अन्य लोगों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी और यह छूट किसी भी स्थिति में 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । अन्य दृष्टियों से सुयोग्य उम्मीदवारों को, आयोग यदि चाहे तो, योग्यताओं में छूट प्रदान कर सकता है । केवल उन पदों को छोड़कर जिनके संबंध में ऐसा वेतन न देने का उल्लेख किया गया हो, विशेषतया युवा एवं अनुभवी उम्मीदवारों को उच्च प्रारम्भिक वेतन दिया जा सकता है ।

आवेदन-प्रपत्र और विवरण सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011, से प्राप्त किए जा सकते हैं । प्रपत्र के लिए अनुरोध करते समय पद का नाम, विज्ञापन संख्या एवं मद-संख्या अवश्य लिखें और साथ ही प्रत्येक पद के लिये कम से कम 23×10 सें० मी० आकार का अपना पता लिखा हुआ टिकट रहित लिफ़ाफ़ा भेजना चाहिए । लिफ़ाफ़े पर उस पद का नाम लिखा होना चाहिए जिसके लिए आवेदन-प्रपत्र मांगा जा रहा है । आयोग 1-1-1964 को या उसके बाद किन्तु 25-3-1971 से पूर्व भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से प्रव्रजन कर आए वस्तुतः विस्थापित तथा 1 जून, 1963 और 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद क्रमशः बर्मा और श्रीलंका से प्रत्यावर्तित व्यक्तियों का शुल्क माफ कर सकता है जो यथार्थतः निर्धन हों । प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन-पत्र भेजना चाहिए । विदेशों में रहने वाले उम्मीदवार आवेदन-प्रपत्र न मिलने पर सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं और स्थानीय भारतीय दूतावास में शुल्क जमा कर सकते हैं । अपेक्षित होने पर उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ेगा । रु० 8.00 (अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिए रु० 2.00) के रेखांकित किए हुए **भारतीय पोस्टल** आर्डर सहित आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तारीख 2 अप्रैल, 1974 (विदेशों में तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप में रहने वाले आवेदकों के लिए 15 अप्रैल, 1974) है । खजाना रसीदों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

क्रम संख्या 1 का पद विभागीय अधिकारियों के लिए स्थायी है । अन्य व्यक्तियों के लिए नियुक्ति संविदा कार्यालय के आधार पर 5 वर्ष के लिए होगी । क्रम संख्या 9 तथा 5 और क्रम संख्या 16 के पद स्थायी हैं । किन्तु उन पर नियुक्ति अस्थायी आधार पर होगी । क्रम संख्या 16 के 2 पद अस्थायी हैं किन्तु उनके स्थायी कर दिए जाने की संभावना है । क्रम संख्या 2, 3, 5 से 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, से 21 के पद अस्थायी हैं किन्तु उनके अनिश्चित काल तक चलते रहने की संभावना है । क्रम संख्या 4, 11 तथा 12 के पद अस्थायी है किन्तु उनके चलते रहने की संभावना है ।

क्रम संख्या 11 का एक पद, क्रम संख्या 12 तथा 16 में से प्रत्येक के दो पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं । क्रम संख्या 12 का एक पद अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है । क्रम संख्या 2 का एक पद तथा क्रम संख्या 20 का पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और उनके न मिलने पर अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे । क्रम संख्या 15, 19 तथा 21 के पद अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और उनके लिए केवल वे ही आवेदन करें । क्रम संख्या 19 के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन करें ।

1. भारत का महासर्वेक्षक, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग । वेतन :—रु० 2000-125-2250 (वेतनमान के संशोधित होकर बढ़ा दिये जाने की संभावना है) । **आयु-सीमा** :—50 वर्ष । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** :—(i) किसी मान्यताप्राप्तविश्वविद्यालय से इंजीनियरी में डिग्री या गणित/भौतिकी/भूगोल/भूमापन (Geodesly) में "मास्टर" डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) किसी इंजीनियरी संगठन या वैज्ञानिक प्रयोगशाला में किसी वरिष्ठ प्रशासकीय और प्रबन्धकीय पद पर लगभग 15 वर्ष का अनुभव । (iii) सर्वेक्षण, फोटो मिति या भूमापन या सरूप विषयों में अनुसंधान का अनुभव जो प्रकाशित अनुसंधा कार्य द्वारा प्रमाणित हो ।

2. तीस अधीक्षक, इंजीनियर (सिविल), सीमान्त सड़क विकास बोर्ड, जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय । वेतन :—रु० 1300-60-1600-100-1800 । **आयु-सीमा** :—40 वर्ष । **सरकारी** कर्मचारियों को छूट नहीं दी जायेगी । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) सिविल इंजीनियर के क्लास I तथा II के पद, या समान पदों पर लगभग बारह वर्ष का अनुभव जिसमें से पांच वर्ष का अनुभव कार्यकारी इंजीनियर की हैसियत से या समान दायित्व वाले पदों पर हो ।

3. एक निदेशक ग्रेड-I (धातु विज्ञान), लघु उद्योग संगठन, औद्योगिक विकास मंत्रालय । वेतन :—: रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800 । **आयु-सीमा** :—45 वर्ष । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** :—(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से धातु विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) किसी

प्राविधिक संगठन या विख्यात औद्योगिक प्रतिष्ठान में किसी दायित्वपूर्ण प्राविधिक पद पर कर्मशाला कार्य/तापोपचार में लगभग 10 वर्ष का अनुभव । (iii) धातुकार्मिक उद्योग में प्रयुक्त अधुनातन उत्पादन प्रविधियों तथा आधुनिक मशीनरी, उपस्कर तथा उपकरणों के प्रयोग की पूर्ण जानकारी हो ।

4. **दो उप निदेशक (परिवहन), केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवहन संगठन, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय । वेतन :**—रु० 1100-50-1400 । **आयु-सीमा** : 45 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक या आटोमोबील इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) किसी परिवहन संगठन में दायित्वपूर्ण हैसियत में कर्मशालाओं के विकास तथा प्रशासन का लगभग 12 वर्ष का अनुभव ।

5. **दो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ग्रेड-I, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, बंगलौर, रक्षा मंत्रालय । वेतन** : रु० 700-50-1250 **आयु** : **वरीयत** : 40 वर्ष से कम । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** :—**पहले पद के लिए** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वैमानिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) प्रक्षेपास्त्रों/निचली नलियों (Drones), बाह्य भण्डारों तथा तीव्रगति वायुयानों से संबद्ध वायुगतिकी अनुसंधान/अभिकल्पन और विकास कार्य का लगभग चार वर्ष का अनुभव । **दूसरे पद के लिए** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वैमानिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) वायुयानों/प्रक्षेपास्त्रों के स्थिरता एवं नियन्त्रण विश्लेषण, प्रक्षेप वक्र (Trajectory) विश्लेषण और वायुयानों तथा प्रक्षेपास्त्रों की संगणक अनुरूपता (Simulation) से संबद्ध कार्य का लगभग चार वर्ष का अनुभव ।

6. **दो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-I, अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षामंत्रालय । वेतन** : रु० 700-50-1250 । **आयु**: वरीयत: 40 वर्ष से कम । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** : **पहले पद के लिए** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/वैमानिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) वायुयान संरचना के क्षेत्र में वैमानिक अनुसंधान एवं विकास का लगभग 4 वर्ष का अनुभव । **दूसरे पद के लिए** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/वैमानिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) प्रणोदन के क्षेत्र में वैमानिक अनुसंधान एवं विकास का लगभग 4 वर्ष का अनुभव ।

7. **दो वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान, बंगलौर, रक्षा मंत्रालय । वेतन** : रु० 400-40-800-50-950 । **आयु** : वरीयत: 30 वर्ष से कम । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** : **पहले पद के लिए** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वैमानिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) वायुवाहित बाह्य भण्डार वाहनों के अभिकल्पन और विकास का लगभग दो वर्ष का अनुभव । **दूसरे पद के लिए** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से यांत्रिक/वैमानिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) वायुवाहित बाह्य भण्डारों के अभिकल्पन और विकास का लगभग दो वर्ष का अनुभव तथा साथ में उक्त भण्डारों के निर्माण की प्रक्रिया के आयोजन का ज्ञान ।

8. **एक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ग्रेड-II, वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बंगलौर, रक्षा मंत्रालय । वेतन** : रु० 400-40-800-50-950 । **आयु** : वरीयत: 30 वर्ष से कम । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से धातु-विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की इंजीनियरी डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) वायुवाहित भण्डारों के चयन विश्लेषण और परीक्षण का लगभग दो वर्ष का अनुभव ।

9. **एक निदेशक, केन्द्रीय मत्स्यकार्मिक शिक्षा संस्थान, बम्बई, कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग । वेतन** : रु० 1300-60-1600 । **आयु-सीमा** : 50 वर्ष । **योग्यताएं: अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषयों, अर्थात् प्राणि विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, अर्थ-शास्त्र, सांख्यिकी या सांख्यिकी सहित गणित, समुद्र विज्ञान या वाणिज्य में से किसी एक में "मास्टर" डिग्री अथवा नौ वास्तुकला या यांत्रिक इंजीनियरी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) मत्स्यकार्मिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और या विकास का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव । (iii) वैज्ञानिक संस्थाओं के प्रशासन और संगठन का अनुभव ।

10. **एक उप निदेशक (विकास), कृषि मंत्रालय (कृषि-विभाग) । वेतन** रु० 700-40-1100-50/2-1250 । **आयु-सीमा** : 40 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सस्यविज्ञान/सस्यसंप्रजनन तथा सस्यानुवंशिकी में विशेषज्ञता के साथ वनस्पति विज्ञान या कृषि वनस्पति विज्ञान या कृषि विज्ञान में एम० एस-सी० डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) विकास योजना कार्य का लगभग पाच वर्ष का अनुभव जो कपास की फसल के विशेष संदर्भ में हो ।

11. **छह सहायक निदेशक (भण्डार एवं अनुसंधान), कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) वेतन** :—रु० 400-40-800-50-950 । **आयु-सीमा** : 35 वर्ष । **योग्यताएं: अनिवार्य:** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में "मास्टर" डिग्री का रसायन विज्ञान या प्राणि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) खाद्यान्नों के भाण्डार, निरीक्षण तथा अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं का लगभग तीन वर्ष का अनुभव **अथवा** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या प्राणि विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के विषय के साथ विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) खाद्यान्नों के भाण्डारों, निरीक्षण तथा अनुरक्षण के विभिन्न पहलुओं का लगभग 5 वर्ष का अनुभव ।

12. **तेरह प्राविधिक अधिकारी (भण्डार तथा अनुसंधान), कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) । वेतन** : रु० 235-15-475-

द० रो०-20-575 । **आयु-सीमा** : 30 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में डिग्री या रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या प्राणि-विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के विषय के साथ विज्ञान में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) खाद्यान्नों के संग्रह तथा सस्य नाशक कीटों के नियन्त्रण से संबद्ध कार्य का लगभग 2 वर्ष का अनुभव अथवा खाद्यान्नों तथा पिष्टपदार्थों के रासायनिक विश्लेषण के बाद गुण निर्धारण का अनुभव ।

13. **दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड-I, अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय । वेतन**:—रु० 700-40-1100-50/2-1250 । **आयु-सीमा** :—40 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) किसी सरकारी या अर्द्ध-सरकारी संगठन या किसी विख्यात वाणिज्य प्रतिष्ठान में पर्यवेक्षक की हैसियत से लगभग सात वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ।

14. **एक उप निदेशक, अनुन्नत वर्ग कल्याण के महानिदेशक का संगठन, अनुन्नत वर्ग अल्याण, गृह मंत्रालय । वेतन** :— रु० 700-40-1100-50/2-1250 । **आयु-सीमा** : 40 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य**:— (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से, सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र या सामाजिक मानव विज्ञान या सामाजिक मनोविज्ञान में 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) समाजकल्याण संगठन के आयोजन या विकास कार्य का लगभग 7 वर्ष का अनुभव ।

15. **एक क्षेत्रीय अधिकारी, हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय वेतन** :—रु० 700-40-1100-50/2-1250 । (वेतन-मान का संशोधन हो रहा है) **आयु-सीमा** :—50 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** :—(i) हिन्दी में द्वितीय श्रेणी की 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता तथा साथ में अंग्रेजी का प्रगाढ़ ज्ञान । (ii) प्रशासन या शिक्षा के क्षेत्र में किसी दायित्वपूर्ण पद पर 7 वर्ष का अनुभव ।

16. **सात सहायक निरीक्षण अधिकारी सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार, केन्द्रीय कम्पनी विधि सेवा, क्लास-I (राजपत्रित) का ग्रेड-IV, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य-विभाग । वेतन** :—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 । **आयु-सीमा** : 30 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) चार्टर्ड लेखाकार अथवा लागत तथा कार्य लेखाकार । (ii) चार्टर्ड लेखाकार या लागत एवं कार्य-लेखाकार की हैसियत से दो वर्ष की प्रक्टिस अथवा किसी वाणिज्यिक औद्योगिक संगठन में अथवा कम्पनी अधिनियम के प्रशासन से संबद्ध किसी सरकारी विभाग में दो वर्ष का अनुभव ।

17. **मानविकी का एक आख्याता, इंजीनियरी कालेज, गोवा, फारमागुड़ी, गोवा, दमन तथा दियु सरकार, शिक्षा विभाग वेतन** : रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 । **आयु-सीमा** :—35 वर्ष । **योग्यताएं** : **अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य में कम से कम द्वितीय श्रेणी की 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) डिग्री कक्षाओं में पढ़ाने का लगभग 2 वर्ष का अनुभव ।

18. **वाणिज्य का एक आख्याता, शिक्षा और लोक निर्माण विभाग, गोवा, दमन तथा दियु सरकार । वेतन**:—रु० 400-400-450-30-600-35-670-द० रो०-35-950 **आयु-सीमा**:—35 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी की 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता (ii) दो वर्ष का व्यावसायिक और/या अध्यापन का अनुभव (iii) व्यापार प्रबन्ध/वाणिज्य व्यवहार का अनुभव ।

19. **एक अधीक्षक, महिला भिक्षुक गृह (अपांग तथा रोगी), समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली प्रशासन । वेतन** :—रु० 425-25-500-30-680 । **आयु-सीमा** : 40 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से समाज विज्ञान संबंधी किसी विषय अर्थात् समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानवविज्ञान आदि में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/मान्यताप्राप्त संस्था में पर्यवेक्षक के पद पर लगभग 2 वर्ष के प्रशासनिक अनुभव सहित लगभग 5 वर्ष का समाज कल्याण कार्य का अनुभव **अथवा** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से समाज कल्याण कार्य में 'मास्टर' डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) किसी सरकारी/अर्द्ध-सरकारी/मान्यताप्राप्त संस्था में पर्यवेक्षक के पद पर लगभग 2 वर्ष को अनुभव सहित लगभग 3 वर्ष का समाज कल्याण कार्य का अनुभव ।

20. **एक अनुसंधान अन्वेषक (ग्रेड-I), आर्थिकी तथा सांख्यिकी निदेशालय, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) वेतन** :—रु० 325-15-475-द० रो०-20-575 । **आयु-सीमा** : 30 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या वाणिज्य में 'मास्टर' डिग्री या कृषि अर्थशास्त्र में एम० एस-सी० (कृषि) अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) आर्थिक अनुसंधान/आर्थिक समस्याओं पर अन्वेषण का लगभग 2 वर्ष का अनुभव ।

21. **एक होम्योपैथिक का चिकित्सक, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नई दिल्ली, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय । वेतन** :— रु० 325-25-500-30-590-द० रो०-30-800 तथा साथ में वेतन के 25 प्रतिशत की दर से प्रेक्टिस न करने का भत्ता जो कम से कम रु० 150/- प्रतिमास होगा । **आयु-सीमा** :—40 वर्ष । **योग्यताएं : अनिवार्य** : (i) बी० एम० एस० (होम्यो०), डी० एच० एम०, डी० एच० एस०, डी०एम०एस० (होम्योपैथी), बी० एम० बी० एस० या एम० एच० एम० एस० या समकक्ष डिप्लोमा (चतुर्वर्षीय पाठ्यक्रम) या जी० एच० एम० एस० डिग्री (आगरा) अथवा समकक्ष योग्यता । (ii) वरीयता: किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल या डिस्पेंसरी में कम से कम 5 वर्ष की होम्योपैथी प्रैक्टिस ।

अशोक चन्द्र बंद्योपाध्याय
सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

SUPREME COURT OF INDIA
(ADMN. BRANCH I)

New Delhi, the 17th January 1974

No. F.6/74-SCA(I).—The Honourable the Chief Justice of India has been pleased to appoint Shri Y. P. Gupta, Assistant of this Registry, as Officiating Section Officer with effect from the forenoon of the 16th January, 1974, until further orders.

Shri Y. P. Gupta will be on probation for a period of one year in the first instance.

The 13th February 1974

No. F1/74-SCA(1).—Owing to the abolition of the post of Deputy Registrar (Research) with effect from the afternoon of the 28th February 1974, the services of Dr. Imam will not be required in the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of the said date.

S. K. GUPTA
Registrar (Admn.)

CABINET SECRETARIAT
(DEPARTMENT OF PERSONNEL)
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 11th February 1974

No. M1/73-AD.V.(Part).—Shri Murari Lal, a directly recruited Dy. S. P C.B.I. under training relinquished charge of his post after completion of his training at the National Police Academy, Abu on 24-11-73 (AN.) and assumed charge of the post at Lucknow on 5-12-73 for further training of 9 months in Uttar Pradesh Police.

G. L. AGARWAL
Administrative Officer (E)
C.B.I.

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

New Delhi, the 8th February 1974

No. 5401-GE.I/G-1/PF.V.—On transfer Shri G. B. Singh has been posted as Director of Audit, Defence Services, New Delhi with effect from 26-6-73 (FN).

He relieved Miss P. Lal, Senior Deputy Director of Audit, Defence Services of the additional charge.

No. 5404-GE.I/G-6/PF.IV.—Consequent upon the setting up of the office of the Chief Auditor (Ordnance Factories) Calcutta Shri T. M. George has been posted as Chief Auditor, (Ordnance Factories) Calcutta with effect from 25-6-73.

No. 5405-GE.I/N-3/PF.—On transfer Shri T. Narasimhan, has been posted as Accountant General, Maharashtra (I), Bombay, with effect from afternoon of 18-6-1973.

He relieved Shri M. Y. Ranade of the additional charge.

No. 5433-GE.I/94-73.—Consequent upon his transfer Shri A. S. Nageswaran has been appointed as Chief Auditor, South Central Railway, Secunderabad with effect from 6-6-1973 forenoon.

He relieved Shri K. N. Murthi of the additional charge.

No. 5434-GE.I/121-71.—The Comptroller & Auditor General of India is pleased to promote Shri B. P. Mathur, an officer of the Time Scale of the I.A.A.S. to officiate in the Junior Administrative Grade of the service (scale Rs. 1300-60-1600) while holding the post of Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce with effect from 9-7-1973 until further orders, under the second proviso to F.R. 30(1).

No. 5606-GE.I/94-73.—Shri P. Y. Godbole, I.A.A.S. has taken the charge of Accountant General, Bihar, Ranchi on 9-7-73 (FN), on return from earned leave from 28-5-73 to 7-7-73 with permission to suffix holidays on 27-5-73 and 8-7-73.

He relieved Shri L. P. Khanna of additional charge.

No. 5653-GE.I/S-45/PF.—On return from earned leave from 9-1-73 to 24-3-73 and Half pay leave from 25-3-73 to 7-7-73 Shri P. R. Shamasundar, I.A.A.S. taken over the charge of Accountant General (II), Andhra Pradesh, Hyderabad on 9-7-73 (FN).

No. 5749-GE.I/326-71.—The Comptroller & Auditor General of India is pleased to promote Shri A. P. Ghosh, I.A.A.S. (presently on foreign service with the Bihar State Electricity Board, Patna as Accounts Member) to officiate in the Accountant General's grade (scale Rs. 1800—100—2000—125—2250) with effect from 26-3-1973, until further orders under the Second proviso to F.R. 30(1).

No. 5750-GE.I/326-71.—The Comptroller & Auditor General of India is pleased to promote Shri C. S. Menon, I.A.A.S. (presently on foreign service with the Kerala State Electricity Board, Trivandrum, as Accounts Member) to officiate in the Accountant General's grade (scale 1800—100—2000—125—2250) with effect from 6-4-73 (afternoon), until further orders under the Second Proviso to F.R. 30(1).

No. 5751-GE.I/326-71.—The Comptroller & Auditor General of India is pleased to promote Shri A. L. Kohli, I.A.A.S. (presently on foreign service with the Central Ware-Housing Corporation, New Delhi as Financial Adviser) to officiate in the Accountant General's grade (scale Rs. 1800—100—2000—125—2250) with effect from 18-7-73 until further orders under the Second Proviso to F.R. 30(1).

No. 5917-GE.I/B-17/PF.III.—On attain the age of superannuation on the afternoon of 19-6-73, Shri Bishan Chand, I.A.A.S. holding the post of Director of Audit, Defence Services, New Delhi retired from Government Service.

No. 5957-GE.I/94-73.—On reversion to the Indian Audit & Accounts Department Shri A. C. Bose has been posted as Officer on Special Duty (Reviews) in the office of the Comptroller & Auditor General of India from 4-7-1973 (FN) (in a new post).

No. 6058-GE.I/B-9/PF.—Comptroller & Auditor General of India has been pleased to promote Shri A. N. Biswas of the I.A.A.S. to the Accountant General's Grade of the Service with effect from 18-7-73 forenoon until further orders.

With effect from the same date he has been posted as Chief Auditor, North Eastern Railway, Gorakhpur.

No. 6188-GE.I/S-34/PF.—On transfer Shri R. C. Suri, I.A.A.S. has taken over charge as Accountant General, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Mizoram, Shillong with effect from 18-8-73(FN). He relieved Shri Rajendra Kumar of the additional charge.

No. 6189-GE.I/P-10/P.F.III.—The Comptroller & Auditor General of India has been pleased to promote as a temporary measure, Shri M. N. Patnaik, an officer officiating in Junior Administrative Grade of the I.A.A.S. to the Accountant General's grade of the service without prejudice to the claims of his seniors, for the period from 15-5-72 to 1-7-72.

2. During the said period he held the charge of the post of Accountant General, West Bengal, Calcutta in addition to his own duties as Additional Accountant General in the office of the Accountant-General, West Bengal, Calcutta.

No. 6203-GE.I/R-39/PF.III.—The Comptroller & Auditor General of India has been pleased to promote as a temporary measure, Shri Rajendra Kumar, an officer officiating in Junior Administrative Grade of the I.A.A.S. to the Accountant-General's Grade of the service without prejudice to the claims of his seniors, for the period from 25-6-1973 to 16-8-1973 (FN).

2. During the said period he held the charge of the post of Accountant General, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh & Mizoram, Shillong in addition to his own duties as Additional Accountant General in the same office.

No. 6230-GE.I/S-21/PF.—On return from leave from 1-8-1973 to 24-8-1973 Shri S. Sethuraman, I.A.A.S. has taken over charge as Member, Audit Board & ex-officio Director of Commercial Audit, Madras with effect from 25-8-1973 (FN).

No. 6353-GE.I/B-15/PF.—Shri K. S. Bhatnagar, I.A.A.S. has been posted as Member Audit Board & ex-officio Director of Commercial Audit, New Delhi with effect from forenoon of 2-7-1973.

He relieved Shri M. R. Chawla, I.A.A.S. who proceeded on leave from 2-7-1973 to 23-7-1973.

No. 6445-GE.I/S-15/PF.—On return from earned leave from 20-8-1973 to 5-9-1973 with the permission to prefix Sunday on 19-8-73 Shri M. S. Sarna, I.A.A.S. has taken over as Member, Audit Board & ex-officio Director of Commercial Audit, Dehra Dun with effect from 6-9-73 (FN).

No. 6866-GE.I/287-71.—On the results of the I.A.S. etc. Examination, 1972 Shri Kewal Krishan Bangar, Asstt. Accountant General office of the Accountant General, Punjab, Chandigarh has been selected for appointment to the I.A.S. and relieved from the Indian Audit & Accounts Department on 28-9-1973 (AN).

No. 7115-GE.I/R-6/PF/Pt.IV.—On the expiry of leave Preparatory to Retirement from 16-6-1973 to 12-10-1973 Shri P. K. Rau, Deputy Comptroller & Auditor General of India retired from Government service on the forenoon of 13th October, 1973.

No. 7245-GE.I/281-73.—In pursuance of the provisions in the Notification issued by the Government of India on October 8, 1973, appointing 1st November, 1973 the date for changing the name of the State of Mysore as the State of Karnataka, the office of the Accountant General, Mysore will be redesignated as "Accountant General, Karnataka" with effect from the same date.

No. 7522-GE.I/I-8/PF.III.—The Comptroller & Auditor General of India has been pleased to promote Shri S. P. Joshi to the Accountant-General's grade of the I.A.A.S. as temporary measure without prejudice to the claims of seniors with effect from March 6, 1973 (afternoon) until further orders.

Shri S. P. Joshi has been appointed to hold charge of the post of Accountant General, Punjab in addition to his duties as Additional Accountant General in the same office with effect from March 6, 1973 (AN).

No. 7624-GE.I/H-27/PF II.—The Comptroller & Auditor General of India is pleased to appoint Shri M. D. Herebet, a Temporary Assistant Director of Audit, Defence Services in the office of the Senior Deputy Director of Audit, Defence Services, Southern Command, Poona, to officiate as Sr. Dy. Director of Audit, Defence Services in the same office for the period from September 28, 1973 to November 12, 1973 as a temporary measure during the absence on leave of Shri K. R. Rabindra Nath.

No. 8040-GE.I/N-7/PF.—On return from leave Shri A. S. Nageswaran has taken charge as Chief Auditor, South Central Railway, Secunderabad with effect from 2-9-1973.

No. 8039-GE.I/M-18/PF.—On the expiry of leave and on reversion to the Indian Audit & Accounts Department Shri Amitabha Ghosh, I.A.A.S. has been transferred and posted as Member Audit Board & ex-officio Director of Commercial Audit, Calcutta with effect from 3-12-73 in the leave vacancy of Shri C. J. Malkani.

Shri Ghosh will hold the charge during the period of leave of Shri Malkani.

No. 7830-GE.I/R-27/PF.II.—Consequent upon grant of extension of earned leave for 4 days from 13-11-1973 to 16-11-1973 to Shri K. R. Rabindra Nath, I.A.A.S. the Comptroller & Auditor General of India is pleased to order the continued officiation of Shri M. D. Herbet, Temporary Assistant Director of Audit, Defence Services, as Senior Deputy Director of Audit, Defence Services, Southern Command, Poona for a further period of 4 days from 13-11-1973 to 16-11-1973.

R. K. KHANNA
Deputy Comptroller and Auditor
General of India

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL KARNATAKA

Bangalore, the 2nd February 1974

OFFICE ORDER

SUBJECT : Notice of termination of service issued under Rule 5(1) of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965.

No. ESI/A1/183.—In pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules 1965, I hereby give notice to Shri G. Thomas, Class IV, that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is published in the official Gazette.

R. A. BORKAR
Sr. Deputy Accountant General, (Admn.)
and appointing authority

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL MAHARASHTRA-I

Bombay-400020, the 6th February 1974

No. Admn. I/IAD/31-Vol.III.—The Accountant General, Maharashtra I, Bombay is pleased to appoint Shri B. S. Shimpi, a member of the S.A.S. to officiate as

Accounts Officer in this office with effect from 24-1-1974 F.N. until further orders.

The 7th February 1974

No. Admn.I/IAD/31-VOL.II/19.—The Accountant General, Maharashtra-I, Bombay is pleased to appoint Shri P. K. Godbole, a member of the S.A.S. to officiate as Accounts Officer in this Office with effect from 24-1-1974 forenoon until further orders.

No. Admn.I/IAD/31-Vol.III/21.—Shri S. R. Darshetkar, Accounts Officer retired on superannuation pension with effect from 31st January, 1974 afternoon.

R. S. SHARMA
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, GUJARAT

Ahmedabad, the 11th February 1974

The Accountant General, Gujarat Ahmedabad is pleased to appoint :—

S/Shri

1. T. D. Krishnamurthy.
2. S. Kirshnamurthy.
3. K. Sankarnarayanan.
4. D. S. Govinda.
5. B. Pandurangan.
6. M. G. Poonekar.
7. N. Swaminathan.
8. P. R. Chidambaram.

Permanent Section Officers to officiate as Accounts Officers in the office of the Accountant General, Gujarat Ahmedabad with effect from the forenoon of the 1st January 1974 until further orders.

The Accountant General, Gujarat, Ahmedabad is pleased to appoint:—

S/Shri

1. A. Raghunathan.
2. D. Subanna.
3. N. Narayan Swamy.
4. H. R. Shah.

Permanent Section Officers, to officiate as Accounts Officers in the office of the Accountant General, Gujarat, Ahmedabad with effect from the afternoon of the 15th January, 1974 until further orders.

Sd. ILLEGIBLE
Deputy Accountant General

OFFICE OF THE CHIEF AUDITOR NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

Maligaon, the 31st January 1974

No. Admn./5-16/58/63/35-A.—Shri N. K. Banerjee temporary Deputy Chief Auditor, attached to this office, has retired with effect from 1-11-73 (F.N.).

Sd. ILLEGIBLE
Chief Auditor

OFFICE OF THE A.G.C.R., NEW DELHI

New Delhi, the 13th February 1974

No. Admn./5-16/58/63/35-A.—Shri N. K. Banerjee, General, Central Revenues, has appointed Shri J. S. Gandhi, permanent Section Officer of this office, to officiate as Accounts Officer in the revised time scale of Rs. 840-1200, with effect from 31-1-74 F.N., until further orders.

H. S. DUGGAL
Sr. Deputy Accountant General (A)

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS

New Delhi the 31st January 1974

No. 40011(2)/73/AN-A.—The undermentioned Accounts Officers will be transferred to the pension establishment with effect from the forenoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation :

Sl. No.	Name with Roster Number	Grade	Date of attaining the age of 58 years	Date from which transferred to pension establishment	Organisation
	Sarvashri				
1.	R. C. Gupta (P/483)	Permanent Accounts Officer	11-4-74 (AN)	1-5-1974FN	Controller of Defence Accounts (Factories) Calcutta.
2.	K. N. Bhate (O/140)	Officiating Accounts Officer	21-4-74 (AN)	1-5-1974FN	Controller of Defence Accounts (Navy) Bombay
3.	H. L. Kohli (O/512)	Officiating Accounts Officer	24-3-74 (AN)	1-4-1974FN	Controller of Defence Accounts (Air Force) Dehradun
4.	Mohan Lal Dhingra (O/516)	Officiating Accounts Officer	14-1-74 (AN)	1-2-1974FN	Controller of Defence Accounts (Other Ranks) North, Meerut.

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

Office of the Controller General of Defence Accounts

New Delhi, the 4th February 1974

No. 40011(2)/73/AN-A—The undermentioned Accounts Officers were transferred to the pension establishment with effect from the forenoon of the date shown against each on their attaining the age of superannuation:

Sl No	Name with Roster No.	Grade	Date of attaining the age of 58 years	Date from which transferred to pension establishment	Organisation
1.	Shri S. J. DAS GUPTA (P/186	Permanent Accounts Officer	1-11-1973 (AN)	1-12-1973FN	Controller of Defence Accounts Patna
2.	Shri G.G. PATKHEDKAR (0/259)	Officiating Accounts Officer	9-11-1973 (AN)	1-12-1973FN	Controller of Defence Accounts (Officers) Poona.

Shri G. G. Patkhedkar, Officiating Accounts Officer was granted leave pending retirement (earned leave) from 13-7-1973 to 9-11-1973

2. (i) All entries against Serial No 2 in this Department notification No 40011(2)/73AN-A dated 4-8-1973 in respect of Shri S. J DASS GUPTA, Permanent Accounts Officer (published at page 3030 of Gazette of India, Part III Section I dated 25-8-1973) are hereby cancelled.

(ii) All entries against serial No 5 in this Department notification No 40011(2)/73AN-A dated 3-7-1973 in respect of Shri G. G. PATKHEDKAR, Officiating Account Officer (published at page No 2223 of Gazette of India, Part III Section I dated 28-7-1973 are hereby cancelled.

The 6th February 1074

No. 18173/AN-II.—On attaining the age of superannuation on 19-2-1974 forenoon Shri M. Thyagarajan, an officer of the Indian Defence Accounts Service, will be transferred to pension establishment and struck off the strength of the Department from the same date.

The 7th February 1974

No. 40011(2)/74-AN-A.—Having given notice of voluntary retirement from service under the provisions of Article 459(i) Civil Service Regulation, Volume I and the same having been accepted by the Controller General of Defence Accounts, Shri M. L. Patney, Permanent Accounts Officer (Roster No. P/230) serving on deputation with the N.C.C. Directorate, Delhi, and borne on the proforma strength of the Controller of Defence Accounts, Western Command, Meerut, will be transferred to pension establishment with effect from the forenoon of 1st March, 1974.

S. K. SUNDARAM
Additional Controller General of Defence Accounts

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(DEPARTMENT OF LABOUR AND EMPLOYMENT)

COAL MINES LABOUR WELFARE ORGANISATION

Dhanbad, the 11th February 1974

No. Admn.13(61)Genl./74.—Consequent on the acceptance of his resignation, Dr. Baleshwar Choudhury, Junior Medical Officer, Central Hospital, Manendragarh relinquished charge on the afternoon of 7-6-72.

R. P. SINHA
Coal Mines Welfare Commissioner
Dhanbad

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 23rd January 1974

No. A.12024/3/73.Est-I.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri S. V. Ghorpade as Senior Artist in this Directorate in a purely temporary capacity on *ad-hoc* basis with effect from the 1st January, 1974, until further orders.

The 30th January 1974

No. A19012/1/74-Est. II.—Shri Krishan Kumar, permanent Technical Assistant (Models) is appointed to officiate as Assistant Research Officer (Visual) in this Directorate in a temporary capacity on *ad-hoc* basis with effect from 14th January, 1974 (forenoon), until further orders.

R. L. JAIN
Deputy Director (Administration)
for Director of Advtg, and visual publicity

FILMS DIVISION

Bombay-26, the 1st February 1974

No. 2/4/68-Est.I.—The Controller-cum-Chief producer, Films Division, had appointed Shri M. Y. Kulkarni, permanent Art Director in the Films Division, Bombay to officiate as Production Manager in the same Office with effect from the forenoon of 21-9-1973 to 1-12-1973 (AN) *vice* Shri S. P. Chandra Mohan granted leave.

K. S. KUDVA
Administrative Officer
for Controller-cum-Chief Producer

DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 4th February 1974

No. A-12026/1/73-SV.—Shri S. L. Bharadvaj, Administrative Officer who was appointed to officiate as Inspector of Accounts in the Directorate General, All India Radio on *ad-hoc* basis for a period of three months with effect from the 15th November, 1973 *vide* this Directorate Notification No. A-12026/1/73-SV dated the 30th November, 1973,/3rd December, 1973 is continued by the Directorate General in the same capacity for a further period of three months *i.e.* upto

14th May, 1974 or till the time the revised recruitment rules are finalised, whichever be earlier.

N. K. BHARDWAJ
Deputy Director of Administration
for Director General

New Delhi, the 7th February 1974

No. 5/67/67-SI.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri A. C. Mahajan, Transmission Executive, All India Radio, Simla as Programme Executive, Radio Kashmir, Srinagar on an *ad-hoc* basis with effect from the 21st January, 1974 until further orders.

SHANTI LAL
Deputy Director of Administration
for Director General

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi-11, the 2nd February 1974

No. 35-24/73-CHSI.—Consequent on her transfer, Dr. (Smt) K. E. Malathi, an officer of General Duty Officer, Grade II of Central Health Service, relinquished charge of the post of Junior Medical Officer, Central Govt. Health Scheme, Delhi on the afternoon of 26th July, 1973 and assumed charge as Junior Medical Officer, Department of Paediatrics, (G.D.O. Grade II of the Central Health Service), at Safdarjang Hospital, New Delhi, on the forenoon of 27th July, 1973.

The 4th February 1974

No. 13-13/73-CHSI.—Dr. B. N. M. Barua, an officer of the Supertime Grade II of the Central Health Service relinquished charge of the post of Assistant Director General of Health Services (BCG) on the forenoon of the 23rd January, 1974 and assumed charge of the post of Adviser in Tuberculosis in the Supertime Grade II of the Central Health Service in the Directorate General of Health Services, New Delhi, on the forenoon of the same day.

G. PANCHAPAKESAN
Deputy Director Administration (CHS)

New Delhi, the 4th February 1974

No. 41-87/73-D.—The Director General of Health Services hereby appoints Shri Ranadhir Mandal as Drugs Inspector in the East Zone Office of the Central Drugs Standard Control Organisation of the Directorate General of Health Services at Calcutta in temporary capacity with effect from the afternoon of the 9th January, 1974 and until further order.

DRUGS SECTION

No. 41-78/73-D.—The Director General of Health Services hereby appoints Shri Dwaraka Prashad Sharma as Drugs Inspector in the West Zone Office of the Central Drugs Standard Control Orgn., of the Directorate General of Health Services at Bombay in a temporary capacity with effect from the afternoon of the 19th Jan., 1974 and until further orders.

P. S. RAMACHANDRAN
Drugs Controller (India)
for Director General of Health Services

New Delhi, the 5th February 1974

F. No. 21-14/73-SI.—The Director General of Health Services is pleased to appoint Shri S. Govindaraiulu, Office Supdt., Government Medical Store Depot, Madras as Assistant Depot Manager in the leave vacancy of Shri S. Rajamanikam on purely *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 22nd October, 1973 at the Medical Store Depot, Madras and until further orders.

P. C. KAPUR
for Director General of Health Services

New Delhi, the 6th February 1974

No. 11-15/73-Admn.I.—On transfer from the Department of Family Planning, Shri V. Ramachandran took over charge of the post of Deputy Director Administration, in the Directorate General of Health Services, New Delhi, on the forenoon of the 13th December, 1973.

On transfer to the Department of Health, Shri V. Ramachandran, relinquished charge of the post of Deputy Director Administration in the Directorate General of Health Services, New Delhi on the forenoon of the 1st January, 1974.

S. P. JINDAL
Deputy Director Administration

MINISTRY OF COMMERCE

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS & EXPORTS

New Delhi, the 23rd January 1974

IMPORT & EXPORT TRADE CONTROL (ESTABLISHMENT)

No. 6/501/58-Admn.(G)/253.—The President is pleased to appoint Miss. S. K. Usmani, a permanent Officer of the Section Officers' Grade of the Central Secretariat Service, to officiate in Grade I of the Service with effect from 1-5-1973, until further orders.

2. The President is also pleased to appoint Miss S. K. Usmani as Deputy Chief Controller of Imports and Exports in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi, with effect from 1-5-1973, until further orders.

No. 6/422/57-Admn.(G)/247.—The President is pleased to appoint Shri P. C. Sen, Controller (Non-CSS) in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, to officiate as Deputy Chief Controller of Imports and Exports (Non-CSS) in that office with effect from the afternoon of 20th October, 1973, until further orders.

S. G. BOSE MULLICK
Chief Controller of Imports and Exports

OFFICE OF THE TEXTILE COMMISSIONER

Bombay-20, the 13th February 1974

No. EST-I-2(610).—The President is pleased to appoint with effect from the forenoon of the 27th November, 1973, and until further orders, Shri Shiv Prasad Kala, as Assistant Director Grade I (P&D) in the Regional Office of the Textile Commissioner, Bombay.

S. K. BAGCHI
Textile Commissioner

Bombay-20, the 29th January 1974

No. EST-1-2(615).—The Textile Commissioner is please to appoint with effect from the forenoon of the 17th December, 1973 and until further orders Shri S. Ravindran, Technical Investigator in the Indian Institute of Handloom Technology—Salem, as Assistant Director, Grade II (P&D) in the same Institute.

The 31st January 1974

No. EST.I-2(613).—The Textile Commissioner is pleased to appoint with effect from the forenoon of the 21st November, 1973 and until further orders Shri C. J. Mathur, as Assistant Director, Grade II (P&D) in the Commissioner, Bombay as Assistant Director, Grade II (Non-Technical) in the Weavers' Service Centre, Bangalore.

No. EST.I-2(612).—The Textile Commissioner is pleased to appoint with effect from the Forenoon of the 1st December, 1973 and until further orders, Shri P. B. Mathur, as Assistant Director, Grade II (P&D) in the Regional Office of the Textile Commissioner, Ahmedabad.

B. N. BASU
Deputy Director (Admn.)

OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER

Calcutta-1, the 1st February 1974

No. Jute(A)/147/65.—Jute Commissioner, Calcutta hereby appoints Shri K. K. Das, Inspector (Technical), Grade I as Assistant Director (Technical) in an officiating capacity in the same office from the 19th January 1974 forenoon *vice* Shri B. N. Basu promoted until further orders.

N. K. ROY
Administrative Officer
for Jute Commissioner

Calcutta-1, the 7th February 1974

No. Jute(A)/147/65.—Jute Commissioner hereby appoints Shri S. K. Hajra, Inspector (Non-Technical) as Assistant Director (Exports) in an officiating capacity in the same office from the 1st February 1974 forenoon to the 30th March 1974 *vice* Shri K. P. Das proceeded on leave.

N. K. ROY
Administrative Officer

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)
DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

Nagpur, the 29th November 1973

No. F.3(13)51/72-D.II.—In exercise of the powers conferred by the Ministry of Finance (Department of Revenue) Customs Notifications No. 48, dated 24th May, 1954, No. 173 dated the 29th December, 1954 and No. 5 dated the 14th January, 1961, I hereby authorise Shri G. H. Dhankar, Assistant Marketing Officer to issue Certificates of Grading from the date of issue of this notification, in respect of Wool, Bristles & Goat Hair, which have been graded in accordance with the Wool Grading and Marking (Amendment) Rules, 1962, Bristles Grading and Marking (Amendment) Rules, 1973 and Goat Hair Grading and Marking (Amendment) Rules, 1962 respectively and the export of which is subject to the provisions of the above notifications.

The 6th January 1974

No. F.3/357/74-AF.I.—Shri D. N. Tiwari, Senior Inspector, has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer on *ad-hoc* basis, under the Wool, Bristles and Goat Hair Grading Scheme at Faridabad with effect from 4-1-1974 (F.N.), until further orders.

The 4th February 1974

No. F.3/353/73-AFI.—Consequent on his promotion, Shri K. S. Kamath, Assistant Marketing Officer, Essential Oils Grading Scheme, Rajkot, is appointed to officiate as Marketing Officer in the Ghee Grading Scheme at Rajkot w.e.f. the forenoon of 20-12-73, until further orders.

The 12th February 1974

No. F.3/354/73-AF.I.—Shri K. K. Vijayan, Senior Inspector, has been appointed to officiate as Assistant Marketing Officer, Seena Leaves and Pods Grading Scheme, at Tuticorin, on *ad-hoc* basis with effect from 3-1-74 (F.N.) until further orders.

No. F.3/68/66-AF.I.—Shri M. B. K. Rao, Assistant Marketing Officer, Wool, Bristles & Goat Hair Grading Scheme, Nagpur, is appointed to officiate as Marketing Officer on *ad-hoc* basis in the Scheme for Administration of various Quality Control Schemes at Nagpur under the Directorate of Marketing and Inspection with effect from the forenoon of 15-12-73, until further orders.

N. K. MURALIDHARA RAO
Agricultural Marketing Adviser

DIRECTORATE OF EXTENSION

New Delhi, the 22nd January 1974

No. F.12-13/73-Estt.(I).—On the recommendation of D.P.C. (Class II) of the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture Shri I. J. Kapur presently officiating as Administrative Officer on regular basis is appointed sustantively to the permanent post of Assistant Administrative Officer, G.C.S. Class II(Gazetted) (Ministerial) in the pay scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) with effect from 23-8-1973.

N. K. DUTTA
Director of Administration

NATIONAL SUGAR INSTITUTE
DEPARTMENT OF FOOD

Kanpur, the 7th February 1974

No. 10349-53.—On his retirement from Public Service Shri V. Seetharamayia relinguished charge of the post of Hindi-cum-Welfare Office in the National Sugar Institute, Kanpur with effect from the afternoon of 22-1-1974.

SOHANLAL SAXENA
Director

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Rajasthan, the 6th February 1974

No. RAPP/04621/(35)/73-Adm/S/221.—The Chief Project Engineer, Rajasthan Atomic Power Project hereby appoints Shri S. D. Mehta, a permanent Upper Division Clerk of Atomic Minerals Division, New Delhi and a temporary Selection Grade Clerk in the Rajasthan Atomic Power Project as Assistant Personnel Officer on an *ad-hoc* basis in a purely temporary officiating capacity in the same Project with effect from the forenoon of January 14, 1974, until further orders.

GOPAL SINGH
Administrative Officer (Estt.)

ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-12, the 19th January 1974

No. F.92-44/73-Estt./1043.—Shri S. K. Chanda, Senior Zoological Assistant, Eastern Regional Station, Zoological Survey of India, Shillong is appointed as Assistant Zoologist, in temporary capacity, in the same Regional station with effect from 4th January, 1974 (forenoon), until further orders.

The 5th February 1974

No. F.92-27/73-Estt./1586.—Shri M. Srinivasan is hereby appointed as Assistant Zoologist (Gazetted : Class II), in a temporary capacity, in Southern Regional Station, Zoological Survey of India, Madras, with effect from 18th January 1974 (forenoon), until further orders.

DR. S. KHERA
Deputy Director-in-Charge

BOTANICAL SURVEY OF INDIA
DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY
OFFICE OF THE DIRECTOR

Calcutta-13, the 24th January 1974

No. BSI-69/2/73-Estt.—In modification of this office Notification No. BSI-69/2/67-Estt., dated 23rd September, 1968, Shri K. D. Mukherjee, Permanent Curator, Indian Botanic Garden, Botanical Survey of India and officiating as Botanist (Horticulture), Indian Botanic Garden in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800, on *ad-hoc* basis with effect from 1-5-1965 is allowed to continue to hold the said post of Botanist (Horticulture), on *ad-hoc* basis, until further orders.

The 4th February 1974

No. BSI-66/86/74/Estt.—Shrimati Kalpana Nag, Scientific Assistant, Botanical Survey of India is appointed officiate as Botanist (Class II) in the Central National Herbarium, Botanical Survey of India, Howrah in the pay Scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, with effect from the forenoon of 27th December, 1973, until further orders.

No. BSI-66/87/74/Estt.—Shri D. K. Banerjee, Scientific Assistant, Botanical Survey of India is appointed to officiate as Botanist (Class II) in the Central National Herbarium, Botanical Survey of India, Howrah in the pay scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800, on the recommendation of the Departmental Promotion Committee, with effect from the forenoon of 26th December, 1973, until further ordtrs.

R. P. PATIL
Director-in-Charge

Calcutta-13, the 2nd February 1974

No. BSI-69/2/73/Estt.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee, the Director-in-charge, Botanical Survey of India, hereby appoints the following incumbents to officiate in the respective Class II posts mentioned against each, on regular basis with effect from the 1st February, 1974, until further orders.

Sl. No.	Name	Designation	Promoted on regular basis to the post of	Scale of pay
1.	Shri K. D. Mukherjee	Curator (IBG) (350—650)	Botanist (Horticulture) Indian Botanic Garden	Rs. 350—25—500—30—590—EB 30-800
2.	Shri S. K. Basu	Do. (IBG) (Rs. 325-575)	Do.	Do. Do.
3.	Shri D. P. Mukhopadhyay	Assistant Curator	Do.	Do.
4.	Shri H. S. Pandey	Garden Supervisor (Rs. 210—425)	Junior Scientific Officer (Indian Botanic Garden)	Rs. 350—25—575
5.	Shri V. V. Nisal	Do.	Assistant Curator (Indian Botanic Garden)	Rs. 325—15—475—EB—20—575

DI. GI. MOOKERJEA
SR. Administrative Officer

MINISTRY OF DEFENCE

Calcutta-16, the 8th February 1974

No.5/74/G—The President is pleased to confirm the following officers in the grade of ADGOF Gr.II/GM Gr. II/Dy. GM with effect from the dates shown against each:

1. Shri N. M. Patel, Offg. ADGOF Gr. II . . . . . 13th July, 1971
2. Shri B. B. Ghosh, Offg. Dy. GM . . . . . 15th Dec., 1971
3. Shri P. K. Banerjee, Offg. Dy. GM . . . . . 20th Jan., 1972
4. Shri R. S. Jaiswal, Offg. Dy. GM . . . . . 9th Oct., 1972
5. Shri G. B. L. Murthy, Offg. ADGOF Gr. II . . . . . 9th Oct., 1972

M. P. R. PILLAI
Asstt. Director General, Ordnance Factories

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400008, the 14th January 1974

No. 05006/R/48/356.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Krishnarajapet Shama Rao Raghunandan as Public Relations Officer, in a temporary capacity, in the Heavy Water Project (Tuticorin) with effect from December 6, 1973 (FN) until further orders.

T. C. SATHYAKEERTHY
Senior Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE & STORES

Bombay-400001, the 21st January 1974

No. DPS/A/22011/6/73/Est.—On transfer from the Power Projects Engineering Division, Department of Atomic Energy, the following officers assumed charge of the posts shown against their names, in a temporary capacity, in the Directorate of Purchase and Stores, Department of Atomic Energy, in the forenoon of January 1, 1974 :

Name	Post
1. Shri V. Boothalingam	Assistant Purchase Officer
2. Shri B. L. Thakur	Assistant Purchase Officer
3. Shri E. Y. Kalimuddin	Assistant Purchase Officer
4. Shri J. G. Singh	Assistant Purchase Officer
5. Shri T. P. Joseph	Assistant Purchase Officer
6. Shri S. S. Pradhan	Assistant Purchase Officer
7. Shri V. P. K. Nambiar	Assistant Stores Officer
8. Shri A. R. Tondwalkar	Assistant Stores Officer

The 23rd January 1974

No. DPS/A/35011/1/73/Est.—Director, Purchase and Stores, appoints Shri V. R. Natarajan, a permanent Section Officer in the office of the Accountant General, Gujarat, on deputation to this Directorate, as a temporary Assistant Accounts Officer on an ad hoc basis in the same Directorate for the period from January 15, 1974 to March 31, 1974.

The 28th January 1974

No. DPS/A/11013/4/73/Est.—Director, Purchase and Stores, Department of Atomic Energy, appoints Shri Awtar Singh Punj, a permanent Upper Division Clerk and officiating Storekeeper in the Directorate of Purchase and Stores to officiate as Assistant Stores Officer, in the same Directorate, with effect from the forenoon of January 7, 1974, until further orders.

K. SANKARANARAYANAN
Administrative Officer

CIVIL ENGINEERING GROUP

Kalpakkam-603102, the 1st February 1974

No. CEG/1(6)/66-Rectt.—Chief Engineer (Civil), Department of Atomic Energy Projects, Kalpakkam, is pleased to appoint Shri V. Jayaraman, a quasi-permanent Supervisor in the Civil Engineering Group, Kalpakkam, as Scientific Officer/Engineer SB in a temporary capacity in the Civil Engineering Group, Department of Atomic Energy Projects, Kalpakkam, with effect from the forenoon of February 1, 1974 until further orders.

V. S. VENKATESWARAN
Administrative & Accounts Officer

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE
(Personnel Division)

Bombay-400085, the 24th January 1974

No. 19(6)/(SB)/70-Estt.XIII/139.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints the undermentioned officers in a substantive capacity as Scientific Officer/Engineer Grade-SB with effect from the date shown against each:-

Sl. No.	Name	Post held at present in permanent/ officiating capacity	Division	Date of confirmation
1.	H. S. Ramaswamy	Foreman/SC1	Directorate of Estate Management	1-8-68
2.	Y. P. Agashe	SA(C)/SC1	Heavy Water Projects (Kota)	1-8-68
3.	Harbans Singh	SA(C)/SC1	Heavy Water Projects (Kota)	1-8-68
4.	C. S. Natarajan	Foreman/SD1	Reactor Control	1-8-68
5.	Y. D. Darukhanawala	SA(C)/SC1	Electronics	1-8-68
6.	T. G. Cutinho	SA(B)/SC1	Biology and Agriculture	1-8-68
7.	C. R. Kalyani	Foreman/SC1	Fuel Reprocessing	1-2-69
8.	K. K. Burman	Foreman/SC1	Heavy Water Division	1-2-69
9.	V. K. Warty	SA(C)/SC1	Atomic Fules	1-2-69
10.	M. M. Thapar	D'man (C)/SB	Reactor Operations	1-2-69
11.	H. C. Dhall	SA(C)/SC1	Reactor Control	1-2-69
12.	R. M. Patel	SA(C)/SC1	Reactor Control	1-2-69
13.	S. Aravamuthan	SA/(C)/SC1	Reactor Research Centre	1-2-69
14.	M. Krishnaswamy	Foreman/SC1	Fuel Repocessing	1-8-69
15.	H. J. Bhoot	Foreman/SC1	Contral Workshops	1-8-69
16.	L. G. Bhide	SA/(C)/SB	Technical Physics	1-8-69
17.	G. R. Subba Rao	Foreman/SC1	Technical Services	1-8-69
18.	K. R. Dhall	SA (C)/SC1	Nuclear Physics	4-8-69
19.	S. Ambikadas	Foreman/SC1	Heavy Water Projects (Talcher)	1-2-70
20.	V. V. Kamat	SA (C)/SC1	Reactor Control	1-2-70

L. H. MIRCHANDANI
Establishment Officer

No. 19(6)/(SB)/70-EsttXIII/138—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints the undermentioned officers in a substantive capacity as Scientific Officer/Engineer Grade-SB with effect from the date shown against each:-

Sl No.	Name	Post held at present in permanent/officiating capacity	Division	Date of confirmation
1.	R. Rajagopalan	-/SC1	Technical Services	1-8-68
2.	Kum. A. K. Ahmad	-SO/2	Medical	2-8-68
3.	M. S. Kurup	-SC/1	Civil Engineering	14-7-69
4.	S. K. Verulkar	-SC/1	Central Workshops (Transport)	1-8-69
5.	A. C. Trivedi	-SC/1	Technical Services	11-8-69
6.	M. K. Shelke	-/SB	Trombay Township Project	12-8-69

L. H. MIRCHANDANI
Establishment Officer

FOREST RESARCH INSTITUTE & COLLEGES

Dehra Dun, the 7th February 1974

No. 16/229/73-Ests-I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun, is pleased to appoint Shri Balbir Inder Bali, Research Assistant Grade I, F.R.I. & Colleges, D. Dun, as Research Officer in the same office with effect from the forenoon of 19th December, 1973, on a temporary basis, until further orders.

The 8th February 1974

No. 16/224/73-Ests-I.—The President, Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun is pleased to order that consequent on the expiry of 13 days leave granted vide this office Memo of even number dated 18-12-73, Shri R. L. Khurana is deemed to have been relieved of his duties of Research Officer, at the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun with effect from the afternoon of 31-12-73.

V. S. BENDRE
Registrar,
Forest Research Institute and Colleges

MINISTRY OF STEEL AND MINES (DEPARTMENT OF MINES) GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcutta-13, the 8th Febuary 1974

No. 2339(NSM)/19B.—Shri N. Sreerama Murty, Senior Technical Assistant (Geophysics), Geological Survey of India is appointed as Assistant Geophysicist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900 in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 5th December, 1973, until further orders.

The 11th February 1974

No. 2251(KKS)/19B.—Shri K. K. Sarin, Senior Drilling Assistant, Geological Survey of India is appointed as Driller in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 350-25-500-30-590-EB-30-800-EB-30-830-35-900/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 19th December, 1973, until further orders.

M. K. ROY CHOWDHURY
Director General

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 5th February 1974

No. A-19018(114)/73-Admn.(G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries, is pleased to appoint Shri K. A. Kalghatgi, Small Industries Promotion Officer, on return from deputation with the Gujarat State Financial Corporation, Ahmedabad, to officiate as Assistant Director (Gr. II) in the Small Industries Service Institute, Gauhati on *ad-hoc* basis. He assumed charge of the post on 15-12-73 forenoon.

No. A.19018(98)/73-Admn.(G).—The Development Commissioner, Small Scale Industries, is pleased to appoint Shri H. C. Bharti, Small Industries Promotion Officer, Small Industries Service Institute, Patna, to officiate as Assistant Director (Gr. II) in Small Industries Service Institute, Patna, on *ad-hoc* basis. Consequent upon his promotion Shri Bharti assumed charge of the post on 17-9-73 (forenoon).

K. V. NARAYANAN
Deputy Director (Admn.)

New Delhi, the 5th February 1974

No. A. 19018/80/73-Admn.(G).—In this Office Notification of even number dated 6-11-173, the following corrections shall be made :—

For G. S. Sohoni, wherever occurs.

Read S. G. Gohoni

K. V. NARAYANAN
Deputy Director (Admn.)
for Development Commisioner (SSI)

MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

New Delhi, the 8th February 1974

NOTICE

No. A-8/A-4/1(S-82).—In pursuance of sub-rule (I) of rule 5 of the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965, I hereby give notice to Shri Surinder Kumar Vohra son of late Shri Atma Ram Vohra working as Peon in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi, that his services shall stand terminated

with effect from the date of expiry of a period of one month from the date on which this notice is served on or, published in the Gazette, as the case may be, tenderd to him.

S. K. JOSHI
Deputy Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

DEPARTMENT OF SUPPLY
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS

(Admn. Branch A-6)

New Delhi, the 8th February 1974

No. A6/247(592)/67.—The President has been pleased to appoint **Shri G. Ramadas, Inspecting Officer** in Engineering Branch of Grade III of the Indian Inspection Service Class I to officiate as Dy. Director of Inspection in Engineering Branch of Grade II of the service with effect from the afternoon of **22-1-74 and until further** orders.

Shri Ramadas relinquished charge of the post of Inspecting Officer (Engg.) and assumed charge of the post of Dy. Director of Inspection (Engg.) in the Calcutta Inspection Circle, in the afternoon of the 22-1-74.

No. A6/247(244)/59/II.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Sehgal, Assistant Inspecting Officer (Engg.) to officiate as Inspecting Officer in the **Engineering Branch of Grade III of the Indian Inspection Service,** Class I with effect from the forenoon of the 7-12-73, until further orders.

Shri Sehgal relinquished charge of the post of Assistant Inspecting Officer in the Jullundur sub-office of the N.I. Circle and took over charge of the post of Inspecting Officer (Engg.) in the same sub-office in the forenoon of 7-12-73.

No. A6/247(217).—Shri K. C. Dutta Gupt, a permanent officer in **Gr. II of IIS Class Met. Branch and Officiating** Director of Inspection Grade I of the Service at Metallurgical Inspectorate, Burnpur under the Directorate General of Supplies and Disposals retired from Government Service in the afternoon of 31-12-73 on attaining the age of superannuation.

No. A/17011(59)/73-A-6.—Shri A. R. Hussainy officiating Assistant Inspecting officer (Tex.) in the office of the Director of Inspection, Madras reverted to the post of Examiner Officer (Tex.) in the same office in the afternoon of the 31-12-73.

S. K. JOSHI
Deputy Director (Admn)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION
INDIA METEOROLOGICAL DEPARTMENT

New Delhi-3, the 4th February 1974

No. E(1)07193.—Consequent upon the marriage of Kumari S. Jayanthi, Officiating Assistant Meteorologist, India Meteorological Department her name has been changed to Smt. N. Jayanthi.

NOOTAN DAS
Meteorologist
for Director General of Observatories

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 1st February 1974

No. A32013/3/72EA—The President is pleased to promote the following Assistant Aerodrome Officers to the grade of Aerodrome Officer in the Air Routes & Aerodromes Organisation of the Civil Aviation Deptt. in an officiating capacity, with effect from the dates noted against their names and until further orders:

S.No.	Name	Station	Date
1.	Shri Panna Lal	Udhampur	21-1-74
2.	Shri Chanan Singli	Bhavnagar	24-12-73
3.	Shri Kripa Shanker	Kehoed	11-1-74

S. L. KHANDPUR
Assistant Director of Administration

MINISTRY OF WORKS & HOUSING
OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

New Delhi, the 8th February 1974

No. 33/9/72-Admn.IV.—The Engineer-in-Chief, C.P.W.D., is pleased to appoint Shri V. H. Kamble as temporary Assistant Architect on a pay to be fixed by the Audit according to rule in the scale of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000— EB —40—1200 plus usual allowances with effect from 1-1-74 F.N. on the terms and conditions as enumerated in this office Memorandom No. 33/9-72 Admn.IV, dated 28-12-72.

B. P. PATHAK
Dy. Director of Administration

New Delhi, the 8th February 1974

No. 1/300/69-Admn.IV.—Shri R. P. Raiora, a permanent Architect of this department expired on 24th January 1974.

B. P. PATHAK
Dy. Director of Admn.
For Engineer-in-Chief

New Delhi, the 11th February 1974

No. 5/2/71-ECI.—The President is pleased to appoint Shri Anil Puri on the results of Engineering Services Examination, held in 1972, on probation in the Central Engineering Services Class I, in the C.P.W.D. against temporary post of Assistant Executive Engineer (Elect) with effect from the forenoon of 11th January, 1974.

DHAN RAJ
Dy. Director of Administration

CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad-121001, the 5th February 1974

No. 3-322/73-C.H. (Estt.).—Dr. K. L. V. R. Rao is hereby appointed to officiate as Assistant Hydrogeologist, G.Cs Class -II (Gazetted) on a pay of Rs. 400/- per month plus allowances in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 in the Central Ground Water Board with his headquarter at

Nagpur with effect from 11-1-74 (F.N.) till further orders.

D. S. DESHMUKH
Chief Hydrogeologist

CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION
(WATER WING)

New Delhi-22, the 30th January 1974

No. A-19012/464/73-Adm.V.—The Chairman, Central Water and Power Commission hereby appoints Shri Badri Narain Ram to officiate as an Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) in the Central Water and Power Commission on a purely temporary and *ad-hoc* basis. He will be entitled to draw his grade pay as Supervisor plus 10% allowance while employed as Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) on an *ad-hoc* basis, with effect from 4-1-1974 F.N. until further orders.

Shri Badri Narain Ram took over charge of the office of Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) in the Central Water and Power Commission (Water Wing) with effect from the above date and time.

The 31st January 1974

No. A-19012/465/74-Adm V.—The Chairman Central Water and power Commission hereby appoints Shri S. M. Kansal to officiate as an Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) in the Central Water and Power Commission on a purely temporary and ad-hoc basis. He will be entitled to draw his grade pay as Supervisor plus 10% allowance while employed as Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) on an *ad-hoc* basis, with effect from 15-1-74 F.N. until further orders.

Shri S. M. Kansal took over charge of the office of Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) in the Central Water and Power Commission (Water Wing), with effect from the above date and time.

The 1st February 1974

No. A-19012/448/73-Adm.V.—The Chairman, Central Water and Power Commission hereby appoints Shri Kishore Kumar Singh to officiate as an Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.), in the Central Water and Power Commission on a purely temporary and *ad-hoc* basis. He will be entitled to draw his grade pay as Supervisor plus 10% allowance while employed as Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) on an *ad-hoc* basis, with effect from 27-10-1973 (A.N.) until further orders.

Shri Kishore Kumar Singh took over charge of the office of Extra Assistant Director/Assistant Engineer/Assistant Research Officer (Engg.) in the Eastern Gauging Sub-Division Shillong under the Central Discharge Circle, Hyderabad, with effect from the above date and time.

M. L. NANDA
Under Secretary
Central Water and Power Commission

DEPARTMENT OF SPACE
CIVIL ENGINEERING DIVISION

Bangalore-560009, the 31st January 1974

No. 10/3(33)/73-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space is pleased to appoint Shri R. S. Subramanian, a permanent Assistant in the Department of Space as Assistant Personnel Officer in the Civil Engineering Division with effect from the forenoon of December 19, 1973, and until further orders.

The 5th February 1974

No. 10/7(133)/73-CED(H).—Chief Engineer, Civil Engineering Division, Department of Space is pleased to continue the appointment of Shri V. Narasimhan, holding the post of Assistant Personnel Officer on ad-hoc basis, in Civil Engineering Division as officiating Assistant Personnel Officer on regular basis with effect from August 25, 1973 until further orders.

P. I. U. NAMBIAR
Administrative Officer
for Chief Engineer

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th January 1974

No. 73/W6/TK/34.—It is hereby notified that Ministry of Railways (Railway Board) have approved of the transfer of the maintenance of the following sections from Central Railway to Western and South Central Railways :—

(i) *From Central Railway to Western Railway*

M.G. track 183 ft. in length from Km. 630/24 to 630/4 Khandwa-Ratlam Section. Jurisdiction demarcation point would now be Kms. 630/4 between Khandwa and Ajanti.

(ii) *From Central Railway to South Central Railway*

M. G. track from Kms. 947.00 to 948.83 = 1.83 Kms. on Khandwa-Purna Section. Jurisdiction demarcation point would now be Kms.947.00.

The adjustments have been made in the interest of proper maintenance of Railway track.

A. L. GUPTA
Secretary, Railway Board

NORTHERN RAILWAY

New Delhi, the 1st February 1974

No. 2.—Shri Rajesh Bahadur, Asstt. Personnel Officer, Northern Railway who is on L.P.R. from 10-10-73 to 6-2-74 is finally retired from service w.e.f. 6-2-1974 A.N.

In terms of Railway Board's letter No. PC-111/73/RT/4, dated 18-12-1973 the date of his retirement will be treated 28-2-74 A.N. instead of 6-2-74 A.N. and the period from 7-2-74 to 28-2-74 will be treated as duty for all purposes.

C. S. PARAMESWARAN
General Manager

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Bombay-20, the 2nd February 1974

No. F. 48-Ad(AT)/73.—Shri M. M. Prasad, Officiating Superintendent on *ad-hoc* basis in a temporary capacity in the Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay who was appointed to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad-hoc* basis in a short-term leave vacancy with effect from 19-11-1973 (Forenoon) until further orders *vice* Shri J. K. Sharma,

Asstt. Registrar *vide* this office Notification No. F. 48-Ad(AT)/73 dated 19-11-1973, is now permitted to continue to officiate as Assistant Registrar, Income-tax Appellate Tribunal, Bombay Benches, Bombay on *ad-hoc* basis in a temporary capacity for a further period with effect from 4-12-1973 to 18-5-1974 *vice* Late Shri J. K. Sharma or till the post is filled up by regular appointment of a nominee of the Union Public Service Commission, whichever is earlier.

HARNAM SHANKAR
President

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Bhubaneswar, the 2nd February 1974

No. Ad.I-1/73-74.—Shri R. S. Mandal Income Tax Officer, Puri was granted Earned leave for 10 days from 8-10-73 to 17-10-1973 with permission to prefix 4-10-73 to 7-10-73 which are holidays to the leave.

2. Shri S. Dash Income Tax Officer, Ward-A, Bhubaneswar was appointed to hold the charge of Income Tax Officer, Puri during the absence of Shri Mandal on leave in addition to his own duties.

3. On expiry of leave Shri Mandal took over charge of Income Tax Officer, Puri on the forenoon of 18-10-1973 relieving Shri Dash of the additional charge.

M. W. A. KHAN,
Commissioner of Income Tax
Orissa, Bhubaneswar

ORDER

Bhopal the 1st February 1974

*No.*318—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 117 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) the Commissioner of Income-tax, Madhya Pradesh, Bhopal hereby appoints:-

Sr. No.	Name & Designation	Attached to the Office of the
1.	Shri B. N. Kulkarni Inspector	Office of the Commissioner of Incometax, M. P. Bhopal.
2.	Shri B. L. Srivastava, Inspector	Office of the Additional Commissioner of Income-tax, M.P., Bhopal.
3.	D. M. Maheshwari, Inspector	Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax (Internal Audit party), Bhopal.
4.	L. L. Sharma , Inspector	Office of the Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax (Internal Audit Party, Jabalpur.
5.	D. L. Khanna, Inspector	Office of the Income-tax Offic er, Administration, Indore.
6.	R. N. Sirothiya, Inspector	Office of the Income-tax Officer, Gwalior.
7.	D. P. Shrivastava, Inspector	Office of the Commossioner of Income-tax, M.P., Bhopal.

as Income-tax Officer, Class-II with effect from the date they report for duty.

2. Accordingly:-

1. Shri B. N. Kulkarni
2. Shri B. L. Shrivastava
3. Shri D. M. Maheshwari
4. Shri L. L. Sharma
5. Shri D. L. Khanna
6. Shri R. N. Sirothiya, and
7. Shri D. P. Shrivastava

are with effect from the date they report for duty, appointed to officiate as temporary Income-tax Officers Class-II in the Income-tax Department, Madhya Pradesh, Bhopal in the scale of pay of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 (Revised Pay Scale). Their interse seniority will be fixed later on.

3. These appointments are made on a purely temporary and provisional basis and will confer on them no claim either for retention or Seniority *vis-a-vis* other promotees and are liable to termination without notice. The Officers are also informed that they will be liable to reversion at any time if after a review of the vacancies available for promotees on direct recruits become available for replacing them.

4. In exercise of the powers conferred under section 124 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Commissioner of Incometax, Madhya Pradesh, Bhopal hereby directs that on their appointment as Income-tax Officer, Class-II, the persons named above, shall perform all the functions of an Income-tax Officer under the said Act in respect of the areas, persons or classes of persons or incomes or classes of incomes cases or classes of cases, as may be allotted to them from time to time.

No. 319—On promotion as Income-tax officers, Class-II, the persons named above are posted as under :—

Sl. No.	Name	Posting	Remarks
1.	Shri B. N. Kulkarni	Incometax Officer, E-Ward, Gwalior	Vacant post. Relieving the additional charge of Shri Indrapal Singh, I.T.O.
2.	Shri B. L. Shrivastava	Incometax Officer, B-Ward Ratlam	Relieving the additional charge of Shri M. J. Servaiya, ITO, A-Ward, Ratlam.

1	2	3	4
3.	Shri D. M. Maheshwari	Incometax Officer, C-Ward, Katni	Vice Shri P. N. Dikshit, I.T.O. transferred.
4.	Shri L. L. Sharma	Addl. Incometax Officer, C-Ward Bhilai.	Vice Shri B. K. Mehta, I.T.O. transferred.
5.	Shri D. L. Khanna	Incometax Officer, H- Ward Jabalpur	Vice Shri D. U. Gedam transferred.
6.	Shri R. N. Sirothiya	Incometax Officer, C-Ward, Sagar	Relieving the additional charge of Shri R. B. Lal, ITO. A-Ward, Sagar.
7.	Shri D. P. Shrivastava	Incometax Officer (Welfare Officer) CIT's office, Bhopal.	Relieving the additional charge of Shri D. K. Dutta, I. T. O. HQ (SIB), Bhopal.

*No.*320/—Shri B. K. Mehta, Additional Income-tax Officer, C-Ward, Bhilai is hereby transferred and posted as Income-tax Officer, Assessment-IV, Raipur relieving the additional charge of Shri C. S. Ramanujam, Income-tax Officer, Asstt. III, Raipur.

*No.*321/—Shri D. U. Godam, Income-tax Officer, E-Ward, Jabalpur is hereby transferred and posted as Assistant Controller of Estate Duty, Jabalpur, relieving Shri R. Dubey, I.T.O. A-Ward, Satna of his additional Charge.

*No.*322/—Shri D. A. Kadam, Income-tax Officer, G-Ward, Jabalpur is hereby transferred and posted as Income-tax officer, E-Ward, Jabalpur.

*No.*323/—Shri P. N. Dikshit, Income-tax Officer, C-Ward Katni is hereby transferred and posted as Income-tax Officer, G-Ward (Collection), Jabalpur.

Sd/-
K. JAGANNATHAN,
Commissioner of Income-tax Madhya Pradesh, Bhopal

DIRECTORATE OF INSPECTION (CUSTOM AND CENTRAL EXCISE)

New Delhi, the 2nd February 1974

No. 3/1974.—Shri Parimal, Sen lately posted as Superintendent of Central Excise Class II, in the Calcutta and Orissa Central Excise, Collectorate, Calcutta, assumed charge as Inspecting Officer (Customs and Central Excise) Class II, in the East Regional Unit of the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise, at Calcutta, in the forenoon of the 18th September, 1973.

The 5th February 1974

No. 4/1974.—Shri A. K. Mansharamani, a permanent Office Superintendent of the Directorate of Inspection, Customs and Central Excise and at present officiating as Assistant Chief Accounts Officer in the leave vacancy of Shri Hari Dev Sharma, is further allowed to continue to officiate in the same capacity until further orders and in the same office with effect from the 1st February, 1974 *vice* Shri S. N. Verma on deputation to the Central Excise Tobacco Experts Committee, New Delhi.

B. S. CHAWLA,
Director of Inspection,
Customs and Central Excise

CENTRAL EXCISE COLLECTORATE.

(ESTABLISHMENT)

New Delhi, the 13th February 1974

No. 16.—Shri R. D. Vasudeva, Inspector (S.C.) of Central Excise & Customs of this Collectorate appointed to officiate until further orders as Superintendent of Central Excise & Customs Class-II in the pay scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900, assumed charge of the office of Superintendent, Central Excise & Customs, Class-II, Manifest, Hqrs. Office, New Delhi in the forenoon of 23rd Jan. 1974.

M. S. MEHTA,
Collector

Baroda, the 28th December 1973

*No.*14 of 1973—The following Inspectors (Senior Grade) who were appointed to officiate as Siperintendent, Central Excise Class II under this office Establishment Order No. 202/1973 dated 29-9-73 have assumed the charge of Superintendent, Central Excise Class II on the dates shown against them:-

Sr. No.	Name of the Officer	Posting	Date of assumption of charge.
1.	Shri I. P. Desai	Customs Godown A'bad (Ahmedabad Coll'ate)	8-10-73 F.N.
2.	Shri R. M. Desai	Vasad Range, IDO Anand	15-10-73 F.N.
3.	Shri H. F. S. Pirzada	CIU, Hdqrs. Office, A'bad (A' bad Coll'ate)	12-10-73 F. N.
4.	Shri D. T. Keshwani	F. S. Khambhalia. (A'bad Coll'ate)	22-10-73 F.N.
5.	Shri J. M. Shah	Gold Cell, Hdqrs. Office, Baroda	4-10-73 A.N.

No. 15/1973.—Shri T. F. Waswani, Inspector (Senior Grade) who was appointed to officiate as Superintendent, Central Excise, Class II under this office Establishment Order No. 213/73 dated 15-10-73 has assumed the charge of Superintendent Central Excise, Class II, in the forenoon of 8-11-73.

D. N. LAL
Collector,
Central Excise, Baroda

Kanpur, the 23rd January 1974

No. 16/74.—The undersigned regretfully notifies the death on 26-12-73 of Sri R. P. Kakkar, an officiating Superintendent Central Excise Class-I, lately posted in the office of the Assistant Collector, Central Excise, Agra.

J. DATTA
Collector

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES,

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Dandekar Engineering Pvt. Limited

Bombay, the 8th February 1974

No. 2868/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Dandekar Engineering Pvt. Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

S. NARAYANAN
Addl. Registrar of Companies,
Maharashtra, Bombay.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of Das Brothers Printing Works Private Limited

Calcutta, the 1st February 1974

No. 16200/560(3).—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the Das Brothers Printing Works Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Registrar and the said company will be dissolved.

T. K. S. BISWAS
Asstt. Registrar of Companies,
West Bengal

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Panchasheela Pictures Private Limited

Bangalore, the 2nd February 1974

No. 1325/Dis/73.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Panchasheela Pictures Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Vilasini Trading and Chit Funds Private Limited

Bangalore, the 4th February 1974

No. 1828/Dis/73.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vilasini Trading and Chit Funds Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Binduraj Trading and Chit Funds Private Limited

Bangalore, the 4th February 1974

No. 1826/Dis/73.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Binduraj Trading and Chit Funds Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. K. DHAR,
Registrar of Companies

In the Matter of the Companies Act, 1956 and of Ushakiron Construction Private Limited

Shillong, the 6th February 1974

No. 1403/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act 1956, that at the expiration of three months from the date hereof, the name of Ushakiron Construction Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

S. P. VASHISHTHA,
Registrar of Companies,
Assam, Meghalaya, Manipur, Tripura, Nagaland,
Arunachal Pradesh & Mizoram,
Shillong

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-713/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority under Section 269D of the Income-Tax Act, 1961 (43
of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3457 of July, 1973. situated at Bye Pass Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Jullundur in July 1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay under the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Kartar Singh s/o Shri Gopal Singh R/o V. Guray Teh. Nakodar.
(Transferor)

(2) Shri Hari Dev s/o Shri Tarsem Lal s/o Shri Kushi Ram Mohalla Tandana, Nakodar through Smt. Kaushalya Devi c/o Shri Ujagar Singh, Phatian Wala, Sodal Road, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by anyother person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3457 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range
Amritsar

Date : 31st January, 1974.
Seal :

[Strike off where not applicable]

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D-(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE BUILDING, BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-1

Patna, the 31st January 1974

Ref. No. III-66/Acq/73-74/1522.—Whereas I, J. Nath, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Road, Patna.
being the Competent Authority under Section 269B
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Ward No. 2, Plot No. 762 etc. situated at Exhibition Road, Patna
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 5-9-1973
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilities the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Vijay Kumar, S/o Late Sri Newas Ram, Smt. Urmilla Devi, W/o Vijay Kumar Sanjay Kr. At 91 ELCID Ridge Road, Bombay. (Transferor)

(2) Shri Sardar Bahadur Singh, S/o Sri Mohan Singh Harimandirgali, P. S. Chow, Patna City, Patna. (Transferee)

(3) Shrimati Shushila Sinha Exhibition Road, Patna. (Person in occupation of the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Exhibition Road, Area 2248.89 Sq. ft.=209.86 Sq. mts. Holding No. 567/401 New, 316 old, Plot No. 762, Circle No. 6, Ward No. 2, Sheet No. 31, Patna-1.

J. NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Patna

Date : 31-1-74.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 5th February 1974

Ref. No. F. Acq./30/Kanpur/73-74/2628.—Whereas, I, Y. Khokhar being the competent authority under section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 122/722 situated Hariharnath Shastri Nagar, Kanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the registering officer at Kanpur on 17-9-73 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Asuda Singh S/o Panjram, 122/722, Harihar Nath, Shastrinagar, Kanpur.
(Transferor)

(2) Shri Jumramal S/o Nanakram & S/S Ghan Shyam das & Dwarika Prasad S/o Sri Jumramal, 122/722, Hariharnath, Shastri Nagar, Kanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One storeyed house No. 122/722, situated at Hari Har Nath, Shastri Nagar, Kanpur.

Y. KHOKHAR
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 5-2-74.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-I
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 8th February 1974

Ref. No. F. XVI/1(iii)/30/73-74.—Whereas, I, K. V. Rajan,
being the competent authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Door No. 15-A situated at Gandhi Road, Salem-7
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at JSR.III, Salem on 10-9-1973
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Advocate K. Subbarajan, S/o Kalianna Gr., Gandhi Road, Salem Town.
(Transferor)

(2) 1. Sri Srinivasa Chettiar,

2. Smt. Vajjrammal, W/o Srinivasa Chr.

3. Sri Rangaraju, S/o Srinivasa Chr,

4. Sri Rajagopal, S/o Srinivasa Chr.

5. Sri Ramachandran, S/o Srinivasa Chr.

Narasingapuram Street, Gugai, Salem Town.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication, of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objection, if any, made in resopnse to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objections, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated in Re-Survey No. 3/2, Block 12, situated at Perieri village, Sivasamipuram Extension, Gandhi Road, Salem Town measuring about 2334 sq. ft.

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax
Acquisition Range-1, Madras-6.

Date : 8-2-1974

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 8th February 1974

Ref. No. F. X/1(ii)/19/73-74.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 131, situated at South Perumal Maistry Street, Mohammeden Area, Madurai Town (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR. II, Madurai on September 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Sri R. Baskaran, S/o V. Rajaraj, 257, South Marret St., Madurai. (Transferor)

(2) 1. Abdul Lathif Sahib,
2. S. P. Amir Ali Sahib,
3. Haji A. Abdul Kapur Sahib,
4. P. Fakir Md. Sahib,
5. G. Ahmed Sherfudin Sahib,
Therku Vasal Mela Theru, Madurai. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building measuring about 3366 sq. ft. situated at Door No. 131, South Perumal Maistry Street, Maduri Town (T.S. No. 2163/2).

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Incometax,
Acquisition Range-1, Madras-6.

Date : 8-2-1974
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 8th February 1974

Ref. No. F. X/1(ii)/20/73-74.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 131, situated at South Perumal Maistry Street, Madurai and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JSR.II, Madurai on September 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

13—476GI/73

(1) Sri R. Chandrasekaran, 257, South Marret Street, Madurai Town.

(Transferor)

(2) 1. Abdul Latif Sahib, 2. S. P. Amir Ali Sahib, 3. Haji A. Abdul Gaffoor Sahib, 4. G. Ahmed Sherfuddin, 5. P. Fakir Md. Sahib, South Vasal Melaththeru, Madurai.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building measuring about 3366 sq. ft. situated at Door No. 131, South Perumal Maistry St., Madurai Town (T.S. No. 2163/2).

K. V. RAJAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-Tax,
Acquisition Range-1, Madras-6.

Date : 8-2-1974

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 8th February 1974

Ref. No. F. XII/23/7/73-74.—Whereas, I, K. V. Rajan, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 6, situated at North Street, Pudupettai (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at JSR.I. Palayamkottai on 22-9-1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) 1. Ammakannu Ammal, W/o Subbaraya Pillai,
2. Rajagopal Pillai, S/o Subbarayan Pillai Palayamkottai & five others,

(Transferor)

(2) Sri A. Ramaswamy Thevar, S/o Andiya Thevar, Sreevaikundam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & Building measuring about 31 cents situated at Door No. 6, North Street, Padupettai, Palayamkottai.

K. V. RAJAN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax,
Acquisition Range-1, Madras-6.

Date : 8-2-1974

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-2
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 19th February 1974

Ref. No. F. 3059/73-74.—Whereas, I, A. Raghavendra Rao,
being the Competent Authority under
Section 269D of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 5-C situated at 10th Cross, Thillainagar, Tiruchi
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at
Tiruchirapalli on 29-9-1973 for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) P. Mohan Chandra Babu, C-77, 10th Cross, Thillainagar, Trichy.
(Transferor)

(2) Minor Ondimuthu by guardian Kanniammal, W/o late V. Arasan Chettiar, No. 24, Telunga Chetty Street, Woraiyur, Trichy.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land & building (10246 sq. ft.) in D. No. 5-C, Plot No. A7/NEE, T.S. No. 58 Part, 10th Cross, Thillainagar, Trichy.

A. RAGHAVENDRA RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Madras-6

Date : 19-2-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE-2, 123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 19th February 1974

No. F. 2074/73-74.—Whereas, I, A. Raghavendra Rao, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S.F. No. 525/2 and S.F. No. 522/2 Ward No. 1, Post Office Street, Avanashi Town. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Avanashi on 15-9-1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Sri Ramalinga Soodambigai Mills Ltd., Tirupur. (Transferor)

(2) Shri M. K. Palanichamy, S/o M. Kandappa Chettiar, 44-A, Kamatchiamman Koil Street, Tirupur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land (92 cents) and building in S.F. No. 525/2, Pazhankarai village, Post office Street, Ward No. 1, Avanashi Town;

Land (42 cents) in S.F. No. 525/2 Pazhankarai village, Post office Street, Ward No. 1, Avanashi Town;

Land (2½ cents) in S.F. No. 525/2 Pazhankarai village, Post office Street, Ward No. 1, Avanashi Town; and

Land (¼ cents) in S.F. No. 522/2 Pazhankarai village, Post office Street, Ward No. 1, Avanashi Town.

A. RAGHAVENDRA RAO
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range-2,
Madras-6

Date : 19-2-1974

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-2,
123, MOUNT ROAD, MADRAS-6

Madras-6, the 19th February 1974

No. F. 2095/73-74.—Whereas, I, A. Raghavendra Rao, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing door No. 29/19A situated at Thadagam Road, Coimbatore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore on 29-11-1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Smt. R. Rajambal, W/o Shri R. Natarajan, 181, Rangai Gowder Street, Coimbatore.
(Transferor)

(2) S/Shri G. Jeevaratnam, P. M. Maruthai Chettiar; and M. Sundram, 30, Vengu Chetty Street, Madras-3.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant site and godown in T.S. Ward No. 7/112/1, Assessment 45053, Door No. 29/19A, Thadagam Road, Coimbatore.

A. RAGHAVENDRA RAO
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-2, Madras-6

Date : 19-2-1974

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE-II AAYAKAR BHAWAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 11th February 1974

No. AR-II/729/1482/73-74.—Whereas I, G. N. Sadhu, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II, Bombay,
being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 14, Sector 1 situated at Chembur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 6-8-1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Shamji Khimji Chheda. (Transferor)

(2) Balbharati Co-operative Housing Society Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is, hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or parcel of land situate at Chembur Greater Bombay in the Bombay Suburban District, in the Registration Sub-District of Bandra bearing Plot No. 14 admeasuring 861 square yards i.e. 719.91 square metres in Sector No. 1 and bounded as follows, that is to say, on or towards the West by plots Nos. 12 and 13, on or towards the East by proposed 30 feet wide internal road, on or towards the South by Plot No. 15 and on or towards the North by proposed 30 feet wide internal road.

G .N. SADHU
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay-20

Date : 11-2-1974

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 8th February 1974

No. AR-II/728/1481/73-74.—Whereas, I, G. N. Sadhu, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II, Bombay,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 36(pt.), H. No. 4 Plot No. 3 situated at Devnar, Chembur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bombay on 4-8-1973
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of only income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Mahindra Foods Pvt. Ltd. of Theur. (Transferor)

(2) Foods & Inns Ltd. of Devnar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or parcel of land situate at Devnar near Chembur in Greater Bombay in the registration sub-district of Bandra District Bombay Suburban measuring ten thousand one hundred and thirty eight square yards equivalent to 8476.5 metres or thereabouts being part of a large piece of land bearing survey No. 36 and hissa No. 4 being plot No. 3 and bearing Municipal M Ward No. 5071 and Street No. 36 and lying to the North of Sion-Trombay Road and bounded as follows : that is to say on or towards the North by survey Nos. 27 and 35 on or towards the South by plot No. 2 belonging to Pharmed Private Ltd., on or towards the East by the properties bearing survey Nos. 37 and 35 and on or towards the West partly by a nala and partly by plot No. 4 of the said large piece of land and by plot No. 4 belonging jointly to Pharmed Private Ltd. the Vendors and Capsulation Service Private Ltd. and used as a roadway.

G. N. SADHU
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range-II, Bombay-20

Date: 8-2-1974

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISION RANGE-II
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 11th February 1974

No. AR-II/732/1494/73-74.—Whereas, I, G. N. Sadhu, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II, Bombay,
being the Competent Authority under
Section 269B of the income-tax Act 1961 (43 of 1961)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 19 & 20 Hissa No. 1 situated at Maravli
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registation Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Bandra on 24-8-1973
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Boman Nosherwan Irani. (Transferor)

(2) India Corrugating Industries Pvt. Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or parcel of agricultural vacant land or ground situate lying and being at Maravli Kurla Taluka Bombay Suburban District in Greater Bombay Registration Sub-District Bandra, Registration District Bombay Suburban and registered in the books of the Collector of Land Revenue under Survey No. 19 Hissa No. 1 and Survey No. 20 and Hissa No. 1 admeasuring 3793 sq. metres (i.e. 4537 sq. yds.) and 4856 sq. metres i.e. 5808 sq. yards respectively the said land bearing Survey No. 19 Hissa No. 1 is bounded as follows : on or towards the North by land bearing S. No. 154 (part) on or towards the West by land bearing S. No. 20 Hissa No. 1, on or towards the South East by land bearing S. No. 19 Hissa No. 2 which the land bearing Survey No. 20 Hissa No. 1 is bounded as follows: on or towards the North by the land bearing S. No. 14 (part) on or towards the South by the pieces of land bearing S. Nos. 20 H. Nos. 3, 9 and 7 on or towards the East by the land bearing S. No. 19 H. No. 1 and on or towards the West by Ghatkopar Mahul Road, and delineated on the plan hereto annexed and thereon surrounded by a red coloured boundary lines.

G. N. SADHU
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-II, Bombay-20.

Date : 11-2-1974

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITON RANGE-II
AAYAKAR BHAVAN. M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 11th February 1974

No. AR-II/951/1431/73-74.—Whereas, I, G. N. Sadhu, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II, Bombay,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 244B H. No. 1 situated at Village Danda
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Bombay on 6-8-1973

consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) S/Shri (1) Krishnakant Chimanlal Shah, (2) Bipinchandra Chimanlal Shah. (3) Hemantkumar Chimanlal Shah and (4) Maheshkumar Chimanlal Shah.
(Transferor)

(2) Gul Palace Co-operative Housing Society Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or parcel of land situate at Pali Hill Road, Bandra, in the Village Danda, in the Registration Sub-District of Bandra, District Bombay Suburban, now in Greater Bombay containing by admeasurement (25½ Gunthas) 3085 square yards equivalent to 2579.36 square metres or thereabouts with the building or structures now standing thereon, bearing Old Survey No. 244, Plot No. 1 of Danda and New Survey No. 244B, Hissa No. 1 and bearing Municipal 'H' Ward Nos. 1804 (1A), (2), (2A), and 2 and 1805 (1), (3), (4) and (5) and Street Nos. 5B(1), 5B(2), 5B(3), 5B(4), 5(B6), 5B(7), 5B(8) and 5B(9) and bounded as follows :—that is to say, on or towards the North by N.A. Nos. 317 and 399, on or towards the East by Plot Nos. 225 and 226 of the Kantewadi Scheme, on or towards the South by Survey No. 244B, Hissa Nos. 2, 3 and 7 and N.A. Nos. 51 and on or towards the West by N.A. No. 52 which all the piece of land is delineated on the Plan hereto annexed and thereon surrounded by a red-coloured boundary line.

G. N. SADHU
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner
Income-tax, Acquisition Range-II, Bombay-20.

Date : 11th February 1974

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-II
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 8th February 1974

Ref. No. AR-II/867/1759/73-74.—Whereas I. G. N. Sadhu, the
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II, Bombay,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 53, H. No. 7(pt.) C.T.S. No. 283 (Pt.) situated at Koldongri Vile. Parle (and more fully
described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Bombay on 17-10-1973,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (i) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Vincent Sebastian Baptista and Braz Sebastian Baptista.
(Transferor)

(2) Rajat Dhaulagiri Co-operative Housing Society Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

ALL THAT piece or parcel of land or ground situate lying and being at Kol Dongri, Vile Parle (East) in Greater Bombay, Bombay Suburban District, Taluka South Salsette in the Registration Sub-District of Bandra District Bombay together with building structure standing thereon containing by admeasurement in aggregate 1938 sq. yds. i.e. 1839.42 sq. metres or thereabouts and bearing Survey No. 53, Hissa No. 7 (part) and bearing Vile Parle (East) C.T.S. No. 283 (part) and is bounded as follows :—On the East by Mahatma Gandhi Road; on the South partly the property of Prachi Co-operative Housing Society Ltd. and partly by Parle Biscuit factory on the West by the property of Mr. Bhujhal and on the North by.

G. N. SADHU
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-II, Bombay-20.

Date : 8-2-74

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISION RANGE-II
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 11th February 1974

No. AR-II/716/1469/73-74.—Whereas, I G. N. Sadhu, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II, Bombay,
being the Competent Authority under
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 87 (pt.) H. No. 7 (pt.) C.S. No. 1556 situtated at Village Ghatla, Chambur, (and
more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bombay on 7-8-1973, for an
apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or their assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Smt. Jayawanti Dhiraj Kharwa.
(Transferor)

(2) Smt. Shardadevi Satish Gupta.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

FIRST SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying at Village Ghatla, Chambur in the Registration Sub-District of Bandra of the Bombay Suburban District containing by admeasurement 840 square yards equivalent to 702.4 Square Metres or thereabouts and registered in the Books of the Collector of Land Revenue of the Bombay Suburban District under Survey No. 78, Hissa No. 7 part and City Survey No. 1556 bounded as follows : that is to say : on or towards the North by Hissa No. 5 & 6 of Survey No. 87; on or towards South by Hissa No. 9 of Survey No. 78; on or towards West by Hissa No. 7 of Survey No. 87 and on or towards East by Survey No. 86 and Development land.

SECOND SCHEDULE

All that piece or parcel of land or ground situate lying at Village Ghatla, Chambur in the Registration Sub-District of Bandra of the Bombay Suburban District containing by admeasurement 276 Square yards equivalent to 230.73 Square Metres or thereabouts out of the land or ground more particularly described in the First Schedule hereinabove written and Registered in the Books of the Collector of Land Revenue of the Bombay Suburban District under Survey No. 78 (part), Hissa No. 7 (part) and City Survey No. 1556 bounded as follows : that is to say, on or towards the North by Hissa No. 5 of Survey No. 87 (bearing City Survey No. 1557 (part) on or towards the South by Hissa No. 9 of Survey No. 87 (part) (City No. 1556 (part): on or towards the West by Hissa No. 7 (part) of Survey No. 87 (City Survey No. 1558 (part); on or towards the East by Existing Road and beyond that by S. No. 87 (part), Hissa No. 7 (part) City Survey No. 1556 (part).

G. N. SADHU,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 11th February 1974
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE-II, AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 12th February 1974

No. AR-II/700/1453/73-74.—Whereas, I G. N. Sadhu, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II Bombay,
being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
Plot No. 57B, Scheme No. III, Sector D situated at Chembur (and more fully described
in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at
Bombay on 8-8-1973
for an apparent consideration which is less than
the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri B. P. Isnagor. (Transferor)

(2) Chembur Sandya Co-operative Housing Society Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 57B, Scheme No. III, Chembur Pestom Sagar Sector 'D' Chembur, Bombay admeasuring 501.6 sq. metres Freehold Land.

G. N. SADHU,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date : 12th February 1974

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II
AAYAKAR BHAVAN, M. KARVE MARG, BOMBAY-20

Bombay-20, the 8th February 1974

No. AR-II/841/1432/73-74.—Whereas, I G. N. Sadhu, the Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax, Acquisition Range II Bombay,
being the Competent Authority under
Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 43 H. No. 10, S. No. 27, H. No. 4 C.S. No. 282 & 285 situated at Kol-Dongri Vile Parle
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Bombay on 6-8-1973
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or their assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922, (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Smt. Angurbala, Wife of Shri Ramganguli.
(Transferor)

(2) Rajat Dhaulagiri Co-operative Housing Society Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, Whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

ALL THOSE piece or parcels of land or ground situate, lying and being at Kol-Dongri, Vile Parle (East) in Greater Bombay, Bombay Suburban District, Taluka South Salesette the Registration Sub-district of Bandra, District Bombay bearing Survey No. 282 and 285 containing by admeasurement 907 square yards i.e. 758.34 square meters and bearing Survey No. 53, Hissa No. 10 and Survey No. 27, Hissa No. 4, and bounded as follows : on or towards the North by lands bearing Survey No. 27, Hissa No. 7 (Part) and Survey No. 27, Hissa No. 3, (Part) on or towards the south by lands bearing Survey No. 53, Hissa No. 7 on or towards the east by lands bearing Survey No. 53, Hissa No. 7, on or towards the east by lands bearing Survey No. 53, Hissa No. 7 (part) and Survey No. 53, Hissa No. 1 and on or towards the west by lands bearing Survey No. 53 and Hissa No. 7.

G. N. SADHU,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-II, Bombay-20.

Date : 8th February 1974

Seal.

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th February 1974

No. 49-R/Acq.—Whereas, I, K. N. Misra, I.A.C., Acquisition Range, Lucknow,
being the competent authority under section
269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
situated at Vill Dherahra
(and more
fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at
Varanasi on 14-8-1973
for an
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Shanker Pd. & others.
(Transferor)

(2) Shri Ram Jatan.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned,

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house situated at Vill. Dherahra Distt. Varanasi.

K. N. MISRA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-tax, Acquisition Range-1, Lucknow

Dated : 19-2-1974

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HUBLI, METRANI BUILDING, VIDYA NAGAR, HUBLI-21

Hubli-21, the 25th February 1974

Ref. No. 59/73-74/H.Acq.—Whereas, I, R. Parthasarathy, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Hubli,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 125/1A situated at Murnal Village, Bagalkot, (and more fully described in the Schedule
annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Bagalkot on 5-12-1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

1. (1) Shri Dongarisab Utalsab Walikar, Murnal Village, Bagalkot Taluk, Bijapur District.

(2) Shri Manasursab Utalsab Walikar, Murnal Village, Bagalkot Taluk, Bijapur District by his Watmukhatyar Dongarisab Walikar.

(3) Shri Lalasab Jinalsab (Jinnesab) Walikar, Murnal village, Bagalkot Taluk, Bijapur District by his Watmukhatyar Dongarisab, Walikar.

(4) Smt. Hasanawwa, wife of Peersab Managoli, Murnal village, Bagalkot Taluk, Bijapur District by her Watmukhatyar Dongarisab Walikar.

(5) Smt. Husensbi, wife of Lalsab Afghan, Murnal village, Bagalkot Taluk, Bijapur District by her Watmukhatyar Dongarisab Walikar.

(Transferors)

20. (1) Shri S. B. Hallur, Murnal.

(2) Shri V. G. Sulakhe, Tailor, Bagalkot.

(3) Shri V. B. Zingade, Tailor, Bagalkot.

(4) Shri L. J. Ambore, Tailor, Bangalkot.

(Transferees)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

42 Plots of various sizes ranging from 55′×70′ to 60′×120′ out of 96 plots which have been formed out of non-agricultural land measuring 11 acres and 8 gunthas with R. S. No. 125/1A on Bagalkot-Belgaum Road, situte in Murnal village, Bagalkot Taluk, Bijapur District.

R. PARTHASARATHY
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range,
Hubli

Date : 25-2-1974.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, NAGPUR

Nagpur, the 27th February 1974

Ref. No. IAC/Acq./27/73-74.—Whereas, I, S. S. Roy, being the competent authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Khasra No. 12/4, Mouza Gadga, Civil Lines, Circle No. 20, Ward No. 39 situated at Nagpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nagpur on 14-6-1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Gopalrao Keshaorao Buty.

(Transferor)

(2) 1. Mrs. Jayashree Vijay Naik. 2. Shri Sripadrao Bhikajipant Naik 3. Dr. Ayhaykumar Vyankatesh Saoji 4. Shri Madhukar A. Karnewar. 5 Dr. Mrs. Sharda S. Jaiswal. 6. Shrimati Tilabai Dehadrai, 7. Shri B. H. Ranade. 8. Shri Ramniwas Jagannath Agarwal 9. Dr. Gangadhar Lachaji Maddiwar. 10 Shri Mulvantrai Prayagajibhai Trivedi. 11 Shri Indrapal Salikram Vij. 12. Shri Arvind Vasant Barhate.

(Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land approximately admeasuring 60,000 square feet 273' East-West and 220' North-South, from Khasra No. 124 Mouza Gadga, Civil Lines, Nagpur known as 'Raja Kothi Compound situate o nthe Temple Road, Civil Lines, Nagpur with the limits of the Nagpur Municipal Corporation and the Nagpur Improvement Trust in Circle No. 20, Ward No. 39, Taluka and District Nagpur, and bounded on :—

North—Temple Road.
South—Raja Kothi Compound and open land owned and held by the Vendor.
East—Reserve Bank Quarters; and
West—Prasad Building compound and open land owned by late Shrimati G. G. Buty.

S. S. ROY
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Nagpur

Date : 27-2-1974.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 23rd February 1974

Ref. No. A-26/73-74/DIB/2748.—Whereas, I, N. Pachuau being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-, and bearing Grant Nos. 123FS, 224 NLR 219-217 NLR, Periodic Patta No. 1, 2, 1, 101, 110 4, 1, 1, situated at Romai Tea Estate, Dibrugarh District of Assam State (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dibrugarh on 6-6-1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or their assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) M/s. The Romai Tea Co. Ltd., Lahoal P.O., Dibrugarh Distt.
(Transferor).

(2) M/s. Williamson Mogor & Co. Ltd., Calcutta.
(Transferee)

(3) M/s. The Romai Tea Co. Ltd. Lahoal P.O., garh Distt.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Romai Tea Estate with all factory buildings Manager's Bungalow, etc. The land is 574 hectares more or less held partly under Grant and partly under Patta (periodic), as given below :—

Enclosure to Notice under Section 269D(1) of the Income-tax Act, 1961 bearing reference No. A-26/73-74/DIB/2748, dated 23-2-74, being continuation of the Schedule thereto.

N. PACHUAU
Competent Authority,
Acquisition Range,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Shillong

Date : 23-2-74.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd February 1974

Ref. No. 44 (Meerut)/73-74/12805.—Whereas, I, Y. Khokhar,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No.
167 B Saket situated at Saket Colony, Civil Lines, Meerut, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Meerut on 24-9-73 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957.

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I thereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Ajai Swaroop s/o Shri Shanti Swaroop, 201, Lodhi-Colony, Block No. A-23, New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Kamal Nath Monga s/o Shri Prem Nath Monga, 145-B Civil Lines, Meerut Cantt.
(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Plot No. 167-B measuring 148-7 sq. yds. situated at Saket Colony, in Civil Lines, Meerut City, with constructions over it.

Y. KHOKHAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range
Kanpur

Date : 22-2-74.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW

Lucknow, the 19th February 1974

Ref. No. 13.C.—Whereas, I, K. N. Misra, I.A.C. Acquisition Range, Lucknow
being the Competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. D64/177B situated at Madhapura Vill. Shivpurwa (and more fully described in
the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Calcutta.
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Indu Bhushan & others (Transferor).

(2) Shri Chander Kumar Sah. (Transferee).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A house situated at Mahapura Sigra Vill. Shivpurwa Distt. Varanasi

K. N. MISRA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 19-2-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW.

Lucknow, the 19th February 1974

R.f. No. 44-B/Acq.—Whereas, I, K. N. Misra, I.A.C., Acquisition Range, Lucknow

being the Competent Authority under section 269D of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 1815 situated at Dhoom Manak Pur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sikandrabad, on 24-8-1973,

for an apparent consideration which is less than

the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Kharak Singh & Others. (Transferor)

(2) Shri Brahm Prakash Gupta (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An Agricultural land measuring 2 Bighas, 8 Biswa and 10 Biswansi situated at Village Dhoom Manak Pur in distt. Bulandshahr.

K. N. MISRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income-tax, Acquisition Range
Lucknow.

Date : 19-2-1974.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, LUCKNOW.

Lucknow, the 19th February 1974

Ref. No. 21-P/Acq.—Whereas, I, K. N. Misra, I.A.C., Acquisition Range, Lucknow,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 665 to 668 situated at Vill. Nayabas,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sikendrabad on 16-8-1973.
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Baldeo Singh.

(Transferor)

(2) Paradise view Co-operative House Building Society Ltd.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An agricultural land measuring 2 Bighas 10 Biswas situated at Vill. Nayabas in distt. Buland Shahr.

K. N. MISRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 19-2-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, LUCKNOW.

Lucknow, the 19th February 1974

Ref. No. 22-P/Acq.—Whereas, I K. N. Misra, I.A.C., Acquisition Range, Lucknow being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. 665 to 668 situated at Vill. Nayabas,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Sikendrabad on 16-8-1973,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Baldeo Singh.
(Transferor

2. Paradise view Co-operative House Building Society Ltd.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An agricultural land measuring 2 Bighas 10 Biswas situated at Vill. Nayabas Distt Buland Shahr

K. N. MISRA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Lucknow.

Date : 19-2-1974.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 22nd February 1974

Ref. F. No. 37/Meerut/73-74/2806.—Whereas, I, Y. Khokhar,
being the competent
Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at Village Chandsara, Tehsil Hapur, District Meerut.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer
at Meerut on 27-8-1973.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957)

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Ram Autar and Sri Surjit s/o Sri Hari Singh. R/o Chandsara, Meerut.
(Transferor)

(2) S/Shri Aizaz & Riaz s/o Allauddin, R/o Sarai Zeena, Meerut.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 11 bighas, 4 biswas and 19 biswansi of Khasra No. 398 situated in village Chandsara, Paragana & Tehsil Meerut.

Y. KHOKHAR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax,
Acquisition Range,
Kanpur

Date : 22-2-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Tarntaran/Ap-731/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the registered deed No. 2539 of July, 1973 situated at V. Gandi Wind Teh. Taran Taran, and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer, at Taran Taran in July, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Nishan Singh s/o Avtar Singh V. Gandiwind Teh. Tarn Taran. (Transferor)

(2) Shri Swinder Singh, Balwinder Singh s/o Sukhchain Singh V. Gandiwind, Teh. Tarn Taran. (Transferee)

(3) As at Sl. No. 2 above. Person(s) in occupation of the Property).

(4) Any person interested in the propery. (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objection, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections

EXPLANATION :—The terms and expressions unded herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Land in village Gandiwind Teh. Taran Taran as mentioned in the registered deed No. 2539 of July, 1973 of R-R. Tarn Taran.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income Tax, Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 31-1-1974

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D-(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-732/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta being the Competent Authority under Section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land as mentioned in the registered deed No. 4213 of July, 1973 situated at V. Rakh Jhita
(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Amritsar in July, 1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Bidan Chand, Bimal Chand Ss/o Uma Chand r/o Rakh Jhita Rajewala Teh. Amritsar. Smt. Krishna Kumari alias Krishna Thakar wd/o Sh Thakur Uma Chand Court Road, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Sukhdev Singh, Baldev Singh, Hardev Singh, Gurdip Singh Baljit Singh, Harjit Singh Ss/o Tara Singh V. Sukhewala Teh. Amritsar.
(Transferee)

(3) As at Sl. No. 2 above.
(Persons(s) in occupation of the Property).

(4) Any person interested in the property. (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in Village Rakh Jhita Teh. Amritsar as mentioned in the registered deed No. 4213 of July, 1973 of S.R. Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31-1-1974.

Seal

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE. 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-733/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the registered deed No. 3681 of July, 1973 situated at V. Dhal Khurd, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the income-tax Act, 1961 43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) S/Shri Gopi Nath, Khushal Chand Ss/o Shri Kishan Dass, Smt. Roop Rani w/o Shri Kesho Dass, Smt. Kamla Rani, Pushpa Rani d/o Kesho Dass c/o Gopi Nath Amritsar. Sh. Durga Dass s/o Sh. Kesho Dass, Bazar Gandawala Amritsar.

(Transferor)

(2) S/Shri Puran Singh, Kundan Singh, Anoop Singh, Santokh Singh Ss/o Randhir Singh r/o Dhall Khurd, Teh. Amritsar.

(Transferee)

(3) As at Sl. No. 2 above.

[Person(s) in occupation of the property.]

(4) Any person interested in the property. (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned,

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in Village Dhal Khurd as mentioned in the registered deed No. 3681 of July, 1973 of S. R. Tehsil Amritsar

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition
Range, Amritsar.

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-734/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the regd. deed No. 4468 of July, 1973, situated at V. Sadhpura, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July, 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceeding for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurdit Singh s/o Shri Santa Singh r/o V. Sadhpura Teh. Amritsar.
(Transferor)

(2) Smt. Harnam Kaur Wd/o Udham Singh and Shmt. Deepo, Jagiro, Veero, Kashmiro Ds/o Shri Udham Singh V. Sadhpurra Distt. Amritsar.
(Transferee)

(3) Smt. Harnam Kaur Wd/o Udham Singh and Smt. Deepo, Jagiro, Veero, Kashmiro Ds/o Shri Udham Singh V. Sadhpurna Distt. Amritsar.
(Transferee)
(Person(s) in occupation of the Property).

(4) Any person interested in the property. (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land in V. Sadhpura as mentioned in the registered deed No. 4468 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition
Range, Amritsar.

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-735/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land as mentioned in the Registered Deed No. 3623 of July, 1973, situated at V. Saidpur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in th office of the registering officer at
Amritsar in July 1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Aand whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Saudagar Singh s/o Shri Surain Singh V. Saidpur.
(Transferee)

(2) Smt. Bawi d/o Shri Sohan Singh R/o Rajada Teh. Gurdaspur.
(Transfero

(2) Smt. Bawi d/o Shri Sohan Singh R/o Rajada Teh. Gurdaspur.
(Person(s) in occupation of the Property).

(4) Anv person interested in the property. (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3623 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Amritsar

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE,

3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-736/73-74.—Whereas, I. D. S. Gupta, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 4288 of July, 1973. situated at V. Manawala Kalan. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Amritsar in July 1973,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value
of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Smt. Amba Rani Urf Satinder Kaur, Preet Inder Kaur Ds/o Shri Ajit Singh V. Manawala Kalan, Teh. Amritsar.
(Transferor)

(2) S/Shri Parminder Singh, Sukhvinder Singh, Baljit Singh, Gurinder Singh. Suhinder Singh SS/o Shri Jarnail Singh R/o V. Manawala Kalan, Teh. Amritsar.
(Transferee)

(3) S/Shri Parminder Singh, Sukhvinder Singh, Baljit Singh, Gurinder Singh, Suhinder Singh SS/o Shri Jarnail Singh R/o V. Manawala Kalan, Teh. Amritsar.
(Person(s) in occupation of the Property).

(4) Any person interested in the property. (Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that the date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objections and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Register Deed No. 4288 of July, 1973 of the Registering Authority, Administer.

D. S. GUPTA

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner

of Income Tax, Acquisition Range,

Amritsar

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-737/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 4469 of July, 1973 situated at V. Dhaul Khurd
and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July 1973
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Shori Lal, Kidar Nath s/o Shri Ram Saran Dass Br. Gandawala, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Puran Singh, Kundan Singh, Anoop Singh, Santokh Singh SS/o Shri Randhir Singh V. Dhaul Khurd Teh. Amritsar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objection.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4469 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-738/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3752 of July, 1973, situated at V. Tungbala.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July 1973
for an apparent consideration .
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Atma Singh s/o Shri Lachhman Singh. Smt. Gurmej Kaur, Parsin Kaur Beant Kaur Ds/o Shri Lachhman Singh R/o Tung Teh. Patti.
(Transferor)

(2) Shri Dalip Singh s/o Shri Santa Singh, Shangara Singh Piara Singh s/o S. Dalip Singh, Jarnail Singh Karnail Singh, Ajit Singh, Joginder Singh, Balbir Singh s/o S. Lachhman Singh V. Tungbala Teh. Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the property].

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3752 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of
Income-Tax, Acquisition Range
Amritsar.

Date : 31st January, 1974.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-739/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the competent authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in Registered Deed No. 4012 of July, 1973 situated at V. Manawala Kalan (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Amritsar in July 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any Income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Boota Singh s/o S. Lehna Singh V. Manawala Kalan Teh. Amritsar.
(Transferor)

(2) S/Shri Balvinder Singh, Jasvinder Singh, Kulwant Singh SS/o Shri Prem Singh & Sukhvinder Singh, Kulvinder Singh SS/o Shri Bachan Singh V. Manawala Kalan Teh. Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above Person(s) in occupation of the property.

(4) Any person interested in the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.—

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4012 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Incometax, Acquisition Range,
Amritsar

Date : 31st January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-740/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3751 of July, 1973 situated at V. Tungbala (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Amritsar in July 1973 for an apparent considration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reason for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Atma Singh s/o Shri Lachhman Singh, Smt. Gurmej Kaur, Parsin Kaur, Beant Kaur D3/o Shri Lachhman Singh R/o Tung Teh. Patti.
(Transferor)

(2) Sh. Dalip Singh s/o Shri Santa Singh, Shangara Singh Piara Singh s/o Shri Dalip Singh, Jarnail Singh Karnail Singh Ajit Singh, Joginder Singh Balbir Singh s/o S. Lachhman Singh V. Tungbala Teh. Amritsar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3751 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax, Acquisition Range, Amritsar

Date : 31st January, 1974.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D-(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE.

3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-741/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under Section 269D of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 4197 of July, 1973 situated at V. Kala Ghanupur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July 1973
for an apparent considertion which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction of evasion of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under Sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Sachan Singh s/o Shri Mula Singh R/o Kala Ghannupur at present Bhalla Colony, Chheharta. (Transferor)

(2) Shri Pratap Steel Rolling Mills Ltd., through Shri Sukkhan Singh S/o Shri Batan Singh, Chheharta, (Amritsar). (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the requisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who had made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4197 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31 t January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/AP-742/73-74.—Whereas, I. D. S. Gupta, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 4272 of July 1973 situated at V. Kala Ghanupur fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Bikram Singh S/o Shri Glan Singh R/o Kala Ghanupur Teh. Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Bachan Singh s/o Shri Mula Singh, Gurmej Kaur w/o Shri Dhian Singh R/o Kala Ghanupur Teh. Amritsar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4272 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31st January, 1974.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. .—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 4253 of July, 1973 situated at V. Kala Ghanpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Mangal Singh s/o Shri Assa Singh Jat R/o Kala Ghanupur Teh. Amritsar.

(Transferor)

(2) Smt. Surinder Kaur w/o Shri Gian Singh 11-A Maqbool Road, Amritsar. Smt. Gurcharan Kaur w/o Shri Mohinder Singh R/o 110 Green Avenue, Amritsar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4253 of July, 1973 of the Registering Authority, Amritsar.

D. S. GUPTA

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,

Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-694/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority
under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 3703 of July 1973 situated at New Colony, near Radio Colony, Jullundur
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Officer of the Registering Officer at Jullundur in July 1973, Jullundur in July 1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Chanan Singh s/o Shri Gopal Singh s/o Shri Waisakha Singh, 388 Model Town, Jullundur. (Transferor)

(2) Shri Ravinder Nath Verma s/o Shri Jai Ram Dass s/o Shri Nanak Chand 78 Rajpat Nagar, Jullundur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land as mentioned in the Registered Deed No. 3703 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX,
ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-695/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 4035 of July, 1973 situated at Bye Pass Jullundur
(and more fully described in the
schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Jullundur in July 1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Gurbas Singh s/o Shri Nanak Singh s/o Shri Surain Singh V. Mithapur Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Sohan Singh s/o Shri Surain Singh s/o Shri Kura Singh V. Khusropur.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4035 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-696/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentione din the Registered Deed No. 4204 of July, 1973 situated at Khasra Nos. 15708 & 15709 Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at Jullundur in July 1973.
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957)

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Kulbhushan S/o Dr. Nand Lal & Dharamvir S/o Shri Saran Dass Gen. Attorney for Ram Kumar, Avinash Chand, Jagdish Mittar SS/o Shri Saran Dass, Pushpa Wati, Smt. Devki Wd/o Shri Nand Lal, Joginder Kumar Narinder Dev SS/o Shri Saran Dass, Pushpa Wati, Smt Devki Wd/o Shri Nand Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Danishmand, Bal Saroop SS/o Shri Ram Lal S/o Shri Ram Chand, Partap Road, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person(s) in occupation of the Property).

(4) Any person interested in the property.
[Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 4204 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR.

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/KPL/AP-697/73-74.—Whereas, I D. S. Gupta,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding, Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1274 of July, 1973 situated at-Shekhupura
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala in July 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Shiv Raj Singh s/o Shri Manohar Lal R/o Kapurthala
(Transferor)

(2) M/s Kapurthala Steel & Rubber Industries, Kapurthala through Shri Mohinder Kumar partner.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person(s) in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1274 of July, 1973 of the Registering Authority, Kapurthala.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/KPL/AP-698/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a farir market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1263 of July, 1973 situated at Shekhupura (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kapurthala in July 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or their assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Raj Singh s/o Shri Manohar Lal, Kapurthala.
(Transferor)

(2) M/s. Kapurthala Steel & Rubber Industries, Kapurthala through Shri Mohinder Kumar partner.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person(s) in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any of the person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to evry person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1263 of July, 1973 of the Registering Authority, Kapurthala.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/KPL/AP-699/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta, being the the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1245 of July, 1973 situated at Shekhupura
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Kapurthala in July 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Raj Singh s/o Shri Manohar Lal, Kapurthala.
(Transferor)

(2) M/s. Kapurthala Steel & Rubber Industries, Kapurthala through Shri Mohinder Kumar partner.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person(s) in occupation of the property).

(4) Any person interested in the property.
(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceeding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1245 of July, 1973 of the Registering Authority, Kapurthala.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref No. ASR/AJN/AP-700/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No Land as mentioned in the Registered Deed No. 1646 of July 1973 situated at V. Dagg
(and more fully
described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ajnala in July 1973 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Deena Nath s/o L. Mehanga Mal Arora R/o V. Dagg at present at village Sersa Distt. Hissar.
(Transferor)

(2) Shri Vishwamittar, Om Parkash & Ram Nath SS/o L. Khushi Ram R/o V. Dagg.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
(Person(s) in occupation of the Property)

(4) Any person interested in the property.
(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1646 of July 1973 of the Registering Authority, Ajnala.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31st January, 1974.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-701/73-74.—Whereas, I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 2,5000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3535 of July, 1973 situated at Opp. Kanya Mahavidyala, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering officer at Jullundur in July 1973,
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me,

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Darshan Singh s/o Buja Singh s/o Shri Buda Singh R/o Model Town Jullundur.
(Transferor)

(2) Smt. Kusum Lata w/o Shri Kewal Krishan s/o Shri Masat Ram Mohalla Bikrampura, Jullundur.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above.
Person(s) in occupation of the Property).

(4) Any person interested in the property.
(Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3535 of July, 1973 of the Registered Authoriyt, Jullundur, Amritsar in July 1973

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 31 t January, 1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI. TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Khemkaran/AP-702/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 382 of July, 1973. situated at Village Bhangala.

and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Khem Karan in July, 1973

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealthtax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) S/Shri Munshi Ram & Hans Raj SS/o Shri Atma Ram V. Bhangala.

(Transferor)

(2) S/Shri Sarup Singh, Piara Singh, Ajit Singh,, Resham Singh s/o Shri Jagat Singh, Jai Singh, Jatinder Singh Ss/o Shri Sohan Singh, Sohan Singh S/o Shri Tehal Singh, Sampuran Singh s/o Shri Gurdial Singh, Banta Singh, Sohan Singh Dhira Singh, Jagir Singh, Jernal Singh, Jassa Singh Harbans Singh Ss/o Shri Maloger Singh R/o Rattoke.

(Transferee)

(3) S/Shri Sarup Singh, Piara Singh, Ajit Singh, Resham Singh s/o Shri Jagat Singh, Jai Singh, Jatinder Singh Ss/o Shri Sohan Singh, Sohan Singh S/o Shri Tehal Singh, Sampuran Singh s/o Shri Gurdial Singh, Banta Singh, Sohan Singh, Dhira Singh Jagi Singh, Jernal Singh, Jassa Singh Harbans Singh Ss/o Shri Maloger Singh R/o Rattoke.

[Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 382 of July, 1973 of the Registering Authority, Khem Karan.

D. S. GUPTA

Competent Authority,

Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax

Acquisition Range

Amritsar

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI. TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Patti/AP-703/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority under section 269B, of the Incometax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1241 of July, 1973. situated at V. Talwandi Sobha Singh,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Patti in July, 173, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Narain Singh s/o Shri Pashora Singh, Talwandi Sobha Singh now Machhrai Tehsil Amlau Distt; Patiala.
(Transferor)

(2) Shri Gurdip Singh s/o Shri Wassan Singh, Chhundu Singh, Gurmej Singh, Gurnam Singh, Bhagwan Singh, Saktar Singh Ss/o Shri Chanan Singh, Gurdip Kaur Wd/o Shri Chanan Singh s/o Kala Singh R/o Talwandi Sobha Singh. (Transferee)

(3) Shri Gurdip Singh s/o Shri Wassan Singh, Chhundu Singh, Gurmej Singh, Gurnam Singh, Bhagwan Singh, Saktar Singh Ss/o Shri Chanan Singh, Gurdip Kaur Wd/o hri Chanan Singh s/o Kala Singh R/o Talwandi Sobha Singh.
[Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable proptrty within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraphs shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1241 of July, 1973 of the Registering Authority, Patti.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range
Amritsar.

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI. TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Patti/AP-704/73-74.—Whereas I. D. S. Gupta.
being the Competent
Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1150 of July, 1973. situated at V. Kacha Pacca.
(and more fully described in
the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering officer at
Pati in July 1973.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Smt. Tej Kaur Alias Jassa Wd/o S. Wadhawa Singh V. Makhi Kalan.
(Transferor)

(2) Smt. Surjeet Kaur Alias Viroo D/o Shri Tara Singh V. Gacha Pacca Teh. Patti.
(Transferee)

(3) Smt. Surjeet Kaur Alias Viroo D/o Shri Tara Singh V. Gacha Pacca Teh. Patti.
[Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1150 of July, 1973 of the Registering Authority, Patti.

D. S. GUPTA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range,
Amritsar.

Date : 31-1-1974.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Patti/AP-705/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority
under section 269B of the Income-tax Act, 1961
(43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 1310 of July, 1973 situated at V. Sandra,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Patti in July 1973,
for an
apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) or the Wealth Tax Act 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Tara Singh s/o Shri Pala Singh, R/o Sandra Tehsil Patti through Shri Jagir Singh, Kukhtaram. (Transferor)

(2) S/Shri Sarabjeet Lal, Rakesh Kumar, Jatinder Kumar Ss/o Dr. Tilak Raj R/o Bhikiwind. (Transferee)

(3) S/Shri Sarabjeet Lal, Rakesh Kumar, Jatinder Kumar Ss/o Dr. Tilak Raj R/o Bhikiwind.
[Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 1310 of July, 1973 of the Registering Authority, Patti.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Amritsar.

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-706/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta,
being the competent
authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3507 of July, 1973, situated at V. Bullowal.
(and more fully described in the
Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Jullundur in July 1973,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Ujagar Singh s/o Shri Natha Singh, Shri Shangara Singh, Sukhdev Singh, Sadha Singh Ss/o Shri Ujagar Singh s/o Shri Natha Singh, V. Bullowal. Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) S/Shri Kewal Singh, Gurdeep Singh, Darshan Singh Ss/o Shri Amar Singh s/o Shri Ujagar Singh V. Kahlba. Teh. Jullundur.
(Transferee)

(3) S/Shri Kewal Singh, Gurdeep Singh, Darshan Singh Ss/o Shri Amar Singh s/o Shri Ujagar Singh V Kahlba. Teh. Jullundur.
[Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3507 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI. TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-707/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority under section 269D, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3708 of July, 1973, situated at V. Reru. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur in July 1973,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Banta Singh s/o Shri Ishar Singh s/o Shri Ditta R/o V. Reru Teh. Jullundur.

(2) Shri Waisakha Singh s/o Shri Daljit Singh Sohal S/o Rattan Singh R/o Sangh, Dhesam Teh. Phillawor.

(Transferee)

(3) Shri Waisakha Singh s/o Shri Daljit Singh Sohal s/o Rattan Singh R/o Sangh Dhesam, Teh. Phillawor.

[Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objection if any made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deed No. 3708 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Amritsar.

Date : 31-1-1974.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-712/73-74.—Whereas I, D. S. Gupta,
being the Competent Authority under section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing door No,
No. Property as mentioned in the Registered Deed No. 3608 of July, 1973, situated at Raink Bazar, Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer at Jullundur in July 1973
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for sudh transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Ganga Singh s/o Shri Natha Singh, Nakodar Road, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Rakha Singh s/o Shri Ganga Singh, Nakodar Road, Jullundur. (Transferor)

(3) As at S. No. 2 above.
[Person(s) in occupation of the Property].
(Transferee)

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed, and notice thereof shall be given to every person who has made such objection, and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registered Deed No. 3608 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner
of Income Tax, Acquisition
Range, Amritsar

Date : 31-1-1974.

Seal :

*(Strike off where not applicable)

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, 3 CHANDERPURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 31st January 1974

Ref. No. ASR/Jul/AP-711/73-74.—Wmereas I, D. S. Gupta, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land as mentioned in the Registered Deed No. 3476 & 3477 of July, 1973, situated at Bye Pass, Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jullundur in July 1973, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and the transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of: —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer,

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

And whereas the reasons for initiating proceedings for the acquisition of the aforesaid property in terms of Chapter XXA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have been recorded by me.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons namely :—

(1) Shri Kartar Singh s/o Shri Gopal Singh s/o Shri Hira Singh V. Gurre Teh. Nakodar Distt. Jullundur (Transferor)

(2) Smt. Jaswant Kaur w/o Shri Ram Singh NB 56 Basti Bhurre Khan, Jullundur City, Smt. Jatinder Kaur w/o Shri Rajinder Singh s/o Shri Ram Singh, NB 53 Basti Bhurre Khan, Jullundur Smt. Pritam Kaur w/o Shri Mohinder Singh s/o Shri Ram Singh, NB 54 Basti Bhurre Khan, Jullundur. (Transferee)

(3) Smt. Jaswant Kaur w/o Shri Ram Singh NB 56 Basti Bhurre Khan, Jullundur City, Smt. Jatinder Kaur w/o Shri Rajinder Singh s/o Shri Ram Singh, NB 53 Basti Bhurre Khan, Jullundur Smt. Pritam Kaur w/o Shri Rajinder Singh s/o Shri Ram Singh NB 54 Basti Bhurre Khan, Jullundur. [Person(s) in occupation of the Property].

(4) Any person interested in the property. [Person(s) whom the undersigned knows to be interested in the property].

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

It is hereby notified that a date and place for hearing the objections, if any, made in response to this notice against the acquisition of the immovable property will be fixed and notice thereof shall be given to every person who has made such objection and the transferee of the property.

It is hereby further notified that every person to whom notice is given under the preceding paragraph shall have a right to be heard at the hearing of the objections.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land as mentioned in the Registered Deeds Nos. 3476 & 3477 of July, 1973 of the Registering Authority, Jullundur.

D. S. GUPTA,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Amritsar

Date : 31-1-1974.
Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Amendment to the Notice for the Short Service Commission (Non-Technical) Examination, May, 1974.

New Delhi-110011, the 2nd March 1974

No. F. 28/2/73-E.1(B).—In the Union Public Service Commission's Notice No. F. 28/2/73-E.I(B) dated 3-11-73 relating to the Short Service Commission (Non-Technical) Examination, May, 1974, published in the Gazette of India dated 3-11-73 the following amendments shall be made :—

(i) In line 1 of the para 3 of the Notice the words "a male and must have" shall be substituted for the words "a made and most have".

(ii) In line 3 of para 6 of the Notice the word "late" shall be substituted for the word "base".

(iii) In line 14 of the Note under para 3 of the Annexure II to the Notice the word and figure "OCTOBER, 1974" shall be substituted for the word and figure "MARCH, 1975".

(iv) In line 2 of the sub-para 2 of para 3(ii) of Annexure II to the Notice, the words "in this part of the instructions includes the "shall be substituted for the words" "does not show the date of birth, or only',.

(v) In line 5 of the form of certificate to be produced by Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates under para 5 of the Annexure II to the Notice the words "which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled" shall be substituted for the words "under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes".

(vi) In line 12 of the form of certificate to be produced by Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates under para 5 of the Annexure II to the Notice, the words "Andaman and Nicobar Islands" shall be substituted for the words "Dadra and Nagar Haveli".

(vii) In line 14 of the form of certificate to be produced by Scheduled Caste/Scheduled Tribe candidates under para 5 of the Annexure II to the Notice, the words "Dadra and Nagar Haveli", shall be substituted for the words "Goa, Daman and Diu".

R. PANDIT,
Under Secretary

ADVERTISEMENT NO. 9

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1-1-1974 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for certain categories of displaced persons from erstwhile East Pakistan, repatriates from Burma and Sri Lanka and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110011. Requests for forms must specify name of post, Advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 × 10 cms., indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and *bona-fide* displaced persons from erstwhile East Pakistan who migrated on or after 1-1-1964 but before 25-3-1971 and to repatriates from Burma and Sri Lanka who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed INDIAN POSTAL ORDER for Rs. 8.00 (Rs. 2.00 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 2nd April, 1974 (15th April, 1974 for applicants from abroad and for those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Treasury receipts not acceptable.

Post at S. No. 1 permanent in the case of Departmental Officers. In the case of others, the appointment will be on contract/tenure basis for a period of 5 years. Post at S. No. 9 and 5 posts at S. No. 16 permanent but appointment on temporary basis. 2 posts at S. No. 16 temporary but likely to become permanent. Posts at S. Nos. 2, 3, 5 to 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18 to 21 temporary but likely to continue indefinitely. Posts at S. Nos. 4, 11 and 12 temporary but likely to continue.

One post at S. No. 11, 2 posts each at S. Nos 12 and 16 reserved for Scheduled Castes candidates. One post at S. No. 12 reserved for Scheduled Tribes candidates. One post at S. No. 2 and post at S. No. 20 reserved for Scheduled Castes candidates failing which reserved for Scheduled Tribes candidates. Posts at S. Nos. 15, 19 and 21 reserved for Scheduled Castes candidates, who alone need apply. For post at S. No. 19 only female candidates need apply.

1. *One Surveyor General of India, Department of Science and Technology. Pay.*—Rs. 2000-125-2250 (Scale of pay likely to be revised upward). *Age Limit.*—50 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Degree in Engineering or Master's degree in Mathematics/Physics/Geography/Geodesy of a recognised University or equivalent. (ii) About 15 years' experience in a senior administrative and managerial position in an Engineering Organisation or a scientific laboratory. (iii) Research experience in surveying, photo-grammetry or Geodesy or allied subjects with evidence of published research work.

2. *Three Superintending Engineers (Civil), Border Roads Development Board, Ministry of Shipping and Transport. Pay.*—Rs. 1300—60—1600—100—1800. *Age Limit.*—40 years. Not relaxable for Government servants. *Qualifications.—Essential.*—(i) Degree in Civil Engineering from a recognised University or equivalent qualification. (ii) About 12 years' experience as Civil Engineer in Class I & II posts or in equivalent posts out of which 5 years should be as Executive Engineer or in posts carrying equivalent responsibilities.

3. *One Director (Grade I) (Metallurgy), Small Scale Industries Organisation, Ministry of Industrial Development. Pay.*—Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800. *Age Limit.*—45 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Degree in Metallurgy from a recognised University/Institution or equivalent. (ii) About 10 years' experience in a responsible technical position in a Technical Organisation or industrial concern of repute in foundry work/heat treatment. (iii) Should be thoroughly familiar with the latest technique of production and use of modern machinery, equipment and tools as applied to metallurgical industry.

4. *Two Deputy Directors (Transport), Central Health Transport Organisation, Ministry of Health and Family Planning. Pay.*—Rs. 1100—50—1400. *Age Limit.*—45 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Degree in Mechanical or Automobile Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) About 12 years' experience in a responsible capacity in development and administration of workshops in a Transport Organisation.

5. *Two Senior Scientific Officers Grade I, Aeronautical Development Establishment, Bangalore, Ministry of Defence. Pay.*—Rs. 700—50—1250. *Age.*—Preferably below 40 years. *Qualifications.—Essential.—For 1st Post* : (i) At least Second Class Degree in Aeronautical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About 4 years' experience in Acrodynamics Research/Design and Development work relating to missiles/drones, external stores and high speed aircraft. *For 2nd Post* : (i) At least Second Class Degree in Aeronautical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About 4 years' experience in Stability and control analysis of aircraft/missiles, trajectory analysis and computer simulation of aircraft and missiles.

6. *Two Senior Scientific Officers Grade I, Research & Development Organisation, Ministry of Defence. Pay.*—Rs. 700—50—1250. *Age.*—Preferably below 40 years. *Qualifications.—Essential.—For 1st Post* : (i) At least Second Class Degree in Mechanical/Aeronautical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About 4 years' experience in Aeronautical Research & Development in the field of Aircraft Structures. *For 2nd Post* : (i) At least Second Class Degree in Mechanical/Aeronautical Engineering of a recognised University or equivalent. (ii) About 4 years' experience in Aeronautical Research and Development in the field of Propulsion.

7. *Two Senior Scientific Officers Grade II, Aeronautical Development Establishment, Bangalore, Ministry of Defence. Pay.*—Rs. 400—40—800—50—950. *Age.*—Preferably below 30 years. *Qualifications.—Essential.—For 1st Post* : (i) At least Second Class Degree in Aeronautical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years' experience in the design and development of airborne external store carriers. *For 2nd Post* : (i) At least Second Class Degree in Mechanical/Aeronautical Engineering from a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years' experience in the design and development of external airborne stores with knowledge of process planning for fabrication of such stores.

8. *One Senior Scientific Officer Grade II, Aeronautical Development Establishment, Bangalore, Ministry of Defence. Pay.*—Rs. 400—40—800—50—950. *Age.*—Preferably below 30 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) At least Second Class Engineering Degree in Metallurgy from a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years' experience in Selection analysis and testing of airborne stores.

9. *One Director, Central Institute of Fisheries Education, Bombay, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture. Pay.*—Rs. 1300—60—1600. *Age Limit.*—50 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Master's degree in one of the subjects, namely Zoology, Chemistry, Physics, Economics, Statistics, or Mathematics with Statistics, Oceanography or Commerce or a Degree or equivalent qualification in Naval Architecture or Mechanical Engineering of a recognised University. (ii) At least 10 years experience in research/or development in the field of fisheries. (iii) Experience in administration and organisation of scientific institutions.

10. *One Deputy Director (Development), Ministry of Agriculture (Department of Agriculture). Pay.*—Rs. 700—40—1100—50/2—1250. *Age Limit.*—40 years. *Qualifications.—Essential*—(i) M.Sc. degree in Botany or Agricultural Botany or Agriculture with specialisation in Agronomy/Plant Breeding and Genetics from a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years' experience of development/planning work with particular reference to Cotton Crop.

11. *Six Assistant Directors (Storage & Research), Ministry of Agriculture (Department of Food). Pay.*—Rs. 400—40—800—50—950. *Age Limit.*—35 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Master's degree in Agriculture or Master's degree in Chemistry or Zoology or Botany of a recognised University or equivalent. (ii) About 3 years' experience in various aspects of storage, inspection and maintenance of foodgrains. *Or* (i) Degree in Agriculture or Degree in Science with Chemistry or Biology or Zoology or Botany as a subject of a recognised University or equivalent. (ii) About 5 years' experience in various aspects of storage, inspection and maintenance of foodgrains.

12. *Thirteen Technical Officers (Storage and Research), Ministry of Agriculture (Department of Food). Pay.*—Rs. 325—15—475—EB—20—575. *Age Limit.*—30 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Degree in Agriculture or degree in Science with Chemistry or Biology or Zoology or Botany as a subject of a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years' experience of work relating to storage of foodgrains and control of pests or experience in quality assessment after Chemical analysis of foodgrains and allied products.

13. *Two Senior Administrative Officers Grade I, Research & Development Organisation, Ministry of Defence. Pay.*—Rs. 700—40—1100—50/2—1250. *Age Limit.*—40 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) A Second Class Degree of a recognised University or equivalent. (ii) About 7 years' administrative experience in a supervisory capacity in a Government or Semi-Government Organisation or in a commercial concern of repute.

14. *One Deputy Director, Backward Classes Welfare in the Organisation of the Director General, Backward Classes Welfare, Ministry of Home Affairs. Pay.*—Rs. 700—40—1100—50/2—1250. *Age Limit.*—40 years *Qualifications.—Essential.*—(i) Master's degree in Social work or Sociology or Social Anthropology or Social Psychology of a recognised University or equivalent. (ii) About 7 years' experience of work in Planning or development of social welfare organisation.

15. *One Regional Officer, Hindi Teaching Scheme, Ministry of Home Affairs. Pay.*—Rs 700—40—1100—50/2—1250 (Pay scale under revision). *Age Limit.*—50 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Second Class Master's Degree in Hindi or equivalent with sound knowledge of English. (ii) 7 years' experience in the field of administration or education in a responsible capacity.

16. *Seven Assistant Inspecting Officers/Assistant Registrars of Companies, Grade IV of the Central Company Law Service, Class I (Gazetted). Ministry of Law, Justice & Company Affairs, Department of Company Affairs. Pay.*—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. *Age Limit.*—30 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Chartered Accountant or Cost and Works Accountant. (ii) Two years' practice as a Chartered Accountant or Cost and Work Accountant respectively or two years' experience in a Commercial/Industrial Organisation or in a Government Department

connected with the administration of the Companies Act.

17. *One Lecturer in Humanities, College of Engineering, Goa, Farmagudi, Government of Goa, Daman and Diu, Department of Education. Pay.*—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. *Age Limit.*—35 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) At least Second Class Degree in Economics or Commerce from a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years' teaching experience to degree classes.

18. *One Lecturer in Commerce, Education and Public Works Department, Government of Goa, Daman and Diu. Pay.*—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. *Age Limit.*—35 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Second Class Master's Degree in Commerce or equivalent. (ii) Two years' professional and/or teaching experience. (iii) Experience in business management/commercial practice.

19. *One Superintendent, Female Beggars Home (Disabled and Diseased), Directorate of Social Welfare, Delhi Administration. Pay.*— Rs. 425—25—500—30—680. *Age Limit.*—40 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Degree from a recognised University or equivalent in a Social Service subject, *viz.* Sociology, Economics, Anthropology etc. (ii) About 5 years' experience of Social work including about 2 years' administrative experience in a supervisory post in any Government/Semi-Government/recognised Institution. *Or* (i) Master's degree in Social work or its equivalent qualification from a recognised University/Institution. (ii) About 3 years' experience of social work including about 2 years experience in a supervisory post in any Government/Semi-Government recognised Institution.

20. *One Research Investigator (Grade I), Directorate of Economics and Statistics, Ministry of Agriculture (Department of Agriculture). Pay.*—Rs. 325—15—475—EB—20—575. *Age Limit.*—30 Years. *Qualifications.—Essential.*—(i) Master's Degree in Economics or Commerce or M.Sc. (Agriculture) in Agricultural Economics of a recognised University or equivalent. (ii) About 2 years' experience of Economic research/or investigation on economic problems.

21. *One Homoeopathic Physician, Central Government Health Scheme, New Delhi, Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Planning. Pay.*—Rs. 325—25—500—30—590—EB—30—800 plus N.P.A. @ 25% of pay subject to a minimum of Rs. 150/- p.m. *Age Limit.*—40 years. *Qualifications.—Essential.*—(i) B.M.S. (Homoeo), D.H.M., D.H.S., D.M.S. (Homoeopathy), B.M.B.S. or M.H.M.S. or equivalent Diploma (four years' course) or G.H.M.S. Degree (Agra) or equivalent. (ii) At least 5 years' of Homoeopathic practice preferably in a recognised hospital or a dispensary.

A. C. BANDYOPADHYAY
Secretary,
Union Public Service Commission

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974